खण्ड-296, अंक-9
बुधवार, 30 चैत्र, शक संवत् 1894
(19 अप्रैल, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८११–८१५
प्रश्नोत्तर	८१५–८४९
मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियमों में संशोधनों सम्बन्धी संकल्प (सदन की पटल पर रखा गया)	८४९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७२ (सदन के पटल पर रखा गया)	८४९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८५०
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, १९७२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८५०
सरकारी अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में कार्य करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८५०–८५५
गृह उप-मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	८५५–८६३
सचिवालय से पृथक विधान सभा का हाल बनवाने की प्रार्थना ..	८६३
गृह उप-मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	८६३–८६६
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	८६६
गृह उप-मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	८६७
मेसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, लिमिटेड लखनऊ में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	८६७–८७०
इलाहाबाद जिले के थाना सोरांव के अन्तर्गत हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	८७०–८७३
मुजफ्फरनगर में यमुना के उस पार हरियाणा सरकार द्वारा ठोकर व बांध बनाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	८७३–८७७
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	८७७–८८०
१९७२-७३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १९––चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०––सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	८८१–९११
मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियमों में संशोधनों सम्बन्धी संकल्प (स्वीकृत) ..	९११
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	९१२–९१३
नत्थियां	९१४–९२१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ अप्रैल, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५७

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, जूदेव श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोण्डा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुष धारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)

बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री

राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
सुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री

सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री]
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---श्री बलदेव सिंह आर्य, पंचायत राज मन्त्री, एवं श्री पी० डी० टंडन, राज्य सूचना मन्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ अप्रैल, १९७२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्कूलों को मान्यता देने की नीति में उदारता

**१---श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की नीति को उदार बनाने जा रहे हैं? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और कब तक लागू हो जायगी?

श्रम उप मन्त्री (श्री सोहन लाल धूसिया)---

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने की नीति पहले से ही पर्याप्त उदार रही है। जिसके अनुसार गत वर्ष लगभग ४५० विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। अब विशेष परिस्थितियों में नीति को और उदार बनाने का शासन का कोई विचार नहीं है। हां, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों के लिये मान्यता प्रदान करने के नियमों में कतिपय शिथिलतायें बरतने का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री त्रिलोक चन्द्र---

मान्यवर, मन्त्री जी ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बारे में जवाब दिया है और शिक्षा विभाग ने जो जूनियर हाई स्कूलों तक शिक्षा अपने हाथ में लेने की घोषणा की तो उनको मान्यता पहली जुलाई से दी जायेगी या नहीं?

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)---

मान्यवर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित प्रश्न हैं तो आठवें क्लास तक मान्यता क्यों न दी जाय, जरूर दी जायेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मान्यवर, सरकार जो पर्वतीय क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में नियमों में शिथिलता करने की सोच रही है तो वे कौन-कौन से नियम हैं? और क्या मान्यता के सम्बन्ध में भी शिथिलता बरतने की सरकार सोच रही है?

श्री सोहन लाल धुसिया---

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में जहां के लोग बहुत गरीब हैं वहां पर बिल्डिंग, फर्नीचर और छात्रों की संख्या के लिये ज्यादा जोर नहीं दिया जायेगा।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

इन क्षेत्रों में वे किन जिलों को ले रहे हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जिलों का ऐसा सवाल नहीं है पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों में ऐसे जिले हैं जो बहुत गरीब हैं, बाढ़ से ग्रस्त हैं और बुन्देलखंड में जहां पर्वतों का प्रभाव है वह सभी इसमें आ जाते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार पूर्वी जिलों को पिछड़े क्षेत्र की परिभाषा में रखने का विचार कर रही है? यदि हां, तो वे कौन-कौन जिले हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरा सवाल हुआ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा सवाल यह था कि जो पिछड़े क्षेत्र के लिये मान्यता देने में जो शिथिलता बरतने जा रहे हैं और सुविधायें देने की बात बताई तो क्या पूर्वी जिलों में वे सुविधायें देंगे और उनमें कौन-कौन जिले होंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

वही क्षेत्र हैं, मान्यवर।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या मन्त्री जी रूहेलखंड के ऐसे हिस्से में जो बाढ़ से पीड़ित रहते हैं उनको भी प्राथमिकता देंगे?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो ब्योरे का सवाल है।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

क्या मन्त्री जी इलाहाबाद में भी इसको लागू करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जो पिछड़े जिलों में आयेंगे वे सभी लिये जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

जूनियर हाई स्कूलों तक की शिक्षा सरकार अपने हाथ में ले रही है तो क्या इनको मान्यता देने की नीति में इसको लागू करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां, यह जरूर है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, बालिकाओं के विद्यालय जो बहुत कम हैं उनके सम्बन्ध में मन्त्री जी क्या सुधार करने जा रहे हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां बालिका और बालक दोनों साथ ही साथ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी जहां केवल बालिकाओं के विद्यालय हैं, वे चाहे जैसे स्तर के हों, वहां शिथिलता बरती जाती है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

यह जो नियमों में शिथिलता बरतने की बात है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां कोई भी स्कूल नहीं है तो क्या ऐसे क्षेत्रों से मान्यता के लिये प्रार्थना-पत्र आने पर माननीय मन्त्री जी शिथिलता बरतने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

श्रीमन्, यह बहुत विस्तृत हो जायगा, इसमें बहुत कठिनाई होगी।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर भी विचार करेंगे कि एक समय मुकर्रिर कर दिया जाय कि प्रार्थना-पत्र आने के इतने दिनों में उसको मान्यता प्रदान कर दी जायगी।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

सामान्यतः नियम यह है कि ३१ अगस्त तक आवेदन-पत्र ले लिये जाते हैं, उसके बाद उसका परीक्षण कराया जाता है और उसके बाद वह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय में आता है। मान्यता समिति मार्च, अप्रैल तक प्रायः विचार करना शुरू कर देती है और उसकी बराबर यह कोशिश रहती है कि जून के आखीर या जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह कार्य समाप्त कर दिया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतायेंगे कि मान्यता देने के लिए पहले तो शिक्षा परिषद् विचार करती है और फिर सरकार विचार करती है, इस तरह से दोहरी मान्यता मिलने में देर हो जाती है तो क्या सरकार इस सिस्टम को इकहरा बनाने की कृपा करेगी जिससे स्कूलों को मान्यता शीघ्र मिल जाया करे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

प्रायः यह होता आया है कि मान्यता देने का कार्य मान्यता समिति ही करती रही है लेकिन केवल पिछले वर्ष यह हुआ कि नयी मान्यता समितियों का गठन नहीं हुआ और इधर जो हमने वेतन अधिनियम बनाया था उसमें यह धारा जोड़ दी गई थी कि जो मान्यतायें दी जायेंगी, उनमें शासन की अनुमति आवश्यक होगी। नयी मान्यताओं पर तो यह लागू नहीं होता लेकिन जो अतिरिक्त मान्यतायें दी जाती हैं वे शासन के पास आती हैं। लेकिन अब यह मसला भी शासन के विचाराधीन है कि इसमें जो देर लग जाती है उसको भी हटाने की जरूरत है। इसमें भी सरकार संशोधन करने की सोच रही है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

विद्यालयों पर जो प्रभूति की शर्त सरकार ने लगा रखी है, इससे भी बहुत कठिनाई होती है तो क्या सरकार इस शर्त को भी हटाने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, यह तो रखना ही होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बतायेंगे कि मान्यता देने में विलम्ब को रोकने के लिये क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिलास्तर पर ही ऐसी कमेटियां बना दी जायं जो जिला निरीक्षक और विधायकों की हों, वे ही मान्यता दिये जाने के लिये संस्तुति कर दिया करें ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन, सुझाव तो अच्छा है इसको भी देखा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न पर १० मिनट हो गये हैं और मैं देखता हूं कि अभी बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं २–१ को और अवसर दिये देता हूं।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या आर्थिक दृष्टि के अतिरिक्त शैक्षिक दृष्टि से जो जनपद पिछड़े हुये हैं उनके साथ उदारता की दृष्टि रखते हुये क्या शासन उनको भी इस सूची में सम्मिलित करने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

ऐसे मसले आते हैं तो उन पर गौर किया जाता है और कुछ न कुछ शिथिलता नियमों में कर दी जाती है।

श्री कृष्णा कान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं वह भी अब शासन के तहत में आ गये हैं तो क्या उन को भी मान्यता देने का प्रश्न अब उठता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

श्रीमन्, इसमें नियम ४९ में आधा घंटे की चर्चा का मौका दिया जाय क्योंकि इसमें माननीय सदस्यों की बहुत रुचि है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो हम समझ गये कि इसमें अधिक दिलचस्पी है यदि विधि के हिसाब से मांग आयेगी तो हम देखेंगे, शासक दल के सदस्यों की भी अभी जानकारी करने की इच्छा मालूम होती है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मन्त्री जी ने कहा कि...

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

हम आपकी गतिविधि को देख रहे हैं कि आपने सोशलिस्ट पार्टी के एक भी सदस्य को मौका नहीं दिया, अगर आपका फसला यही है कि हमें मौका नहीं देना है तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक सवालों का प्रश्न है इसमें पार्टी को नहीं देखा जाता ।...

श्री बांकेलाल—

क्या कभी हम पर आप की दृष्टि पड़ती ही नहीं, आपकी नीति यही हो तो हम खड़े ही न हुआ करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी सवाल नहीं है इसलिये इस वक्त खड़े होने की आपको जरूरत नहीं पड़ती ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि जूनियर हाई स्कूलों को सरकार ले रही है और इस सम्बन्ध में उनकी मान्यता की नीति उदार होगी लेकिन यह उदार नीति क्या केवल पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये ही होगी या पूरे प्रदेश के लिये होगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उदार तो ऐसे क्षेत्रों के लिये होती है जो पिछड़े होते हैं और जहां आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से सहायता की जरूरत होती है ।

श्री बांके लाल—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मान्यता की सारी शर्तें पूरी रहती हैं तब भी प्रार्थना-पत्र देने पर मान्यता क्यों नहीं दी जाती है और उसमें क्यों देर की जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये तो अलग कमेटी है।

श्री बांके लाल—

मैं कई ऐसे प्रमाण दे सकता हूं।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

आवेदनकर्ता स्वयं नहीं समझते हैं कि सभी शर्तें पूरी हैं और कोई कमी नहीं है लेकिन परीक्षण में कोई न कोई गलती निकलती ही है, यह नहीं हो सकता कि सभी प्रार्थना-पत्र नियमित ही हों, यह नहीं हो सकता कि नियमतः सब पूरे हों और सहायता न मिले। अगर किसी केस में ऐसा है तो उसकी छानबीन की जायगी और कहीं गलती होगी तो उसको ठीक किया जायगा ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यता की शर्तों के बारे में ऐसा भी देखने को मिला है कि उन से हमारे मन्त्री जी तो बिलकुल सेटिसफाई हैं लेकिन उनका विभाग सन्तुष्ट नहीं है । मन्त्री जी सेटिसफाई रहते हैं और उसके बाद भी ऐसी चीजें होती हैं। तो मान्यता के विषय उपयुक्तता समझने की शक्ति मन्त्री जी को है या उनके विभाग को है ? क्योंकि मन्त्री जी के लिखने पर भी मान्यता नहीं मिलती ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यता देने का काम मान्यता समिति का है मन्त्री का नहीं है। जो निर्णय मान्यता समिति का होता है और उसके फैसले की अपील का भी एक मौका रहता है और शिक्षा निदेशक जो हाई स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वह उस निर्णय और उसके औचित्य को देखते हैं, मन्त्री इसमें नहीं आता ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा निदेशक ने सरकार को कोई ऐसी संस्तुति की है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूलों को मान्यता देने के सम्बन्ध में आबादी के घनत्व की शर्त लागू न की जाय ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

ऐसा प्रश्न शासन और बोर्ड के विचाराधीन है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

इस सम्बन्ध में सरकार की उदारता की नीति के कारण जितनी शिक्षा फैली है उतनी से ही बड़ी भारी बेकारी फैली हुई है तो क्या शिक्षा को एक नया मोड़ देकर मन्त्री जी पाठ्य-क्रम में शिल्प और उद्योग की शिक्षा को भी सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह तो सामान्य प्रश्न है। यह तो बजट के समय भी कहने का अधिकार है। प्रश्न तो मान्यता से सम्बन्धित है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पर्वतीय अंचल में नियमों में शिथिलता बरती गई है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्राभूत की शर्त है, पर्वतीय क्षेत्र में उसे भी कम करने पर सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, जो विचाराधीन प्रश्न है उसमें भवन आता है, छात्रों की संख्या आती है। प्राभूत और सुरक्षित कोष में हम कभी नहीं कर सकते हैं लेकिन जमीन के रूप में और बागों के रूप में मानने पर विचार किया जा रहा है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यता देने के लिये जो समितियां गठित हुई थीं ये उदारता नहीं बरतती थीं। अब यह सरकार की नीति हो गई है कि पिछड़े क्षेत्रों में उदारता बरतेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि कब से उदारता बरती जायेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन् प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है।

(श्री जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, यह उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ और आप आगे चले गये?

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप खड़े नहीं हुये, मैं कुछ देर रुका भी रहा, तो मैंने माननीय जायसवाल जी को बुलाया ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया, मैं उसको सुन नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप तत्काल खड़े नहीं हुये तो मैं समझा कि आपको प्रश्न नहीं करना है।

श्री राम कुमार शास्त्री—

आपसे कितनी बहस की जाय। मैं प्रश्न के उत्तर को सुन ही नहीं सका।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है। जब आप खड़े नहीं हुए, हालांकि मैं कुछ देर ठमका भी, तो आगे बढ़ गया।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं पुनः स्पष्ट किये देता हूं। मैंने पूछा था कि जो समितियां मान्यता के सम्बन्ध में गठित हुईं वे उदारता बरतती नहीं थीं। अब जो उदारता बरतने के लिये, पिछड़े क्षेत्रों में, माननीय मन्त्री जी ने कहा, वह कब से लागू होगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

पिछली समितियां क्या करती थीं, उदारता बरतती थीं या नहीं, यह सवाल जरूर है। मैं भी इन समितियों में रहा हूं। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनकी स्थिति कमजोर होती थी उनकी प्रार्थनायें अस्वीकृत कर दी जाती थीं। इस प्रकार बहुत कम विद्यालयों को मान्यता मिल पायी। तब यह विचार हुआ कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में शिथिलता बरती जाय, नियमों में।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, अवध के जिलों बाराबंकी और रायबरेली में शिक्षा का विकास बहुत कम हुआ है और यहां पर शिक्षित लोगों की प्रतिशत भी बहुत कम है तो क्या माननीय मन्त्री जी वहां से प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर उदारता बरतने के लिए सामान्य निर्देश देंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सामान्य निर्देश की बात तो नहीं कर सकते हैं मान्यता के सम्बन्ध में लेकिन कभी अनौपचारिक वार्ता में कह सकेंगे ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

गत वर्षों से जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता देने में कुछ सख्त नियम बनाये गये कि कमरों की लम्बाई चौड़ाई क्या हो, उसका नतीजा यह हुआ कि उस नियम के पहले जिन स्कूलों को अस्थायी मान्यता मिली हुई थी तो उनको परमानेन्ट मान्यता मिलने में दिक्कत और देर हुई क्योंकि वे बने हुए कमरों को गिरा नहीं सकते थे और फिर असम्भव हो गया है कि ये इतने लम्बे चौड़े कमरे बनवायें। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

यह सही है कि जूनियर के स्तर पर मान्यता मिलने पर फिर आगे मान्यता मिलने में दिक्कत होती है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों के सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमने यह निर्णय लिया है कि अमुक सन् तक जो विद्यालय बिल्डिंग आठवें दर्जे के बन गये हैं, उनमें बिल्डिंग नहीं गिराई जा सकती, जो कमरे हैं वे मांग लिये जायं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष जी, आपने एक-एक पार्टी के चार-चार सदस्यों को बोलने का मौका दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक नाम बता दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार—

रामगोपाल सण्ड...

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप नासमझी में कह गये हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जबरदस्ती मेरा नाम ले लिया है।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न अल्पसूचित तारांकित है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सलाह न दीजिये। यह सलाह देना अपमान है।

श्री चेतराम गंगवार—

आप गुस्सा न हुआ करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस तरह सलाह देंगे तो ४२६ सदस्य सलाह देने खड़े हो जायेंगे। इस तरह से कोई कार्य नहीं हो पायेगा।

श्री चेतराम गंगवार—

आप मूड में रहा करें। गुस्सा न हुआ करें।

वाराणसी जिले के औराई ब्लाक में लगे नलकूप

**२—श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के औराई ब्लाक के संडौली और लल्लापुर द्वितीय सरकारी नलकूप जो महाराजगंज के पूरब और विक्रमपुर गांव के उत्तर दक्षिण पूरब पर स्थित हैं उसमें मीटर लगा है? यदि नहीं, तो किसानों से किस प्रकार सिंचाई शुल्क वसूल किया जाता है? क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नलकूप डिवीजन को नलकूप की मरम्मत के लिये जिन कम्पनियों से सामान खरीदा जाता है उनके नाम व पता क्या हैं और उनसे जो सामान लिये जाते हैं वह नलकूप के लिये उपयुक्त हैं? यदि हां, तो नलकूप वर्ष में कितने दिन चलते और बन्द रहते हैं?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

(१) संडौली नलकूप पर मीटर नहीं लगा है।

(२) लल्लापुर द्वितीय नलकूप का मीटर खराब है।

(१) सण्डौली नलकूप पर सिंचाई की दर पास के नलकूप कंसापुर के सिंचाई दर के औसत पर लगाया जा रहा है।

(२) लल्लापुर द्वितीय नलकूप पर पास के तीन नलकूपों के सिंचाई के औसत शुल्क पर लगाया जा रहा है। नलकूप की मरम्मत के लिए सामान कि ी निश्चित फर्म से नहीं खरीदा जाता है जहां कहीं से भी उपयुक्त सामान सबसे कम दर पर उलब्ध होता है, खरीदा जाता है। जी हां।

नलकूपों का चलना व बन्द होना पानी की मांग पर निर्भर करता है। कभी-कभी नलकूप यांत्रिक, विद्युत् एवं गूल की खराबी के कारण बन्द रहते हैं।

श्री निहाला सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संडौली नलकूप कितने वर्षों से चल रहा है और पानी दे रहा है? दूसरा नलकूप लल्लापुर द्वितीय का मीटर कब से खराब है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संडौली नलकूप १७–१२–१९६९ से चालू किया गया और लल्लापुर १७–१२–७० से जिसका मीटर खराब पड़ा हुआ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब नलकूप में मीटर नहीं है और बराबर के नलकूप के हिसाब से ही उसके चार्जेज लेते हैं तो आप विभिन्न किसानों से बगैर उनके यूनिट की जानकारी किये किस आधार पर विभिन्न चार्जेज लेते हैं?

सिंचाई मंत्री (श्री रामलखन)—

जैसा कि उत्तर में बतला दिया गया है कि आस-पास के नलकूपों पर जितना प्रति एकड़ चार्ज पड़ रहा है, उसी एवरेज से लगा देते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, सन् ६९ से ये नलकूप चल रहे हैं। इतने दिनों के भीतर वाराणसी डिवीजन में प्रेसेजन प्राइवेट लिमिटेड से कितना सामान खरीदा गया?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो विस्तृत सूचना है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, इस सवाल में यह लिखा हुआ है कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नलकूप डिवीजन को नलकूप की मरम्मत के लिये जिन कम्पनियों से सामान खरीदा जाता है उनके नाम व पते क्या हैं और उनसे जो सामान लिये जाते हैं वह नलकूप के लिये उपयुक्त हैं? इस सिलसिले में मैंने यह बात पूछी।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, २० फर्मों से सामान खरीदा गया। इसलिये अलग-अलग के लिये विवरण की आवश्यकता होगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आपके विभाग में जिन कम्पनियों से माल लिया जायेगा उनकी एक लिस्ट है तो यह जो माल बेचा गया है वह लिस्ट में लिखी हुई कम्पनियों द्वारा बेचा गया है, या बाहर से?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पहले सामान हम विभागीय कार्यशालाओं से लेते हैं। अगर वहां उपलब्ध नहीं होता तो रेट-कांट्रैक्ट फर्म्स से लेते हैं। और अगर वहां भी उपलब्ध नहीं होता तो फर्मों से कोटेशन्स इनवाइट करके लेते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी को मालूम है कि संडौली और लल्लापुर द्वितीय जहां मीटर नहीं लगा हुआ है, उसके सम्बन्ध में एक शिकायत मिली है कि एक बअसर आदमी, चूंकि मीटर नहीं लगा हुआ है, अपना खेत अधिक सींचता है और गरीब किसानों पर उसकी वसूली का भार ज्यादा डाल देता है। क्या इस प्रकार की शिकायत उनको मिली है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ जांच करवा कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामलखन---

शासन को इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करवा ली जायेगी।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रेसीजन कम्पनी, वाराणसी की चर्चा की गई है तो क्या वह किसी सहायक इंजीनियर, जो आज कल बलिया में हैं, उसकी वह कम्पनी है ? और क्या मंत्रीजी को यह जानकारी ह कि जो टच्यूबवेल्स सरकार के चल रहे हैं उन दोनों टच्यूबवेल्स के बीच में इंजीनियर की जमीन पड़ती है ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, वाराणसी ने जिस कम्पनी की चर्चा की गई है, उसके माल को रिजेक्ट कर दिया था और इसके बाद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने उनके खिलाफ एक्शन लिया ? क्या माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि २६-३-७२ को माननीय मंत्री जी को सूचना दी गई और उस सूचना के अनुसार इंजीनियर का ट्रांसफर किया गया ? यह सब जानकारी इसलिये देनी पड़ रही है ताकि उनकी नोटिस में यह बात आ जाय कि यहां एक श्री आज्ञा दुबे कांग्रेस (आर) के हैं जिनके भाई बलिया में सहायक इंजीनियर हैं। मीटर इसलिये नहीं लगा कि जो जमीन पड़ती है उससे उसकी सिंचाई होती है और उन्हीं की कम्पनी से सामान खरीदा जाता है।

श्री रामलखन---

मान्यवर, प्रश्न ही इतना लम्बा हो गया जिससे समझ में नहीं आता कि किसका उत्तर दिया जाय।

श्री रामबिलास पांडेय---

मान्यवर, छोटा सा प्रश्न किये देता हूं। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रेसीजन कम्पनी जो वाराणसी में है क्या वह श्री आद्या दुबे के भाई जो बलिया में सहायक इंजीनियर हैं, उनकी है ?

श्री रामलखन---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामबिलास पांडेय---

क्या इस कम्पनी से टच्यूबवेल का सामान खरीदा गया है ?

श्री रामलखन---

मान्यवर, किसी पर्टीक्यूलर नलकूपों के लिये सामान नहीं खरीदा जाता। डिवीजन में जितने टच्यूबवेल्स लगाये गये हैं उन सभी के लिये वहां जितनी कम्पनी हैं, जो सामान बेचती हैं, उनसे खरीदा जाता है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, नियम ४९ के अन्तर्गत इस पर चर्चा दे दी जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष---

लिखकर दे दीजिये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मंत्री जी को यहां पर मीटर लगवाने में क्या दिक्कत है?

श्री रामलखन---

विद्युत परिषद् मीटर को लगाता है। उनके यहां मीटरों की कमी है। उनको लिखा जा रहा है कि यदि विद्युत परिषद् मीटर को नहीं लगवा सकता है तो विभाग उसको लगवा दे और उसकी कास्ट उनसे वसूल कर ली जाय।

श्री शिवराज सिंह---

जिन स्थानों में मीटर नहीं है वहां पर किस आधार पर वसूली की जाती है? क्षेत्र के आधार पर अथवा घंटों के आधार पर?

श्री रामलखन---

आसपास के क्षेत्र में नलकूप हैं उनकी जो कास्ट आती है उसी को आधार मानकर जहां पर मीटर नहीं है वहां से वसूल किया जाता है।

श्री निहाला सिंह---

दोनों ही नलकूपों पर आद्या प्रसाद की अधिक जमीन है और इसीलिये वहां पर मीटर नहीं लगाया गया है और इसका भार आसपास के किसानों पर लादा जाता है। आद्या प्रसाद का वहां पर ही नहीं अधिकारियों पर भी काफी जोर है। २६ तारीख को आद्या प्रसाद चीफ इंजीनियर को लेकर वहां गये और उन्होंने उनसे मिस्त्री, अधिशासी अभियन्ता आदि अधिकारियों का ट्रान्सफर करवा दिया। क्या मंत्री जी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे अथवा स्वयं इसकी जांच करेंगे।

श्री रामलखन---

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है वह बेबुनियाद है और किसी अधिशासी अभियन्ता का ट्रांसफर नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है।

श्री उपाध्यक्ष---

बेबुनियाद है, कहा है।

श्री रामधारी शास्त्री---

मान्यवर, आप देख लें।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

मीटरों की शार्टेज है और मीटरों की चोरी भी होती है। क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यह मीटरों की व्यवस्था ही समाप्त हो जाय?

श्री राम लखन---

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन का हेड क्वार्टर गोरखपुर में बनाने का निर्णय

**३—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन का हेड क्वार्टर गोरखपुर में बनाने का निर्णय हाल ही में लिया जा चुका है? यदि हां, तो कब तक यह कार्यालय कार्य करना आरम्भ करेगा?

श्री सोहन लाल धुसिया—

जी नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार ने पूर्वी मंडल को कायम करने का फैसला किया है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां, फैसला किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यदि यह फैसला किया गया है तो फिर उसका हेड क्वार्टर गोरखपुर को न बना कर अन्य स्थान में बनाने का क्या कारण है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

वाराणसी में पूर्वी मंडल का क्षेत्र कार्यालय स्थापित किया जायगा। इसकी वजह यह है कि गोरखपुर में रेलवेज की सुविधा नहीं है। वाराणसी में दोनों ही लाइनें जाती हैं। वहां पर हमको भवन की भी सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इसी कारण से वाराणसी में ही इसको स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

श्री राम गोपाल संड—

मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि महाराष्ट्र की परीक्षा समिति का ७ मंजिला भवन है और वहीं से सारे महाराष्ट्र में परीक्षायें ली जाती हैं। उसका वहीं से संचालन होता है। फिर क्या कारण है कि इलाहाबाद से इसको वाराणसी किया जा रहा है। क्या यह क्षेत्र मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी का है, इसलिये इसको किया जा रहा है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

न तो वह मेरी बात है और न मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र की बात है। बात तो परीक्षा पद्धति के बारे में है। हमारे यहां लाखों विद्यार्थी, लाख १० विद्यार्थी हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षा में बैठते हैं। रोज ही उस पर प्रश्न हुआ करता है। उसका इन्तजाम करने में बड़ी भारी कठिनाई हो गई है। इसलिये यह निर्णय लिया गया कि उनका कार्यभार बट जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ख्याल करते हुये कि पूर्वी मंडल, वाराणसी और गोरखपुर कमिश्नरियां दोनों एक किनारे पर हैं, तो नया मंडल शिक्षा का जो खुलना है, उसको बीच में खोलेंगे, जिससे सभी को लाभ हो सके?

श्री उपाध्यक्ष—

किस जगह पर?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

बीच में खोलने का विचार किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

फैजाबाद में हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा कहना कि हिन्दुस्तान का बीच किस स्थान पर है बड़ा कठिन है लेकिन जबलपुर के पास एक स्थान पर मैंने देखा है कि वहां पत्थर गड़ा है जो कि भारत के बीचोबीच है। कुछ करौंदी गांव को मध्य में मानते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अंग्रेजों ने तय किया था कि देहरादून को राजधानी बनायेंगे। वैसे भी...

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न करने की गुंजाइश होती है तो प्रश्नकर्ता को मैं अवसर देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बतलाया गया कि छोटी लाइन होने से कठिनाई ह। तो आसाम में तो सभी जगह छोटी लाइन है, तो वहां तो ऐसी बात नहीं है। अगर छोटी लाइन के कारण कोई कठिनाई है तो सरकार उसको बड़ी लाइन कर दे और इसका सर्वे भी हो चुका है। श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि सरकार ने यह बहाना बनाया है, सही बात दूसरी है। जिला परिषद् के मंडल के काम में छोटी लाइन और बड़ी लाइन से कौन सी दिक्कत हो रही है जिसके लिये बड़ी लाइन होना चाहिये ? और दूसरे सरकार ने वहां भवन प्राप्त करने के लिये कौन-कौन सी कोशिश की हैं जिनके नाकामयाब होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न में तो बहस आप शामिल कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इनका पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण है। पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गई है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप कह सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन्होंने कौन सी ऐसी बात देखी है जो बड़ी लाइन होने के लिये अनिवार्य है और किन-किन एजेन्सीज से भवन खोलने के लिये कोशिश की है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

यह तो विचार की बात बतलाई है। अभी तो एक सेन्टर मेरठ में आरम्भ किया है। यह तो बड़ा निणय लिया गया है। चार नाम बतला दिये गये हैं। विस्तार से बात तभी होगी जब निश्चित होगा कि यहां कार्यालय खोलना है। मेरा यह भी निवेदन है कि अगर इसी तरह से मर्दुमशुमारी बढ़ती गई और परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती गई तो न केवल यह चार कार्यालय खोलने होंगे, बल्कि और भी क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है। प्रश्नों का प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना है और बहस नहीं करना है। सरकार को सुझाव दे सकते हैं लेकिन बहस करने से काम नहीं चलेगा।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पश्चिमी रीजन में जो दफ्तर ले जा रहे हैं, मैं यह इत्तला दे रहा हूं, कि वहां एक जूनियर इन्सपेक्टर को लगा रहे हैं, तो क्या वह जनता का हित और सहूलियतें ध्यान में रखते हुये वहां सुपीरिअर आफिसर नियुक्त करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जिस तरह से व्यवस्था उचित होगी, वह मैं करूंगा।

श्री हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने कोई सुझाव इस सम्बन्ध में दिया है या शिक्षा समिति ने सुझाव दिया है कि गोरखपुर में बनाया जाय ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने नहीं, लेकिन समिति ने कहा था कि गोरखपुर में बनाया जाय।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

आप बिकेन्द्रीकरण माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कर रहे हैं तो इसको देखते हुये आपने मेरठ में एक कार्यालय खोला भी है, परन्तु वहां कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वेतन मान में अन्तर है। वहां के मुकाबले में इलाहाबाद में काम करने वालों का वेतन मान ज्यादा है, तो क्या वही वेतन मान आप वहां देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बड़ा विस्तृत आपने कर दिया।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, यह तो बड़ा अहम प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार प्रश्न करेंगे तो कोई अन्त नहीं होगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

इलाहाबाद और वाराणसी दोनों निकट स्थान हैं। बोर्ड का विकेन्द्रीकरण केवल इस मंसा से है कि इससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा हो सके, तो क्या गोरखपुर मंडल, बनारस में डालना ठीक था ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आप बहस कर रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

वाराणसी और इलाहाबाद निकट स्थान हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद् का आप विभाजन कर रहे हैं तो क्या गोरखपुर उसके लिये सर्वोत्तम स्थान है और वहीं करना चाहिये ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

स्थानांक के लिये विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों की संख्या इस तेजी से बढ़ रही ह कि हमें उसके अलावा और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता होगी और करेंगे भी हम।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

इतनी देर के बाद आपने समय दिया। यह व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अव्यवस्था का व्यवहार है। असल में जब नजर पड़ेगी तभी समय देंगे हम किसी माननीय सदस्य को....

श्री राम कुमार शास्त्री—

मान्यवर, यह जो कार्यालय स्थापित हो रहा है, उसके लिये क्या बस्ती मौजूं जगह नहीं हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न ठीक नहीं है। अब हम प्रश्न २ लेते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-सचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१—श्री राम गोपाल सण्ड, श्री त्रिलोक चन्द, श्री धर्मवीर सिंह, श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त—

(३-४-७२ को वक्तव्य दिया गया, निरस्त)

रुहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली का मौजीपुरा रजवहा

*२—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि जिला बरेली में उनके विभाग, रुहेलखण्ड डिवीजन नहर विभाग के अन्तर्गत नहर मौजीपुरा रजवहा में १५ जनवरी, १९७२ से २५ मार्च, १९७२ तक पानी नहीं छोड़ा गया जिसके कारण लाखों एकड़ गेहूं सूख गया और हजारों बीघे गन्ना नहीं बोया जा सका? यदि हां, तो सरकार दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला बरेली में रुहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली के अन्तर्गत मौजीपुरा रजवहा माह जनवरी, १९७२ में दिनांक २१-१-७२ तक चला है। उसके बाद यह ९-३-७२ और २३-३-७२ वाले सप्ताहों में भी चलाया गया है। इस नहर को रोस्टर के अनुसार २१-१-७२ के बाद १०-२-७२ वाले सप्ताह में चलाना था परन्तु ३-२-७२ से ६-२-७२ तक वर्षा हो जाने के कारण इस पर पानी की मांग नहीं रही। उसके बाद रोस्टर के अनुसार इस नहर को २३-३-७२ के सप्ताह में चलाना था परन्तु जनता की अत्यधिक मांग पर दूसरे क्षेत्रों की नहरों का पानी कम करके नहर को १३-३-७२ से १७-३-७२ तक और २३-३-७२ वाले सप्ताह में चलाया गया।

नहर पर कम पानी मिलने के कारण गेहूं की फसल नष्ट नहीं हुई है तथा नहर के माह, जनवरी में पानी मिलने और सामयिक वर्षा होने के कारण गन्ने की बुआई में कमी नहीं हुई है।

नहर के न चलाये जा सकने का कारण किसी अधिकारी की त्रुटि नहीं है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चेतराम गंगावार—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा प्रश्न कुछ और है और जवाब कुछ और है। उसमें रजबहा, बरेली और रजबहा, मौजीपुरा, दोनों नहरों का जिक्र किया है। आखिर में मैंने लिखा कि क्या इसके कारण अधिक अन्न उपजाओ कार्य-क्रम में बाधा नहीं पड़ी। मैंने दो नहरों के बारे में प्रश्न पूछा मगर इसमें एक नहर के बारे में लिखा है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आप का जो यह कहना है कि जनता को जरूरत ही नहीं थी वह जानकारी आप को किसने दी? क्या वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, श्री अतीकुर्रहमान ने दी? या मंत्री जी ने स्वयं जाकर जांच की?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फरवरी में वर्षा हो जाने के कारण नहर नहीं चली, लेकिन २१ जनवरी से चली और उसके बाद मार्च में भी चली।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरी यह निश्चित जानकारी है कि पानी न मिलने के कारण वहां पर गन्ना बोया ही नहीं जा सका, क्या यह जानकारी है मंत्री जी को?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गन्ना तो इन वर्षों में बहुत काफी बोया गया है। १३७८ फसली में ५०० एकड़ तथा १३७९ में ४०० एकड़ और १३८० में भी करीब ५५० एकड़ में गन्ना बोया गया है। अतः यह कहना गलत है कि गन्ना नहीं बोया जा सका।

रोडवेज कर्मचारियों का संघर्ष छेड़ने की नोटिस

*३—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री रामगोपाल संड—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों ने ७ अप्रैल, १९७२ से उत्तर प्रदेश में प्रभावी संघर्ष छेड़ने की नोटिस दी है? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या-क्या हैं?

परिवहन उपमंत्री (श्री आबिद अली)—

जी हां, उनकी प्रमुख मांग संलग्न सूची में उल्लिखित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१४ पर)

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उनकी मांगें स्वीकार करने में क्या कठिनाई है?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

उनकी मांगों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे कि उन कर्मचारियों को उनके नियम के अन्तर्गत रहते हुये भी सरकारी कर्मचारी माना जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब यहां पर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री रामगोपाल संड—

वर्ग ४ के कर्मचारियों को रेगुलर करने तथा कानपुर सेंट्रल वर्कशाप के समान वेतन भत्ता दिये जाने की जो मांगें हैं मुख्य, क्या मंत्री जी उनको स्वीकार करेंगे? या इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है?

श्री बलराम सिंह यादव—

अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, विचार हो रहा है। यूनियन के प्रतिनिधि जब मुझसे मिले थे तो उन्होंने यह मांग की थी कि वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू न किया जाय। दूसरा उनका यह था कि जो कारपोरेशन आप बना रहे हैं, वह न बनाया जाय। जो वेज-बोर्ड की रेकमेंडेशन थी, उसके लिए जब बातचीत हुई, तो उसमें यह निर्णय हुआ कि इसकी रेकमेंडेशन तब तक के लिए स्थगित कर दी जाए जब तक पे कमीशन अपनी रेकमेंडेशन न दे दे।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि सेंट्रल वर्कशाप कर्मचारी संघ, राजकीय वाहन संघ आदि यूनियनों ने यह नोटिस दिया है कि हम २० तारीख से हड़ताल करेंगे, इससे सारे प्रदेश में यातायात ठप हो जाने की आशंका है? यदि हां, तो इस स्थिति को टालने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है?

श्री बलराम सिंह यादव—

सभी यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है। आज भी उन पर हम विचार करने जा रहे हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर जिले का निर्माण हेतु स्वीकृत शिकारपुर-पहासू रोड

*१—श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत सन् १९७० व ७१ में जनपद बुलन्दशहर में शिकारपुर-पहासू रोड निर्माण हेतु स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो उस कार्य की अब तक कितनी प्रगति हुई है और पूर्ण होने में अब कितना समय और लगेगा?

संसदीय कार्य उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

जी हां। निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। मार्च, १९७५ तक इस सड़क के बन जाने की आशा है।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काम शुरू होने की आशा कब से है, किस तारीख से है?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

जमीन अध्याप्त करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही जमीन मिल जाएगी, काम शुरू हो जाएगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह वही शिकारपुर है, जो प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है।

(हंसी)

टिहरी गढ़वाल जिले का स्वीकृत टिहरी-प्रतापनगर मोटर मार्ग

*२—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में टिहरी प्रतापनगर मोटर मार्ग के निर्माण के परिव्यय किस वित्तीय वर्ष में स्वीकार किये गये थे और अब तक उस मोटर मार्ग के निर्माण में क्या-क्या प्रगति हुई है ?

श्री गुलाब सिंह—

टिहरी–प्रतापनगर–लम्बगांव मार्ग की स्वीकृति १९६७–६८ में दी गई थी। टिहरी प्रतापनगर मार्ग के कुछ भाग के टिहरी में प्रस्तावित बांध के डूब में आने की संभावना से निर्माण-कार्य रोक दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क की कुल लम्बाई कितनी है ? और कितनी सड़क जलमग्न हो जाएगी ? और यह जलाशय कब तक बनेगा ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इसकी कुल लम्बाई २२ मील है। १.१५ मील सड़क जलमग्न होगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

टेहरी–डोगरा–मोटर मार्ग जो जलमग्न होने वाला है वह बनाया जा रहा है, और दूसरे वाले को आपने स्थगित कर दिया है, ऐसा क्यों ?

श्री राज बिहारी सिंह—

यह प्रश्न तो बहुत सही नहीं मालूम पड़ता है। जो १.१५ मील का हिस्सा डूबने वाला था इसीलिये वह बन्द कर दिया गया है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

टेहरी नगर से उनकी एक सड़क देवप्रयाग जा रही थी, उस सड़क का वह हिस्सा बनाया जा रहा है, जो जलमग्न होने जा रहा है, उसी तरह से एक सड़क घोंटी है वह भी जलमग्न होने वाली है, उसको भी बनाया जा रहा है। एक उत्तरकाशी की तरफ जा रही है वह भी बनाई जा रही है, तो इस सड़क पर ही यह कानून क्यों लागू हो रहा है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इस सड़क के बारे में पूछा गया था, लेकिन माननीय सदस्य ने कई अन्य सड़कों का जिक्र किया है, उनके लिए सूचना की आवश्यकता है। यह सही है कि भिन्न-भिन्न सड़कें ४६ किलोमीटर इसमें आयेगी।

श्री इन्द्रमणि—

खाली सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर जितने भी रचनात्मक काम हो रहे हैं, उसमें औरों को तो बनाया जा रहा है, इसको ही क्यों अलग कर दिया गया है ?

श्री राज बिहारी सिंह—

इसके बारे में एक मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस सड़क को और इस पर बनने वाले एक पुल को स्थगित कर दिया जाए।

श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताएंगे कि टिहरी बांध के बनने में अभी काफी लम्बा समय लगेगा और तब तक क्या उस जिले में निर्माण कार्य रुका रहेगा ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, इस सड़क पर, २२ मील की सड़क है, जिसमें २० मील पर काम लगा हुआ है। यह सड़क जो डूब रही है १.१५ मील है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री मेरी सूचना को सही समझ कर अपना उत्तर सही करने की कृपा करेंगे कि सड़क का १५ मील हिस्सा नहीं केवल १ मील हिस्सा डूब रहा है और क्या यह सही है कि टेहरी-गढ़वाल के जिलाधीश ने फिर से विभाग को संस्तुति की है कि सड़क का निर्माण हो ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क के निर्माण के बारे में पुनर्विचार करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह जरूर है कि जिलाधीश ने पत्र लिखा है। उस पर मुख्य अभियन्ता से संस्तुति मांगी है कि उनकी क्या राय है। उनकी राय आने पर विचार होगा।

परिवहन विभाग के कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप से सामानों की चोरी

*३—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को पता है कि कानपुर सेंट्रल वर्कशाप से सन् १९६८ से ७१ की अवधि में क्राउन ह्वील, गेयर बाक्स व बस आदि लाखों रुपये की मालियत का सामान गायब हुआ ? यदि हां, तो गायब हुये सामान का वर्षवार विवरण व मालियत क्या है ? उसकी जिम्मेदारी किन-किन पर आती है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आबिद अली—

जी हां, वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९१५–९१७ पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि इस सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने उसको पढ़ने की कृपा की है ? और अगर पढ़ा है तो नोट करने की कोशिश की है कि कानपुर सेंट्रल वर्कशाप में चोरी की वारदातें निरन्तर बढ़ रही हैं और चोरी में जो अमाउण्ट इनवाल्व्ड है वह भी बराबर बढ़ रहा है? अगर इस तरफ उनका ध्यान गया है तो क्या वे बतायेंगे कि यह वाच ऐण्ड वार्ड की त्रुटि के कारण है या वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा माननीय सदस्य ने सेंट्रल वर्कशाप में चोरियां हुई हैं और पिछली दो तीन घटनाएं जो हुई हैं काफी बड़ा अमाउंट इनवाल्व्ड है। जहां तक उनकी छानबीन का सम्बन्ध है कुछ मामलों में तो यह पाया गया है कि अस्सिटेंट स्टोर कीपर्स, स्टोर कीपर्स जिम्मेदार थे। उनके खिलाफ ऐक्शन भी लिया गया। कुछ मामलों में ऐसे लोग, जो वहां पर चौकीदार वगैरह होते हैं उनको जिम्मेदार पाया गया। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैंने पूछा कि अगर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है वारदात में भी और चोरी गये अमाउंट में भी और उनकी समझ में यह वाच ऐण्ड वार्ड की त्रुटि के कारण है, तो उसमें कुछ हेरफेर किया जाय उस तरफ ध्यान गया है कि वाच ऐण्ड वार्ड की व्यवस्था को सुधारा जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इस तरफ कोई विचार नहीं किया हमारी सरकार ने। इतना अवश्य महसूस किया है कि सीक्योरिटी का अरेंजमेंट जो हैं उनको टाइटेन किया जाना चाहिए और उसका समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए उसके लिए तीन असिस्टेंट गेट सार्जेन्ट्स को बढ़ाया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि कितनी धनराशि इनवाल्ड है, कितने का सामान गया है?

श्री उपाध्यक्ष---

लिखा हुआ है इसमें। लेकिन मामला अदालत के अन्तर्गत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो तालिका मेज पर रखी गयी है उसके दूसरे पन्ने में आइटम १०, ११, १२ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि इन मामलों की रपट थाने में दर्ज नहीं करायी गयी और पुलिस को जांच का मौका नहीं दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसमें मुझे भी कुछ विभागीय अधिकारी की गफलत मालूम पड़ती है। जिस समय यह बहुत बड़ी चोरी हुई नाजिल की उस समय मैंने स्वयं सेंट्रल वर्कशाप में यकाएक जाकर चेकिंग की और जब सेंट्रल वर्कशाप के अन्दर गया तो एक ट्राली आउट हो रही थी, उसमें कुछ सामान आउट किया जा रहा था, उसको रोकवाया। उसमें ११ आइटम्स रिंचों के एक्सेस निकले। तो इसी भावना से प्रेरित होकर कि वहां पर चोरियां बढ़ रही हैं। मैंने स्वयं जाकर सेंट्रल वर्कशाप का निरीक्षण किया था और १ अप्रैल को ११ एक्सेस रिंचें बाहर जाती हुई पकड़ी थीं। उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन मामलों में मेरे ख्याल से स्लैकनेस रही है। पुलिस में रिपोर्ट की जानी चाहिये थी। इसके बारे में मैं जानकारी करूंगा और उन अधिकारियों से जवाब तलब करूंगा क्यों उन्होंने इस सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट नहीं की।

पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार डिपो में बसों का माडल

*४---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वारा डिपो में रोडवेज की किस-किस माडल की बसें हैं तथा कोटद्वारा से देहरादून, पैडसाल और मुसागली के लिये कब रोडवेज की बसें आरम्भ की गईं और कब समाप्त कर दी गईं और इन सड़कों को वहां के जनरल मैनेजर ने कितनी बार निरीक्षण किया ?

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला पौड़ी-गढ़वाल के कोटद्वारा डिपो में निम्नलिखित माडल की बसें हैं :

संख्या	माडल
१	१९५७
५	१९५८
३	१९५९
२	१९६१
२	१९६२
२	१९६३
४	१९६४
२९	१९६५
२	१९६६
२	१९६८
२	१९७१
योग ५४	

कोटद्वार से देहरादून मार्ग पर रोडवेज की बसें दिनांक १-१२-६५ से आरम्भ की गईं जो सीजनल सर्विस है। कोटद्वार से फैडखाल तथा कोटद्वार से मूसागली मार्गों पर बसें क्रमशः दिनांक ४-५-६८ एवं दिनांक ४-६-६८ से आरम्भ की गईं। इन दोनों मार्गों की बसें दिनांक १२-३-७१ से मार्गों के लिये रोडवेज को परमिट न मिलने के कारण बन्द कर दी गई थीं।

जनरल मनेजर ने इन मार्गों का निरीक्षण नहीं किया है।

अलीगढ़ क्षेत्र के सहायक प्रधान प्रबन्धक, यातायात विभाग द्वारा चालक की सेवाओं की समाप्ति एवं पुनः नियुक्ति

*५—श्री कल्याण सिंह —

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक प्रधान प्रबन्धक, राजकीय यातायात विभाग अलीगढ़ रीजन, अलीगढ़ के अपने आफिस आदेश संख्या ए० जी० एम० (अलीगढ़) १-१/९५०५, दिनांक १२-८-७१ के द्वारा किस-किस चालक की सेवायें किन कारणों से समाप्त कर दीं और अपने आफिस आर्डर संख्या ए० जी० एम० (अलीगढ़)-१-१/१०४५३, दिनांक २-९-७१ के द्वारा उपरोक्त सेवा निरस्त चालकों में से किस-किस को पुनः सेवा में किन कारणों से फिर ले लिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अलीगढ़ क्षेत्र के सहायक प्रधान प्रबन्धक ने अपने आदेश सं० ए० जी० एम०/अली/१-१/९५०५ दिनांक १२ अगस्त, १९७१ के द्वारा सर्वश्री सावन्ती राम व अब्दुल शकूर, चालकों की सेवायें उनसे हुई बस दुर्घटनाओं के कारण समाप्त कर दी थीं। सहायक प्रधान प्रबन्धक ने श्री सावन्ती राम को, अनुकम्पा के आधार पर सेवा का अवसर पुनः प्रदान कर दिया। श्री अब्दुल शकूर चालक न्यायालय द्वारा एक २७९/३३७ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सजा पाने पर नौकरी से अलग किए गए थे। वे अपील में इल्जाम से मुक्त कर दिए गए तो उन्हें पुनः नियुक्ति दी गयी।

बलिया के रोडवेज कार्यालय एवं रोडवेज बसों को अराजक तत्वों द्वारा जलाये जाने की दुर्घटना

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ८ नवम्बर, १९७१ को बलिया जनपद में कुछ अराजक तत्वों के गिरोह ने जिला अधिकारियों की उपस्थिति में रोडवेज की बसों को जलाया, और रोडवेज कार्यालय विभाग को भी गहरी क्षति पहुंचाई ? यदि हां, तो इस काण्ड से रोडवेज विभाग को किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी क्षति हुई है और सरकार इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

८ नवम्बर, सन् १९७१ को बलिया जनपद के कुछ छात्रों के गिरोह ने रोडवेज की बसों को जलाया तथा रोडवेज कार्यालय को भी क्षति पहुंचायी जिससे कि रोडवेज विभाग को निम्न प्रकार की क्षति पहुंची :—

(अ) बसों के जलाने तथा तोड़फोड़ से अनुमानित क्षति रु० ३२,४००।
(ब) रोडवेज कार्यालय को क्षति रु० ३४।
(स) रोडवेज की गाड़ियों को न चलाने के कारण हानि रु० १५,०००।
(द) टेलीफोन रिसीवर के टूटने से हुई हानि रु० १९।

इस कांड की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई है।

*७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या परिवहन मंत्री यह बतायेंगे कि स्थानीय रोडवेज बिभाग ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारियों को कब दी और मौके पर पुलिस तथा जिलाधिकारी कब-कब पहुंचे हैं ? और बस जलाने की घटना कब प्रारम्भ हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को ८-११-७१ को ही दे दी गई थी और इस काण्ड की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है जो कि अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैजिस्टीरियल जांच पूर्ण होने पर सभी बातें स्पष्ट होंगी।

अधिदर्शकों को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी परीक्षा में कृपांक

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि अधिदर्शकों को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी परीक्षा मई, १९७० के कतिपय परीक्षार्थियों को शासनादेश संख्या १२६० ए० डी०/२३-सि० (१)-१७७/७१, दिनांक १-१-७२ द्वारा लगाई गई पाबन्दी कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के अतिरिक्त ग्रेस मार्क किसी भी बात के नहीं दिये जायेंगे, का उल्लंघन कर ९ अंकों का ग्रेस मार्क देकर उत्तीर्ण घोषित किया गया ? यदि हां, तो ऐसे घोषित किये गए परीक्षार्थियों के नाम और पते क्या हैं तथा अलग-अलग ग्रुपों में उन्होंने अलग-अलग कितने अंक प्राप्त किये थे और उन्हें दी गई इस रियायत का आधार क्या है ?

श्री रामलखन—

शासनादेश सं० १२६०-ए० डी०/तेईस-सि०१/१७१/७१ दिनांक १ जनवरी, १९७२ इस वर्ष तथा आगामी में ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के निमित्त निर्गत किया गया

इसमें उल्लिखित प्रेस मार्क पर पाबन्दी वर्ष, १९७० में हुई परीक्षा पर लागू नहीं है। अतः उक्त शासनादेश के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष १९७० में हुई परीक्षा में १३ अधिदर्शक कृपांक से उत्तीर्ण हुए थे। इन अधिदर्शकों के नाम, पते तथा इनमें से प्रत्येक को कितने प्रेस मार्क दिये गये, उनका विवरण संलग्नक में दिया गया है। इसमें अलग-अलग ग्रूपों में प्राप्तांक का भी ब्योरा है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ बेंच के समक्ष रिटों में इन कृपांक से उत्पन्न विवाद विचाराधीन हैं और उनमें इसके आधार के विषय में विवाद है। कृपांक का निर्णय शासकीय पत्रांक ३९२९-ए-तेईस आई-ए/७१ दिनांक ६-७-७१ द्वारा जारी हुआ था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१८ पर)

आगरा नहर के रजवाह टरमिनल से पलेवा के लिये पानी का न मिलना एवं फतेहाबाद की असिंचित भूमि

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

*९—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नहर के रजवाह टरमीनल से १९७१ के अक्तूबर में पलेवा, लिये पानी न मिलने के कारण हजारों एकड़ भूमि बंजर रह जाने से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी जांच सरकार करायेगी? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें किसानों तथा विधायकों मिली हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री रामलखन—

इस क्षेत्र में प्रश्नगत अवधि में पलेवा के समय तक वर्षा होती रही। इसलिये पानी न मिलने का तथा उसके फलस्वरूप किसानों का नुक्सान होने का प्रश्न नहीं उठता।]

प्रश्न का द्वितीय व तृतीय भाग—

जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में जो तिहाई भमि असिंचित है उसके सिंचित बनाने की क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या विशेष परिस्थिति तथा क्षेत्र में पिछड़पन को देखत हुए उपरोक्त तहसील को सिंचाई कार्यक्रम के उस प्रदेशीय कार्यक्रम में शामिल करने की कृपा करेंगे जिसमें पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है?

श्री रामलखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

फतेहाबाद तहसील में जो भूमि असिंचित रह गयी है उसमें राम गंगा परियोजना के अन्तर्गत नहरों द्वारा सिंचाई प्रस्तावित है। इसके द्वारा ६००० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त ७००० एकड़ क्षेत्र को १५ नलकूप लगा कर सिंचाई सुविधा देने का प्रस्ताव है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने का प्राविधान किया गया है।

आजमगढ़ जिले में गोबिन्द दशमी के मेले के अवसर पर रोड़वेज बस से लाभ एवं प्राइवेट गाड़ियों के परमिट

*११—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपक्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत गोबिन्द दशमी के मेला में रोडवेज बस परिचालन से वर्ष १९६७–६८, ६८–६९, ६९–७० और ७०–७१ में वर्षवार सरकार को कुल कितने रुपये का लाभ हुआ है? और यदि अन्य वर्षों के मुकाबले घाटा हुआ हो, तो उसका स्पष्ट कारण क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

मेले का लाभ प्रथक नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्टाफ पर खर्च, ईंधन पर खर्च, तथा वियर एन्ड टियर पर खर्च इत्यादि अन्य व्यय में सम्मिलित हैं। प्रश्नगत अवधि में रोडवेज की आय प्रतिवर्ष बढ़ी है। केवल वर्ष १९६९–७० में आय तुलनात्मक रूप से कम रही जिसका एक मात्र कारण प्राइवेट बसों के आपरेटरों को अधिक संख्या में परमिट देना है। आय का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	आय
	रु०
१९६७–६८	८२,३०६.०७
१९६८–६९	१,०६,३५७.६३
१९६९–७०	८९,५७२.११
१९७०–७१	१,४७,१२१.२३
१९७१–७२	२,०२,६४८.७९

*१२—श्री लालसा—

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उपक्षेत्र में जिन सड़कों पर रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं उनपर प्राइवेट यात्रियों के चलाने की परमिट देने का आधार क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आवश्यकता को आंकते हुए कान्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट के आवेदनों पर विशेष अवसरों के लिये अस्थायी परमिट दिये जाते हैं।

टेहरी गढ़वाल जिले में बाल गंगा नदी पर फतेहपुर का पुल

*१३—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में बाल गंगा नदी पर फतेहपुर नामक स्थान पर पुल सबसे पहले कब बना था तथा कितनी बार उक्त पुल टूटा, तथा अब उसके पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री महमूद अली खां)—

प्रश्नगत पुल फरवरी, १९६९ में बनना आरम्भ हुआ, दो बार निर्माण के दौरान यह टूटा था। अब निर्माण कार्य पुनः आरम्भ किया गया है।

गोरखपुर-गोला रोड पर सरकारी बस का न चलना

*१४—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि जिला गोरखपुर में गोरखपुर गोला रोड पर अब तक सरकारी बस न चलाने का क्या कारण है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

गोरखपुर–गोला मार्ग का राष्ट्रीयकरण केवल रोडवेज की बसें चलाने के लिये किया जा चुका है। पर इस मार्ग के प्राइवेट मोटर मालिकों ने उसके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जिसके अनुसार इस मार्ग पर वे अब भी अपनी बसें चला रहे हैं।

अब कानूनी राय लेकर इस मार्ग पर सरकारी बसों के संचालन हेतु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८–एफ(१) के अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी गोरखपुर से रोडवेज को ८ परमिट प्रदान किये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं जिसके स्वीकृत होने पर सरकारी बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

*१५—श्री भानुप्रताप सिंह—

[व्यापकता के आधार पर निरस्त]

बदायूं जिले के मार्गों पर रोडवेज की बसें एवं बदायूं-उझयानी मार्ग पर सिटी बस

*१६—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में किन-किन मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसें चलती हैं एवं क्या सरकार बदायूं-उझयानी मार्ग पर रोडवेज की सिटी बस चलाने का विचार कर रही है?

श्री बलरामसिंह यादव—

बदायूं जिले में निम्नलिखित मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसें चलती हैं—

१—बदायूं—दातागंज
२—बदायूं—बिसौली
३—बिसौली—आसफपुर
४—बदायूं—चन्दौसी
५—बदायूं—सहसवान
६—बदायूं—बिलसी
७—बिलसी—सहसवान

बदायूं–उझयानी मार्ग पर रोडवेज की सिटी बस चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोरखपुर जिले में बांसगांव–माल्हनपार उरूवा मार्ग का नक्शा

*१७—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव–माल्हनपार उरूवा मार्ग का नक्शा माल्हनपार कस्बे के बीच से होकर पहले बनाया गया था जिस पर मुख्य अभियन्ता ने अपनी स्वीकृति दी थी? यदि हां,तो अब इस मार्ग को माल्हनपार कस्बे के बीच से न होकर बाहर स सड़क निकालने का क्या करण है ?

श्री महमूद अली खां--

इस मार्ग का निर्माण माल्हनपार कस्बे के बीच से कराने का प्रस्ताव कभी नहीं था ।

फर्रुखाबाद डिपो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*१८--श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद डिपो के कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा शराब पीकर महिलाओं के समक्ष अशिष्ट भाषा के प्रयोग की जिला अधिकारी फर्रुखाबाद को जनवरी, १९७२ में शिकायत मिली है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलरामसिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[१९ अप्रैल, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पौड़ी-गढ़वाल के मरोड़ा डैम से सम्बन्धित श्री सेवेज की रिपोर्ट एवं विभिन्न बांधों पर कार्य

*१--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल में बनने वाले मरोड़ा डैम के विषय में बांध विशेषज्ञ श्री सेवेज ने कोई रिपोर्ट दी थी? यदि हां,तो क्या मन्त्री उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम लखन--

जी हां । चूंकि रिपोर्ट अंग्रेजी में है अतः यदि सदस्य महोदय चाहें तो उसे मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

*२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय किन-किन बांधों पर कार्य हो रहा है और जो डैम निकट भविष्य में शुरू होने वाले हैं क्या उनमें मरोड़ा बांध भी सम्मिलित है?

श्री राम लखन--

प्रश्न का प्रथम भाग--

(१) रामगंगा बांध
(२) नानक सागर बांध (मरम्मत कार्य)
(३) जामनी बांध
(४) चन्द्रावल बांध
(५) हरीपुरा बांध
(६) अडवा बांध
(७) टेहरी बांध (प्रारम्भिक कार्य)

प्रश्न का द्वितीय भाग--

जी नहीं । अभी इस बांध पर कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*३--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह--

[निरस्त]

मनकापुर–बभनान तथा मसकनवां–सिकन्दरपुर के सड़कों का निर्माण

*४––श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मनकापुर से बभनान, जिला गोंडा तथा मसकनवां, जिला गोंडा से सिकन्दरपुर जिला बस्ती सड़क के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक २६ नवम्बर, १९७१ को मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त दोनों सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में सा० नि० वि० द्वारा कौन-सी कार्यवाही अब तक की गई है?

श्री बलरामसिंह यादव––

जी हां,

धनाभाव के कारण प्रश्नगत सड़कों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं की अलग-अलग श्रेणियों के पद पर नियुक्ति

*५––श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या माह जुलाई, १९७१ में शासन के ऐसे आदेश हुए थे कि सिंचाई विभाग में नलकूप मन्डलों, डाल मन्डलों तथा कुछ अन्य मैकेनिकल मन्डलों आदि में अभियन्ताओं के कुल पद मैकेनिक अभियन्ताओं से भरे जायेंगे और निदेशक लिफ्ट तथा निदेशक नलकूप के पदों को समाप्त कर उनके स्थान पर दो मैकेनिकल मुख्य अभियन्ता कार्य करेंगे तथा मैकेनिकल का कुल अधिष्ठान एक मैकेनिकल वैयक्तिक सहायक देखेंगे और उपरोक्त मन्डलों के रिक्त स्थान शनैः शनैः सिविल अभियन्ताओं को स्थानान्तरण करके अथवा नई नियुक्ति करके भरे जायेंगे। यदि हां, तो अभियन्ताओं के अलग-अलग श्रेणियों के पद पर इस राजाज्ञा का कितना-कितना पालन हुआ और पूर्ण पालन कब तक हो जायगा?

श्री राम लखन––

सूचना एकत्र की जा रही है।

*६––श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री भाभी यादव––

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बतायेंगे कि माह जुलाई, १९७१ से फरवरी, १९७२ तक नलकूप मंडल तथा लिफ्ट सिंचाई मन्डलों में किसी सिविल सहायक अभियन्ता तथा सिविल अधिशासी अभियन्ता को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों और उनके नाम तथा खण्ड क्या हैं?

श्री राम लखन––

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्तमान इंचार्ज ज्येष्ठ लिपिक यात्री-कर उप विभाग कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोरखपुर का स्थानान्तरण

*७––श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

क्या यह सही है कि वर्तमान इन्चार्ज ज्येष्ठ लिपिक यात्री-कर उप विभाग कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोरखपुर जब इसी कार्यालय में सन् १९६८ में सहायक लिपिक के पद पर कार्य करते थे तो तत्कालीन कमिश्नर श्री श्रीपत ने इनका स्थानान्तरण करवाया था और लिखा था कि इनको कभी फिर दुबारा गोरखपुर कार्यालय में न भेजा जाय परन्तु अप्रैल, १९७१ में इनको गोरखपुर कार्यालय में किन कारणों से भेजा गया? क्या यह भी सही है कि शिकायतों पर ही फरवरी, १९७२ में इनका स्थानान्तरण फिर किया गया परन्तु उस तबादले को फिर कैन्सिल किया गया तो उसके क्या कारण थे?

श्री बलरामसिंह यादव—

श्री दया शंकर लाल, संभागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में दिनांक ८–१–६८ से २६–१–६६ तक जूनियर क्लर्क के पद पर थे। इसके बाद इनका स्थानान्तरण कानपुर और वहां से नैनीताल हुआ। दिनांक ३०–७–७० को इन्हें सीनियर क्लर्क के पद पर प्रोन्नति दी गयी। दिनांक १–७–७१ को यह फिर स्थानान्तरित होकर गोरखपुर नियुक्त हुए। श्री लाल के विरुद्ध १६६८ में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनके बारे में आयुक्त, गोरखपुर ने परिवहन आयुक्त को लिखा था और परिवहन आयुक्त ने इस मामले को शासन को भेजा था। ७ अगस्त, १६६६ को गोरखपुर से इन्हें स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए शासन के स्तर पर यह लिखा गया था कि इन्हें फिर गोरखपुर स्थानान्तरित न किया जाय। श्री लाल की वैयक्तिक कठिनाइयां परिवहन मन्त्री जी के सम्मुख २२ जून, १६७१ में लाई गयीं और चूंकि इनके स्थानान्तरण के पूर्व आदेश शासन के अनुमोदन से किये गये थे, परिवहन मन्त्री ने २२–६–७१ को यह आदेश दिये कि इनका स्थानान्तरण नैनीताल से गोरखपुर कर दिया जाये। तदनुसार २८ जून, १६७१ को परिवहन आयुक्त द्वारा आदेश जारी किये गये और श्री लाल ने गोरखपुर में १–७–७१ को कार्यभार सीनियर क्लर्क के पद पर लिया। ५ फरवरी, १६७२ को इनके सम्बन्ध में मौखिक रूप से बताई गयी शिकायत के आधार पर परिवहन आयुक्त के कार्यालय से इनका स्थानान्तरण लखनऊ किया गया। दिनांक ६–२–७२ को गोरखपुर के ३ माननीय विधायकों ने परिवहन मन्त्री जी को यह लिखा कि इनके सम्बन्ध में की गयी शिकायतें सही नहीं हैं और यह एक शैक्षिक परीक्षा में अनुमति लेकर बैठ रहे हैं, उस अवसर से इन्हें वंचित नहीं करना चाहिये। इस पर दिनांक १०–२–७२ को परिवहन मन्त्री जी ने यह आदेश दिये कि इस समय स्थानान्तरण उपयुक्त नहीं होगा और तदनुसार इनके स्थानान्तरण के आदेश १८–२–७२को निरस्त किये गये। इस सम्बन्ध में अब दिनांक १८–२–७२ को यह आदेश दिये गये हैं कि ग्रीष्मकाल के वार्षिक स्थानान्तरणों में श्री लाल को गोरखपुर से स्थानान्तरित कर दिया जाये।

भारत नैपाल सीमा स्थित बबूला घाट के निकट बस दुर्घटना एवं स्वीकृत सड़कें

*८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर सन् १६७१ के अन्तिम सप्ताह में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की मरम्मत बुरे ढंग से करने के कारण भारत नैपाल सीमा स्थित बबूला घाट के निकट एक भीषण बस दुर्घटना में १ दर्जन से अधिक व्यक्ति मर गये हैं? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री महमूद अली खां—

दुर्घटना सड़क की मरम्मत बुरे ढंग से करने के कारण ही हुई यह कहना तो विवादास्पद बात है, फिर भी हम इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर रहे हैं।

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राज्य में वित्तीय वर्ष १६७०–७१ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिन पर १५ नवम्बर, १६७१ तक निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें हैं और कार्य आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है।

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के नौतनवां और लक्ष्मीपुर में सिंचाई की व्यवस्था

श्री रामलगन दूबे (जिला गोरखपुर)—

*१०—क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई व्यवस्थाओं से शून्य अनवरत एवं कृषि मात्र पर निर्भर जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र नौतनवां और लक्ष्मीपुर की सिंचाई व्यवस्था के लिये किसी प्रकार की योजनायें शासन के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्या और उनको कब तक प्रारम्भ करने का विचार है?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला कानपुर में राम गंगा नहर का निर्माण

*११—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर परगना के अन्तर्गत रामगंगा नहर का निर्माण कार्य कब तक पूरा होकर सिंचाई के लिये कृषकों को पानी उपलब्ध होने लगेगा?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर परगने के ग्रामों से बरसाती पानी निकालने की योजना

*१२—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगें कि कानपुर परगने के ग्राम ईश्वरीगंज मजरा, ग्राम बिनौर तथा ग्राम इटारा से बरसाती पानी निकालने के लिये नाला खुदवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जावेगा?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी नहीं।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

प्रश्न नहीं उठता।

*१३—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

रोडवेज विभाग की अंग्रेजी में छपी परिवाद पुस्तिकायें

*१४—श्री चौ० रामपालसिंह यादव—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि रोडवेज के कौन-कौन रीजन में बसों में रहने वाली परिवाद पुस्तकें अब भी अंग्रेजी में छपी हुई हैं? प्रदेश की राजकाज की भाषा हिन्दी होने पर भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और सभी स्थानों पर हिन्दी में परिवाद पुस्तिकायें कब तक रख दी जाएंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलरामसिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के १२ रीजनों में से केवल कानपुर, कुमायूं, वाराणसी, लखनऊ, देहरादून, मेरठ तथा टनकपुर रीजनों में अंग्रेजी में पहले से छपी परिवाद पुस्तिकायें,

उनके हिन्दी रुपान्तर सहित काम में लाई जा रही हैं जिनके समाप्त हो जाने पर केवल हिन्दी में छपी परिवाद पुस्तिकाओं से इन्हें प्रतिस्थानित कर दिया जायगा। इस स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१५—श्री महराम सिंह—

(७वें बुधवार के लिये स्थगित)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के इंजीनियरिंग स्नातकों का प्रतिनिधि मण्डल

*१६—श्री कल्याण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १९ जुलाई, १९७१ से दिनांक २१ जुलाई, ७१ के मध्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघ के इंजीनियरिंग स्नातकों का कोई प्रतिनिधि-मण्डल उनसे मिला था? यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या मांगें प्रस्तुत कीं तथा मुख्य मन्त्री ने प्रतिनिधि मण्डल को क्या-क्या आश्वासन दिये?

श्री महमूद अली खां—

बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों (जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के थे) का एक प्रतिनिधि मण्डल १७-७-७१ को मुख्य मन्त्री से मिला था, उनकी पांच मांगें थी जो इस प्रकार हैं:—

१—लिखित प्रतियोगात्मक परीक्षा के आदेश वापिस लिये जायं एवं पुरानी पद्धति को जारी किया जाय।

२—साक्षात्कार की तिथि अविलम्ब घोषित की जाय।

३—अभी तक प्राप्त परीक्षा शुल्क को शीघ्र लौटाने की घोषणा की जाय।

४—यह आदेश आने वाले वर्ष में भी लागू किया जाय।

५—बेरोजगारी की भयंकरता को दूर करने के लिये बेरोजगार तथा पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्नातक इंजीनियर्स को चुनाव में सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाय।

मुख्य मन्त्री जी ने प्रतिनिधि मण्डल को कोई आश्वासन नहीं दिया था।

कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हेतु मास्टर प्लान

*१७—श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कुल सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्या कोई मास्टर प्लान तयार किया जा रहा है जिससे प्रदेश की समस्त कृषि भूमि को ७ वर्ष के अन्दर सिंचित किया जा सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

*१७—श्री राम लखन—

प्रदेश की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये मास्टर प्लान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

विस्तृत विषय होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि मास्टर प्लान कब तक तैयार हो जायगा।

गोरखपुर जिले के बांसगांव, बेलाघाट ब्लाक के ग्रामों में राजकीय नलकूप

*१८—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव, बेलाघाट ब्लाक में किन-किन गावों में १९७२-७३ के वित्तीय वर्ष में राजकीय नलकूप लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम लखन—

गोरखपुर जिले के बांसगांव तथा बेलघाट ब्लाक में नलकूप लगाने का विचार है परन्तु अन्तिम निर्णय सर्वेक्षण के बाद ही लिया जा सकेगा।

*१९—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मन्त्री को यह जानकारी है कि उपरोक्त बेलघाट बांसगांव ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम बरो, गांव, बनकटा, हरिहरपुर, सैपों, दशवपुर, लालपुर, पिपरागंगा आदि गांवों की लगभग पचास हजार एकड़ असिंचित भूमि में सिंचाई के लिये राजकीय नलकूप लगाने के लिये वर्ष १९७०-७१ में सर्वेक्षण हुआ था? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है?

श्री राम लखन—

विकास खण्ड बांसगांव के केवल ग्राम सैरों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। यह नलकूप लगाने के लिये उपयुक्त पाया गया और यहां मार्च, १९७२ में नलकूप लगा दिया गया है।

इलाहाबाद जिले की घूरपुर-प्रतापपुर सड़क का निर्माण

*२०—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की घूरपुर-प्रतापपुर सड़क का निर्माण जिसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में तीन लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब तक पूरा हो जायगा? सड़क का कितना भाग अब तक बन चुका है?

श्री महमूद अली खां—

इस सड़क का निर्माण सन् १९७४ तक पूर्ण होने की आशा है। अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

फाफामऊ के पास रोडवेज बस दुर्घटना

*२१—श्री रामगोपाल सन्ड—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० अगस्त, १९७१ को फाफामऊ के पास से प्रतापगढ़ जाती हुई रोडवेज बस दुर्घटना ग्रस्त हो गई? यदि हां, तो उसमें कितने यात्री मरे और कितने घायल हुए? इस दुर्घटना का क्या कारण है?

श्री बलरामसिंह यादव—

३० अगस्त, १९७१ को इलाहाबाद से प्रतापगढ़ जाती हुई रोडवेज की बस सं० यू० पी० जेड-७५१८ फाफामऊ के पास दुर्घटना ग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में किसी भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई परन्तु पांच यात्रियों तथा बस चालक को मामूली चोट लगी। दुर्घटना का कारण यह था कि फाफामऊ के आगे सामने से बड़ी तेजी से आती हुई ट्रक सं० यू० पी० जेड-२६७४ ने बस को टक्कर मारदी जिससे बस सड़क के नीचे चली गई और एक नीम के पेड़ से लड़कर उलट गई।

*२२—श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२३—श्री लालसा—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२४—श्री रामसिंह खन्ना—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२५-२६—श्री जगन्नाथ राव, श्री उमानाथ सिंह तथा श्री राम सागर—

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ८१-८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२७—श्री चेतराम गंगवार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

इलाहाबाद में बहादुरपुर ब्लाक के ग्रामों में नलकूप का निर्माण

*२८—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, इलाहाबाद में बहादुरपुर ब्लाक के ग्राम पहाड़पुर, धर्मपुर घुरवा, कुसीमीपुर, पैगम्बरपुर, ढोकड़ी, मलखानपुर, जुनेरपुर, सरायइनायत, चिलौड़ा, बगई, आदि गांवों में सिंचाई के लिये नलकूप का साधन नहीं है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों की आवश्यकता तथा जनहित का ध्यान रखते हुए क्या सरकार नलकूप का निर्माण करायेगी तथा कब तक ?

श्री राम लखन—

जनपद, इलाहाबाद में बहादुरपुर ब्लाक के ग्राम कुसमीपुर, पैगम्बरपुर, जुनैतपुर, सराय तथा बगई के अधिकांश क्षेत्रों में सिचाई राजकीय नलकूपों द्वारा की जाती है। ग्राम पहाड़पुर इनायत में राजकीय नलकूप लगाने का बिचार है। ग्राम धर्मपुर, पुरवा तथा मलखानपुर का क्षेत्र गहरे नालों तथा गंगा नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पड़ने तथा पर्याप्त सिंचाई योग्य भूमि न होने के कारण इन ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाना सम्भव नहीं है। ढोकड़ी और चिलौंड़ा नाम के कोई ग्राम बहादुरपुर ब्लाक में नहीं हैं।

पी० डब्लू० डी० के ओवरसियरों की पदोन्नति हेतु ली जाने वाली परीक्षा

*२९—श्री गंगासिंह यादव (जिला एटा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्लू० डी० के ओवर-सियरों के लिये पदोन्नति की परीक्षा प्रति वर्ष कराने के सम्बन्ध में कोई सरकारी आदेश है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि गत वर्ष परीक्षा ली गई अथवा नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

जी नहीं।

जून, १९७१ में ओवरसियरों द्वारा यह मांग की गई कि आगामी परीक्षा के लिये डिजाइन के परचों में से मौखिक परीक्षा समाप्त कर दी जाय और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंकों व मानदण्ड में परिवर्तन किया जाय। इन मांगों पर विचार करने और निर्णय लेने में कुछ समय लगा।

ब्लाक सिम्भाली, जिला मेरठ के ग्रामों को बाढ़ से बचाने हेतु नाला बनाने की योजना

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

*३०—क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि ग्राम फुलढेहरा, डाना इत्यादि ब्लाक सिम्भाली, जिला मेरठ में हर साल बाढ़ से गांव व खेतों में पानी भर जाने के कारण कृषकों को लाखों रुपये की हानि होती है और गांव में रहना दूभर हो जाता है ? क्या साल १९७० में सिंचाई विभाग ने उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की गर्ज से नाला बनाने की योजना बनायी थी और चीफ इन्जीनियर, सिंचाई ने स्वयं मौके का निरीक्षण भी किया था कृपया बतावें कि वह योजना क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्य हुआ है और यह योजना कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

निचली भूमि में बरसात में पानी भर जाता है तथा उससे कृषकों को हानि होती है ।

प्रश्न का दूसरा भाग—

जी हां, वर्ष १९७०–७१ में सर्वेक्षण करके योजना बनाई गई है ।

प्रश्न का तीसरा भाग—

५ मील १ फर्लांग लम्बे फुलडेहरा नाले की योजना है जो कि ग्राम फुलडेहरा, बुरुजाना बाजार आदि ग्रामों की भूमि से होता हुआ वर्तमान बैंटजखेड़ा ड्रेन में गिरेगा ।

प्रश्न का चौथा भाग—

नाले का प्राक्कलन राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जनवरी, १९७२ में स्वीकृत हो गया है तथा धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ।

राबर्ट्सगंज बन्धी डिवीजन, जिला मिर्जापुर के ठेकेदारों का भुगतान का रोका जाना

*३१—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २२ मार्च, १९७२ के प्रश्न संख्या ८ नत्थी (ख) के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितने ठेकेदार हैं जिनका भुगतान रोका गया तथा कितने ऐसे ठेकेदार हैं जिनका समय से कार्य न होने पर जमानत जब्त की गई है ? उनके क्या नाम हैं ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नानक सागर बांध, जिला नैनीताल के टूटने से सम्बन्धित जांच कमेटी का प्रतिवेदन

*३२—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९६७ में नैनीताल जिले में नानक सागर बांध के टूटने तथा उसके टूटने से हुई अपार जन व धन की हानि होने की जांच के लिये श्री जे० डी० शुक्ला, आई०सी०एस० की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी बिठाई थी उसका प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो उस प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री राम लखन—

जी नहीं । प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ । प्रश्न नहीं उठता ।

*३३–३४—श्री राम दुलारे मिश्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रतापगढ़ जिले की स्वीकृत सड़क एवं जेठवारा-कुन्डा सड़क

*३५—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में जो सड़कें १९७०–७१ में बनने के हेतु स्वीकृत हैं वे कब तक पूरी हो जायेंगी तथा जेठवार-कुन्डा सड़क के

न बनने से लोगों को इलाहाबाद होकर कुन्डा जाना पड़ता है? तो क्या डामर सड़क कराने का विचार कर रही है? यदि, हां तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा?

श्री महमूद अली खां—

अधिकांश सड़कें जून १९७४ तक बन जावेंगी । जेठवाड़ा से कुन्डा जाने के लिये जिला परिषद् की पक्की सड़क मौजूद है । इसलिये इलाहाबाद होकर जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बरेली जिले की स्वीकृत नवाबगंज जागीर तथा हाफिजगंज सेथल सड़कें

*३६—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७०–७१ और १९७१–७२ में बजट में जिला बरेली में उनके विभाग द्वारा नवाबगंज से बहिर जागीर और हाफिजगंज से सेथल तक बनने वाली दो सड़कें स्वीकृत हुई थीं? यदि हां, तो इन पर अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के कारण क्या है ? तथा कार्य कब तक आरम्भ हो जावेगा ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत दोनों सड़कों का निर्माण शासन द्वारा दिसम्बर १९७१ में स्वीकृत किया गया था और उन पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

ग्राम पचपेड़ा, जिला बरेली के ढोरनिया नदी पर पुल का निर्माण

*३७—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बरेली में तहसील नवाबगंज के ग्राम पचपेड़ा पर नदी ढोरनिया पर सरकार की पुल बनवाने की योजना है? यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ हो जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री महमूब अली खां—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

*३८–३९—श्री नौनिहाल सिंह—

(७वें बुधवार के लिये स्थगित)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्क एजेंट के स्केल में परिवर्तन

*४०—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्क एजेन्ट और माली, चौकीदार, मेहतर का एक ही स्केल है? यदि हां, तो क्या सरकार का वर्क एजेन्ट के स्केल में कोई परिवर्तन करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां?

जी हां ।

स्केल में परिवर्तन का प्रश्न वेतन आयोग के विचाराधीन है ।

*४१—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[७वें मंगलवार में प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजेन्द्र नगर, लखनऊ के पी० डब्लू० डी० के "डी" टाइप क्वार्टरों के लिये पेयजल की सुविधा

*४२—श्री डूंगरसिंह विष्ट तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के अन्तर्गत राजेन्द्रनगर पी० डब्लू० डी० के "डी" टाइप के क्वार्टरों के लिये पेयजल की सुविधा हेतु अलग-अलग पाइप कनेक्शन लगाने के लिये सन् १९७१–७२ के बजट में प्राविधान था ? यदि हां, तो क्या कनेक्शन लगाये जाने का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं, अलग पाइप कनेक्शन लगाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

*४३—श्री शिव कैलाश—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*४४—श्री विश्राम दास—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*४५—श्री मुन्शी लाल चमार—

[७वें बुधवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

बरेली के आर० टी० ओ० द्वारा दिये गये बसों के अस्थायी परमिट

१—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बरेली आर० टी० ओ० ने १ जनवरी, ७२ से २५ फरवरी, ७२ तक बसों के कितने अस्थायी परमिट दिये हैं और कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ?

श्री बलरामसिंह यादव—

(१) स्वीकृत किये गये अस्थायी परमिटों की संख्या—५४।

(२) कुल प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या—९९७।

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियमों में संशोधनों सम्बन्धी संकल्प

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियमों में संशोधनों सम्बन्धी संकल्प सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९१९ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७२

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७२ को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९२० पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७१, जो विधान सभा द्वारा २० जनवरी, १९७२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिन किसी संशोधन के १७ अप्रैल, १९७२ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, १९७२

सचिव विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) विधेयक, १९७२ जो विधान सभा द्वारा ७ अप्रैल, १९७२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १७ अप्रैल, १९७२ को वापस प्राप्त हो गया है।

सरकारी अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में कार्यकरने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री त्रिवेणी सहाय ने एक प्रश्न उठाया है नियम ६३ के अन्तर्गत माननीय सदन के अवमान के सम्बन्ध में। उन्होंने अपने पत्र में यह लिखा है —

"स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त लगातार इस बात का प्रयत्न किया जाता रहा है कि अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले ले। राष्ट्रभाषा के रूप में घोषणा तो कर दी गई, परन्तु उसके व्यवहारिक पक्ष की ओर दुर्लक्ष किया गया। जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी को हटा कर हिन्दी का आना सम्भव न हो पाया। बल्कि विपरीत परिणाम ही समक्ष आये हैं। अंग्रेजी का व्यवहार सर्वत्र तेजी से हो रहा है। प्रदेश की भाषाओं को अन्य प्रान्तों ने तो प्राथमिकता दे दी। परन्तु अपना प्रदेश आज भी इस दिशा में पीछे रहा है। हिन्दी अन्य प्रादेशिक भाषाओं की भांति आज प्रदेश की राज्य भाषा नहीं बन पाई है। सरकार ने एक, दो बार नहीं बल्कि अनेकों बार हिन्दी में काम काज किये जाने के आदेश पिछले २०, २२ वर्षों में दिये हैं। स्वयं सम्पूर्णानन्द जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे तब हिन्दी को प्रशासन में एक अच्छा स्थान मिला। परन्तु बाद में दिनों-दिन हिन्दी के प्रयोग की ओर से शासन का ध्यान हटता गया। नौकरशाही अंग्रेजी प्रयोग को बढ़ावा देती रही जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क रखने वाले साहित्य भले ही हिन्दी में भेजे जाते हों परन्तु बाकी सारे कार्य अंग्रेजी में किये जाते हैं। समय समय पर विधान सभा में माननीय सदस्यों ने भी नौकरशाही के उस रवैये पर रोक लगाने की मांग करते हुए हिन्दी में काम किये जाने की मांग की है। इसी विधान सभा में मैंने स्वयं श्री चन्द्रभानु गुप्त, चौ० चरण सिंह, श्री टी० एन० सिंह तथा वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय कमलापति त्रिपाठी जी द्वारा दिये गये आश्वासनों को सुना है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी। स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने आसन से बैठकर इस बात की घोषणा की है कि सारे काम हिन्दी में ही होने चाहिये और विधान सभा में सारा काम काज हिन्दी में हो रहा है। बार-बार इस एक विषय पर स्पष्ट घोषणा हो जाने के बाद यदि कोई अधिकारी अंग्रेजी में ही कार्य करे तो यह सदन का अवमान है . . .।"

तो यह आपका सवाल है। इसके बारे में उन्होंने अंग्रेजी के आदेशों और चिट्ठियों तथा कई अन्य परिपत्रों एवं पत्रों को अपने कथन की पुष्टि देते हुये संलग्न किया है। इस सम्बन्ध में मैं तो केवल यही कहूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता क्योंकि इससे विशेषाधिकार का न तो उल्लंघन ही हुआ है और न ही उसका हनन हुआ है। किन्तु मैं आपकी इच्छाओं को जानते हुये सरकार से आग्रह करूंगा कि यह इस ओर अधिक ध्यान दे। कोई सरकारी अधिकारी अंग्रेजी में न लिखे। मेरे निजी सचिव को भी एक पत्र वाराणसी के कलेक्टर ने अंग्रेजी में लिखा है। जैसे मेरे आदेश अपने निजी सचिव को हैं कि वे ऐसे सभी पत्रों को लौटा दें, उन्होंने उस पत्र को वापस लौटा दिया होगा यह पत्र मोटर में हुये खर्च आदि के बारे में था। शायद अभी हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन् एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब मैंने अभी बोलना खतम नहीं किया है तो आप कैसे खड़े हो गये? तो मैं कह रहा था कि यह प्रश्न विशेषाधिकार का सवाल नहीं बनता। जितने भी ऐसे अंग्रेजी में पत्र जिलाधिकारियों के यहां से आते हैं उनको मेरे निजी सचिव लौटा देते हैं। इस आशा से कि सदन के नेता और अन्य नेतागण हिन्दी के सम्बन्ध में बहुत अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं और नेता सदन आश्वासन भी दे चुके हैं, मैं इस तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करता हूं। अब इसके बाद मैं आगे दूसरा सवाल लेता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, जो आपने अपना निर्णय दिया है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता, उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आप पहले हमारी बात सुन लिया करें और बाद में अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं व्यवस्था दे चुका हूं और वह अन्तिम है और यदि आप चाहते हैं कि मैं उसे पुनरीक्षित करूं तो आप मेरे कक्ष में आयें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप पहले ही अन्तिम निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने से पहले हम लोगों को आप सुनें। जो प्रश्न हमने आपको भेजे, उसमें कुछ सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आपने तो न्यायालय के रूप में फैसला दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई न्यायालय नहीं है, विधान सभा है और आप न्यायालय बनाना चाहेंगे, बहस करना चाहेंगे और जिरह करना चाहेंगे तो इसकी जगह दूसरी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह विधान सभा कई मामलों में न्यायालय भी बन जाती है। प्रश्न यह है कि हमने एक सवाल रखा, उसके सम्बन्ध में आप पहले हमको सुन लें और तब आप संतुष्ट करायें। बिना हमको सुने कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता और उसके लिये आप हमें अपने कक्ष में बुलाते हैं तो यह तो सदन का अवमान हो जाता है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन के अन्दर घोषणा की थी और आज आपने फिर वही व्यवस्था दे दी। इस पर आप पुनर्विचार करें कि समाचार-पत्रों से विदित हुआ है कि आपने पुनर्विचार करके अपनी व्यवस्था दी है। बजाय इसके कि पहले आप सदन के अन्दर अपनी व्यवस्था देते, पहले अखबारों में व्यवस्था दी है। इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि आप पहले अपनी पुनरीक्षित व्यवस्था सदन के अन्दर दें और उसके बाद अखबारों में दें .....।

श्री उपाध्यक्ष—

शाम को मैंने अपनी व्यवस्था दी थी और नजीरें दी थीं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, हिन्दी के बारे में भी सुन लें। इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है और राष्ट्र भाषा भी है। हम लोगों के पास भी जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों से अंग्रेजी में पत्र आते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इस प्रश्न को वक्तव्य के लिये या दो-ढाई घंटे की चर्चा के लिये देंगे तो बात दीगर है किन्तु यदि आप यह कहें इससे सदन का अवमान हुआ है तो ऐसी बात नहीं है और यह कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जो सरकार ने नीति निर्धारित की, जो इस संबंध में नियम बनाया वह रोजमर्रा के उदाहरणों द्वारा साबित हो रहा ह कि वह बिल्कुल नाकाफी है और उनका नित्यप्रति उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी हालत में आपको भी तकलीफ उठानी पड़ी और सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करने के लिये इससे बड़ा इस बात का कोई सबूत नहीं हो सकता है कि इस विषय पर माननीय सदन में कुछ चर्चा हो जाय तो . . ये तो कोशिश करेंगे ही आपके कक्ष में जाकर आपको संतुष्ट करने की कि यह अवमान का प्रश्न है या नहीं है, लेकिन जब स्वयं आप महसूस कर रहे है कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तो इसमें चर्चा दे दें तो बहुत मेहरवानी होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

चर्चा दे दें, हम दूसरी बात छोड़ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आश्वासनों के बारे में आश्वासन समिति है, लेकिन यहां की भाषा को अपने नियम में लिखी हुई है उसके बारे में सदन के नेता का कई बार आश्वासन है। तो हो सकता है कि अगर वक्तव्य के विषय की मांग करेंगे तो वह मान ली जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नेता सदन अपने उदार स्वभाव के नाते इस मामले में बड़ी उदारता बरतते हैं, जो नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि यह मामला सुधर नहीं पा रहा है, इसलिए आवश्यकता पड़ गयी कि बहस कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप "अनुदार" रहेंगे तो उनकी उदारता नहीं चल पायेगी।

श्री रामगोपाल संड---

जो हिन्दी विरोधी हैं उनके प्रति अगर मुख्य मंत्री जी कड़े हो जायं तो मामला सुधर सकता है। टंडन जी जो पहले आपके पद पर आसीन थे और गांधी जी---उनकी आत्मा बड़ी अशान्त है, उनकी आत्माओं को भी शान्ति तभी मिलेगी जब अंग्रेजी का स्थान हिन्दी लेगी। अभी तक अंग्रेजी में पत्र मिलते हैं हमको !

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कह रहा हूं कि सभी एक ही राय के हैं कि हिन्दी में कार्य हो---इसमें दो रायें नहीं हैं। अगर कहीं पालन नहीं हो रहा है, आश्वासन के बावजूद नहीं हो रहा है तो मुख्य मंत्री आपके सम्मुख हैं। मैंने ध्यान आकृष्ट कर दिया। अगर कुछ वह कहना चाहें तो कह सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, इसमें दयालुता या कड़ाई की बात नहीं है और न टण्डन जी की आत्मा और गांधी जी की आत्मा अशान्त है जिसको शान्त करने की जरूरत पड़ेगी। अशान्त तो हमारे संड जी की आत्मा है जिसे शान्त करने की मैं चेष्टा करता रहता हूं। उनकी (गांधी जी की) आत्मा तो शान्त हो चुकी है, विलय हो चुकी है, ब्रह्म में।

एक सदस्य---

इनकी आत्मा को शान्त करा दीजिये।

*श्री कमलापति त्रिपाठी---

इनको अभी जीवित रहने दीजिये ! काहे को इनकी आत्मा को शान्त कराते हैं !!

मैं समझता हूं कि ठीक आपने ध्यान आकृष्ट किया और आपने आदेश दिया, तो उस विषय को मैं जरूर देख लूंगा। कहीं-कहीं व्यवहारिक कठिनाई होती है, जैसा कि भारत सरकार को चिट्ठियां लिखनी होती हैं। वहां ऐसे बहुत से मंत्री हैं जिनसे काम कराने के लिए हमको अंग्रेजी में पत्र भिजवाना पड़ता है। अक्सर मैं हिन्दी में पत्र लिखता हूं और उसके बाद उसके एक ट्रांस्लेशन अंग्रेजी में कर दिया जाता है। उनका उत्तर कभी-कभी यहां के सेक्रेटेरियट से अंग्रेजी में आता है तब भी उसका उत्तर हिन्दी में और उसके साथ अंग्रेजी में देने की कोशिश की जाती है।

जिलाधिकारी लोग अंग्रेजी में काम करें, यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। उन्हें हिन्दी में करना चाहिए और इसके विषय में कई बार यहां से विज्ञप्तियां और आदेश भेजे जा चुके हैं। आपने ध्यान आकृष्ट किया और आगे से भेज देंगे तो कम से कम कुछ लोगों से जवाब तलब करूंगा और उनसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो शायद स्थिति में कुछ सुधार हो जायगा। मैं चाहता हूं इस सदन में इस बात की घोषणा करना कि यह बात सही है कि सरकार मानती है कि इस प्रकार अगर हिन्दी में जहां काम हो सकता है, वहां लाजमी नहीं है अंग्रेजी का प्रयोग करें जैसे कि अदालत वगैरह में होता है, वहां हिन्दी में न काम किया जाय तो यह सरकार के आदेशों के विरुद्ध होने के कारण एक प्रकार की अनुशासनहीनता है। मैं चाहता हूं कि इसकी सूचना, मैं यहां कह रहा हूं, यह सारे प्रदेश में हमारे जिलाधिकारियों के पास भी पहुंचाई जाय और मेरे पास भेज देंगे तो मैं उन लोगों से जिन लोगों की ये बातें हैं उनसे जवाब तलब करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे निजी सचिव ने शायद लौटा दिया उनको।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरवलोकन नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक बात और निवेदन करना चाहता था। कहीं-कहीं मुझे यह सूचना मिली कि हिन्दी के टंकक नहीं हैं परन्तु अंग्रेजी के हैं। तो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि यथासम्भव हिन्दी के स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट और टाइपराइटर उपलब्ध हो जायं। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा दफ्तर है और उसके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है धीरे-धीरे जैसे सेक्रेटेरियट में किया गया है कि हिन्दी के पत्रों को लिखने की सुविधा प्रदान की जाय। यदि अधिकारियों को हिन्दी में पत्र हाथ से लिखना पड़े और हिन्दी की व्यवस्था न हो तो बड़ा विलम्ब हो जाता है इसलिये कभी-कभी अंग्रेजी का प्रयोग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यावहारिक कठिनाइयों को विचार करके मैं समझता हूं कि यथासम्भव इस बात को कराने की चेष्टा करेंगे कि हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुख्य मंत्री जी ने समस्या का खुद ऐसा जवाब दे दिया है कि जिसकी आड़ में हमेशा अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहेगा। जो उज्र उन्होंने बताया है उसको हमेशा कलेक्टर और दूसरे अधिकारी रिपीट करते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

भविष्य में यदि आप सूचना देंगे तो हम उसे स्वीकार करेंगे और बहस के लिये आ जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

खाली सूचना देने की ही बात नहीं है। हर दफ्तर में यही हो रहा है और यही उत्तर वह आज से नहीं पिछले २५ साल से पेश करते रहे हैं और पंडित जी ने इस उत्तर में इजाफा कर दिया और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी। इससे मालूम होता है कि संकल्प के सम्बन्ध में कमजोर हैं नेता सदन इसलिये इस पर जल्दी आप बहस करवायें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

आपने ढाई घंटे की चर्चा का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यह अवमान का प्रश्न बनता है इस पर आप मेरे विचार सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले क्यों नहीं खड़े हुये ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं बराबर खड़ा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सोचें कि अब जब सब हो गया तब आप खड़े हुये हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह भी अंग्रेजी का पत्र है। यह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिखा है, उसी जिले के अधिकारियों को लिखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो यहां तक कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिये था।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह कहना कि टाइपराइटर नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तरीका ठीक नहीं है। आप ज्यादती कर रहे हैं अगर आप बैठते नहीं हैं क्योंकि आपके सवाल में मैंने अपने दफ्तर का भी जोड़ दिया कि कलेक्टर लोग असावधानी से चिट्ठी लिखते हैं। हमारे निजी सचिव को लिखा। उसको लौटा दिया गया होगा। तो यह बात तो सही है कि अभी अंग्रेजी में काम चलता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जो काम हिन्दी में हो सकता है उसको अगर कोई अंग्रेजी में करता है तो उसके लिये वह दण्ड भी देंगे। तो वह मामला समाप्त हो गया।

गृह उप मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा एक नियम ६३ के अन्तर्गत माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने सवाल उठाया है कि १८ जनवरी, १९७२ को आदरणीय अध्यक्ष जी को एक सूचना गृह उप मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की दी थी जिसको अध्यक्ष जी ने आवश्यक जानकारी हेतु गृह उप-मंत्री को भेज दिया। उसी सम्बन्ध में आज आपका पत्र संख्या १६७१ प्राप्त हुआ जिसमें गृह उप-मंत्री ने स्वीकार किया है कि श्री बालकराम लेखपाल हैं जब कि अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में विधान सभा में गृह उप-मंत्री ने यह निश्चित उत्तर दिया था कि श्री बालकराम तहसील के कर्मचारी नहीं हैं आपके पत्र में जो मुझे आज प्राप्त हुआ है उसमें गृह उप-मंत्री जी ने यह भी कहा है कि उस समय अल्प सूचित प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे पास कोई सूचना श्री बालकराम के विषय में नहीं थी। यदि उस समय सूचना नहीं थी तो गृह उप-मंत्री यह कह सकते थे कि सूचना की आवश्यकता है अथवा सूचना नहीं है। ऐसा न कहकर उन्होंने भ्रष्ट तहसीलदार को बचाने हेतु बालकराम को तहसील का कर्मचारी नहीं माना।

यह जो प्रश्न है यह ऐसा है, एक जवाब गृह मन्त्री जी को यहां देना था, उन्होंने दिया। एक अनुपूरक प्रश्न किया गया। उसमें उन्होंने यह कह दिया कि यह तहसील का कर्मचारी नहीं है। अब प्रश्न यह है कि यह जानबूझ कर अवमान की नीयत से कहा है या आपके सवाल के क्रम में।

(व्यवधान)

श्री मनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या आपके पास कोई ऐसा यन्त्र है जिससे, आप मालूम कर लेते हैं कि मन्त्री जी ने जान-कर के कहा या अनजान में कहा। जब मन्त्री जी जवाब देते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वे स्वयं उस घटना को देख रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, ऐसा है कि अगर कोई अधिकारी गलत सूचना देता है तो मन्त्री जी उसको दंडित करेंगे। लेकिन वह सूचना ठीक थी फिर भी असावधानी से उनके मुंह से निकल गया।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाजहांपुर)—

इसमें तो मन्त्री जी ने गलत जवाब दिया है। अगर कोई अधिकारी गलत सूचना देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। उन्होंने

निश्चित उत्तर दिया है कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इसलिये यह अवमान का प्रश्न बनता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था देने से पहले हमको सुन लीजिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं बल्कि जो तथ्य उन्होंने रखे हैं उनको पढ़ रहा हूं। 'इन शिकायती-पत्रों की प्रतिलिपियों से ही इस बात का ज्ञान हुआ है कि सर्वश्री हरिशंकर तथा जगदीश चन्द्र, नजारत तहसील तिलहर के चपरासी हैं। परन्तु श्री बालकराम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं था कि वे कोई सरकारी कर्मचारी हैं। इससे यह निष्कर्ष स्वाभाविक हो था कि श्री बालकराम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का उत्तर मैंने तद्नुसार दे दिया था। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि चूंकि मूल प्रश्न एक अल्प सूचित प्रश्न था इसलिये समयाभाव के कारण जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर उनसे कोई स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त सूचना समय पर प्राप्त करना कठिन था। इसमें एक कठिनाई यह भी थी कि यह मामला जिलाधिकारी के मुख्यालय से सम्बद्ध नहीं था बल्कि जिले के एक दूसरे स्थान से सम्बद्ध था और इसलिये जिला अधिकारी को अतिरिक्त सूचना देने में कुछ और समय लग सकता था और कदाचित् प्रश्न का उत्तर समय पर न दिया जा सकता। उक्त अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जो सूचना दी उसमें न तो जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाया और न ही मैंने सदन को गुमराह किया।' जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने कहा वैसा नहीं है बल्कि जो लिखा होता है वही पढ़ता हूं। इसमें न तो उन्होंने जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाया है और न सदन को ही गुमराह किया है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है। जिला अधिकारी ने भी शासन के रेडियोग्राम के उत्तर में निर्धारित समय के भीतर जो सामग्री उपलब्ध कराई थी उसमें जानबूझकर किसी प्रकार की गलतबयानी अथवा तथ्यों को छिपाने की गन्ध नहीं मिली। पत्रावली उद्धृत तथ्यों के आधार पर ही मैंने अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिया। जब मैंने इस मामले में जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है और इससे पता चलता है कि श्री बालकराम लेखपाल के पद पर तैनात हैं। सदन यदि चाहे तो मैं इस तथ्य से किसी क्षण भी अवगत कराने के लिये तैयार हूं। माननीय गृह उप मन्त्री ने उसकी कापी आपको भी भेज दी है।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

यह जो विशेषाधिकार या सदन के अवमान का प्रश्न आपके सम्मुख विचाराधीन है, जहां तक मुझे याद है बात यह थी कि व्यापारियों को वहां के तहसीलदार ने डी०आई० आर० के अन्तर्गत पकड़वाया जबकि उनके खिलाफ कोई कम्प्लेंट भी नहीं थी। सिर्फ सरकार कर्मचारियों से रिपोर्ट लेकर तहसील की हिरासत में उनको बन्द कर दिया गया। इस बारे में जब अनुपूरक प्रश्न पूछे गये उनमें पूछा गया कि क्या जिन्होंने उस दूकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हैं, वे सरकारी कर्मचारी हैं। उनमें से दो के बारे में तो कहा गया कि वे और एक बालक राम के बारे में निश्चय रूप से यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। मैं यह निवेदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूं कि अगर जिलाधीश की कोई सूचना नहीं थी, अगर सरकार को यह नहीं मालूम था कि बालकराम सरकारी नौकर है या नहीं तो उसके पास यह अधिकार तो अक्षुण्य था ही कि वह कह देते कि इस प्रश्न के उत्तर देने के लिये सामग्री नहीं है या नोटिस मांग लेते रोजमर्रा इस प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं। ऐसा न करके मन्त्री जी का साफ मना कर देना क्या सदन को गुमराह करना नहीं हुआ या सदन के सामने यह गलतबयानी नहीं हुई।

अब सिर्फ यह बात रह जाती है कि उन्होंने यह काम जानबूझकर किया या नहीं किया। अब जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने कहा कि जानबूझकर मन्त्री जी ने ऐसा किया या नहीं किया, इसका कौन सा पैमाना है। जानबूझकर किया गया वही तथ्य माना जायगा जिसका उत्तर तो सामने न हो लेकिन साफ उत्तर दूसरा दे दिया जाय। यह जानबूझकर गलतबयानी हुई। या जो तथ्य सामने है उसके विरुद्ध कह दिया जाय तो जानबूझकर गलतबयानी की, यह माना जायगा और अगर जिले की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है तो माना जायगा कि उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर कहा। इसलिये यह मामला निश्चय ही विशेषाधिकार का है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इस मामले की पूरी छानबीन करें क्योंकि प्राइमाफेसी बन गया है। यह मामला ऐसा है जो कमेटी के सामने जांच के लिए और उसके प्रतिवेदन के लिये जाना चाहिये। अगर कमेटी इस राय की हो जायगी कि यह मामला विशेषाधिकार का नहीं है या सदन के अवमान का नहीं है तो खत्म हो जायगा अथवा उस समय जो भी बात आयेगी उस पर विचार किया जायगा। लेकिन इस समय प्रारम्भिक में यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह उन्होंने जानबूझकर कहा या जानबूझकर नहीं कहा और जानबूझकर भी कहा तो क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं बनता। यह उन्होंने अगर जानबूझकर भी कहा, ऐसी कल्पना भी कर ली जाय तो प्रश्न यह है कि जो गलतबयानी की वह विशेषाधिकार की अवहेलना का उपयुक्त विषय है या नहीं। इसमें नियमों की स्थिति बिल्कुल साफ है और माननीय कल्पनाथ सिंह जी भी हृदय में उसको भली प्रकार से जानते होंगे। मान लीजिये असावधानी के कारण माननीय मन्त्री जी के मुंह से यह निकल गया। दो नाम तो उसमें लिखे हुए थे, मन्त्री जी ने उनको बता दिया और तीसरा नाम के आगे जो उसमें नहीं था, एक स्वाभाविक असावधानी के कारण उसके बारे में कोई बात निकल गयी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

खेद प्रकाश तो...

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैं केवल श्रीमन्, २ शब्द कह दूं। रोज यह देखन में आता है कि जो प्रश्न यहां किये जाते हैं उनके उत्तर बगैर विवेक के लगाये, बगैर दिमाग के लगाये जैसे विभाग से आये, ज्यों के त्यों पढ़ दिये जाते हैं और उन पर जब अनुपूरक प्रश्न होते हैं तो उनके उत्तरों की स्थिति तो और भी भयावह हो जाती है सरकार की ओर से कोई भी मन्त्री बोलें या नेता सदन ही बोलें तो उसका मतलब यह होता है कि पहले से उस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार और जानकारी कर ली गई होगी और तभी उसके उत्तर दिये जा रहे हैं लेकिन यदि कभी उनके पास ऐसी जानकारी नहीं होती तो ऐसी व्यवस्था और परम्परा है कि कह दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है कि सूचना की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूनद रोज-बरोज इस तरह की गिरावट बराबर देखने में आ रही है। एक घटना के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जब यह रोज की घटना हो गई है तो मेरा कहना यही है कि इस तरह से सीधे सदन को गुमराह करने का ही मकसद होता है और इस तरह से सदन के अवमान का प्रश्न बनता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी या उनके मातहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वह भी उत्तरदायी हो जाते हैं और ऐसे उत्तर के मुख्य रूप से मन्त्री ही जिम्मेदार होते हैं। उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें तो शायद मामला सुधर सके, मैं समझता हूं इसमें माननीय नेता सदन को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह भी यह चाहेंगे कि यहां सही और निश्चित उत्तरों के आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं नियमों की स्थिति स्पष्ट कर दूं। प्रक्रिया सम्बन्धी करण २०७ इस प्रकार है: "सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मन्त्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मन्त्री सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे। तो अधिकारी ने कोई गलती नहीं की लेकिन पढ़ने में और समझने में मन्त्री जी ने यह भूल की...

एक आवाज—

खेद क्यों नहीं प्रकट करते?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा सुझाव स्वीकार कर लें, मन्त्री जी खेद प्रकाश कर दें और सारा मामला स्पष्ट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्राविधान यह है कि वह जो यहां कहेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी, मुमकिन है कि अधिकारी तक न पहुंचे और उनके माध्यम से उसके खिलाफ काम करें लेकिन यहां दिये गये बयान की जिम्मेदारी उन पर है और उसके लिये अवमान की कार्यवाही तो उनके खिलाफ ही हो सकती है। जानबूझकर हो अथवा भूल से हो गलतबयानी...

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो रोज आपकी व्यवस्था होती है कि जब कभी निश्चित जानकारी न हो तो सूचना की आवश्यकता कहकर अवसर ले लिया जाता है लेकिन मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। नये सिरे से प्रश्न देकर वह मन्त्री जी से सूचना ले सकते हैं लेकिन इसके रहते हुये भी ऐसे उत्तर आते हैं तो उस का मतलब होता है कि उनको परवाह नहीं है और जानबूझकर सही गलत उत्तर सदन को दिये जाते हैं...

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई जानबूझकर गलतबयानी करने का साहस और गुमराह करने का साहस सदन में नहीं करेगा। जिन परिस्थितियों में यह हुआ वह आपने अभी ठीक-ठीक बताया। उसमें 3 आदमियों के नाम थे, 2 के आगे लिखा था कि वह सरकारी कर्मचारी है और एक के आगे नहीं लिखा था। उनका नाम पूछा गया तो उत्तर देने वाले ने कहा कि यह भी अगर सरकारी कर्मचारी होते तो तीसरे का भी दिया गया होता। यह समझकर उन्होंने कहा कि "नहीं हैं" इस तरह के छोटे से मसले में जानबूझकर गुमराह करने की क्या बात हो सकती है। लेखपाल का मामला था.....(व्यवधान)

गुमराह करने की बात कोई हो नहीं सकती थी। जैसा कि माननीय अनन्तराम जायसवाल जी ने कहा कि अगर कोई सूचना नहीं थी तो यह कहा जा सकता था कि इसकी सूचना नहीं है या इस पर सूचना एकत्रित की जायगी। पर अगर २ नाम के आगे लिखा है तो वह सूचना दे दी और तीसरे के नाम के सामने चूंकि सरकारी कर्मचारी नहीं लिखा था, कलेक्टर ने उसे न लिखा हो जल्दी में भेजने के कारण न लिखा गया तो ख्याल होना स्वाभाविक था कि चूंकि २ के नाम के आगे लिखा है और तीसरे के लिए नहीं लिखा था तो यह सरकारी कर्मचारी न भी हो। अब इसका एक स्पष्टीकरण आपके यहां पर लिखकर भेज दिया गया। यह बात जरूर है, जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं कि जानबूझकर गुमराह किया गया है, गलतबयानी की गयी है, धोखा देने की कोशिश की गई है अगर आपका यह विश्वास हो तो जरूर यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इसे विशेषाधिकार का प्रश्न बनाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। हमारे माननीय नित्यानन्द स्वामी जी की इतनी चिन्ता है कि मैं खेद प्रकाश कर दूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने काम को सरल कर दिया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सवाल यह है कि खाली खेद प्रकट कर देने से क्या आपको कुछ मिल जायगा। मैं खेद प्रकट करता भी नहीं क्योंकि वह काफी भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न नहीं बनता है औचित्य का है और गलतबयानी यह समझी गई और गलतबयानी हो गयी तो उसको शुद्ध करने के लिए प्रविधान है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमत् मामला सदन में उठाया जाय और यदि कोई उत्तर दिया गया हो, जो तथ्य घोषित हो वे बात में गलत पाये गये तो इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं जिस कर्मचारी ने गलत सूचना दी हो तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से आज यह भी आश्वासन नहीं आ रहा है। पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि खेद प्रकाशन उसके लिए भी जरूरी नहीं है तो हम सबको आपत्ति है कि जो प्राविधान है उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए हम यह आश्वासन चाहते हैं कि या तो जो हमारे नियम हैं उनके अनुसार कार्यवाही हो या...

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जो मन्त्री कोई गलत वक्तव्य देते हैं तो आपके द्वारा उसका शोधन वक्तव्य आ जाता है शोधन वक्तव्य आया नहीं...

श्री उपाध्यक्ष—

इन्होंने लिखकर दिया है कि हम दे देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या उन्होंने विशेषाधिकार की सूचना के उपरान्त दिया है?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं इसके पहले का है।

श्री बंशीधर पांडेय—

क्या शोधन वक्तव्य आया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आया नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

शोधन वक्तव्य उनका इस दृष्टि से नहीं आया है...

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने मुझसे अनुमति चाही है कि ये सदन को किसी क्षण भी अवगत कराने के लिये तैयार हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह कब दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह उन्होंने पहली अप्रैल को दिया है।

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर उन्होंने दिया भी है तो उसको सदन के एजेन्डे में छापा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

हमने उसको माननीय सदस्यों में बांट दिया और वह सदन का...

श्री बंशीधर पांडेय—

शोधन वक्तव्य ठीक है आपके पास आया और आपने भिजवा दिया। पंडित जी ने शायद गुस्से में उसको ले लिया कि मैं इस पर खेद प्रकाश नहीं करता। मान्यवर इस हाउस के पास बहुत सी नजीरें हैं कि जब इस प्रकार की गलतबयानी होती है तो आपकी व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी के आधार पर यदि मन्त्री ने सदन को गलत सूचित किया तो सरकारी कर्मचारी दंडित होगा और सरकारी कर्मचारी के आधार पर उनको कोई कठिनाई नहीं थी। अभी कह दिया था माननीय राम लखन जी ने कि यह गलत और बेबुनियाद है। इनका एक और भी तर्क है कि मेरे पास सूचना नहीं है। जब इस पर एक पर्टीकुलर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि क्या वे लेखपाल हैं। जब लेखपाल का पर्टीकुलर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो मन्त्री जी जब तक वह फाइल पर न हो तो उनको कह देना चाहिये था कि मेरे पास सूचना नहीं है बाद में मैं दे दूंगा । उन्होंने तो डेफीनेटली कह दिया कि कर्मचारी है नहीं । उस व्यवस्था को गिराने के लिये कह दिया कि कर्मचारी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बिना जानबूझकर कह दिया जाय तो वह विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता। जब एक पर्टीकुलर क्वेश्चन कर दिया गया उस पर तो भी वे कह दें कि वह कर्मचारी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और पंडित जी ने कह दिया कि खेद प्रकाश नहीं करते। यदि रामकृष्ण द्विवेदी उठकर क्षमा मांग लें तो बड़ी बात नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने जो प्राविधान की तरफ ध्यान आकृष्ट किया उससे साफ मतलब है कि अगर विभाग की तरफ से गलत सूचना आई है और यह बाद में सिद्ध भी हो जाता है तो उससे सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। न ही वह आश्वासन आता है और न गलतबयानी के खिलाफ खेद प्रकाश ही आता है।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी मैं इस पर व्यवस्था नहीं देना चाहता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, इस विषय को आप अपने कक्ष में सुन लीजिये तब व्यवस्था दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

पंडित जी को भी कक्ष में बुला लीजिये।

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, जब आप व्यवस्था दें तो माननीय उप मन्त्री जी ने जिस समय सदन में उत्तर दिया था उस वक्त जो उनकी भावभंगिमा थी, उत्तर देने का जो तरीका था, जिस मुस्तदी से वे उत्तर दे रहे थे उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, इसमें दृष्टि का भी दोष होता है। हमारे माननीय मैनेजर सिंह को कोई भावभंगिमा दिखाई पड़ी, दोष दिखाई पड़ा अपनी आंखों में भी दोष था, बेचारे स्पीकर को काहे कहें कि व्यवस्था दो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, पंडित जी शीशा लगा लें तो पता चले क्या भावभंगिमा है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें नियम के अनुसार तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, यह मामला प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने अभी कहा और माननीय पान्डेय जी ने भी कहा कि यह प्रश्न नहीं बनता।

श्री बंशीधर पान्डेय---

मैंने तो यह कहा कि प्रश्न बनता है। इसको गंभीरता से सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है वह तो नहीं है । प्रश्न यह है कि कोई अधिकारी अपना उत्तर दे दे तो वह जरूर दंडित हो जाता है। अगर कोई उप मंत्री अधिकारी की राय से अलग अपनी राय चाहे सावधानी से या असावधानी से कह दे तो इस पहलू पर मैं माननीय सदस्यों की राय जानना चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी ---

मान्यवर, आपने अपना फैसला दे दिया है तो आप के कक्ष में क्या करना है।

श्री उपाध्यक्ष---

एक पहलू शोधन वक्तव्य का है....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

आप लीपा-पोती मत करिये। स्पष्ट रूप से अपना निर्णय दीजिये जो बिधान में लिखा हुआ है उसके आधार पर। नहीं तो मंत्री लोग झूठ बोलते रहेंग और पूरे सदन को गुमराह करते रहेंगे। ऐसा करते अनेक वर्ष बीत गये हैं।

श्री बंशीधर पान्डेय---

मान्यवर, आपने एक अच्छी बात कही कि अगर मंत्री जाने या अनजाने कहे तो विचारणीय बात है। इस बिचारणीय बात पर हम लोगों को सुनना चाहेंगे---सदन में या सदन के बाहर, आप जैसा तय करें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय पान्डेय जी से सहमत हूं। कक्ष में विचार कर लेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कक्ष में क्या बिचार करेंगे जब विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई अधिकारी गलत बयान दे तो उस अधिकारी को नियमानुसार दंडित कर सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं इसकी जांच कर लूंगा कि उस अधिकारी ने जानबूझकर छिपाया है। इसमें कक्ष में आकर बहस करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

यही एक पहलू है। गलतबयानी सदन में नहीं होनी चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय---

विशेषाधिकार का प्वाइन्ट वह इसलिये उठा है....

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जब आपकी रूलिंग हो गयी तो क्या डिस्कस होगी हाउस में। जब आपने कह दिया कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है, तब क्या बात है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, आप तो अपनी रूलिंग का भी पुनर्निरीक्षण कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपके और सदस्यों के और माननीय नेता सदन के आग्रहों को ठुकराता नहीं, उनको मानता हूं। इसलिये मैं माननीय गुप्ता जी की एक-एक बात से सहमत था। उसका अर्थ यह है कि समिति या किसी कमेटी के अधिपत्य को मैं पीठासीन अधिकारी (प्रीसाइडिंग आफिसर) की हैसियत से स्वीकार नहीं करता। अगर मैं किसी दूसरे की बात पर चलूं उसके विवेक पर चलूं तब प्रति पक्ष नहीं चल सकता। इसलिये, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी हैं नहीं, अप्रत्यक्षता जब अध्यक्ष की निरंकुशता दिखाई पड़ती है उसी में प्रतिपक्ष की संरक्षता निहित है।

एक सदस्य---

निरंकुशता न कहिये ...

श्री उपाध्यक्ष—

निरंकुशता जब दिखाई पड़े तब मैं कह रहा हूं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, जब आपने एक बार कह दिया कि कक्ष में आ जांय, तब मुख्य मंत्री जी के उठने के बाद क्या बात हो गयी।

श्री रामबिलास पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

आपने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन . . जो आपने 'लेकिन' का इशारा किया है जिसको आपने महसूस किया है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी, इस सदन की गारिमा को देखते हुए, खेद प्रकाश करवा दें तो मैं समझता हूं अच्छा होगा।

सचिवालय से प्रथक विधान सभा का हाल बनवाने की प्रार्थना

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह सदन और जिसमें माननीय सदस्य बैठे हुये हैं लगभग ५० वर्ष पुराना है। इन पचास सालों के अन्दर दो जैनरेशन बदल गई और इसमें वही पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। वही लाउडस्पीकर वही बैठने की गैलरीज, वही पंखे आदि जिनके कारण यह व्यवस्था बड़ी तकलीफदेह हो रही है। बाहर की तरफ वही भीड़भाड़ रहती है। यहां पर ४२६ स्थान नहीं हैं जिसके कारण सदस्यों को बड़ी दिक्कत होती है। इस प्रकार की सारी कठिनाइयां हाउस के सामने और सदस्यों के सामने आया करती हैं। आप इस बात की व्यवस्था करें कि कहीं सेक्रेटेरियट से अलग एसेम्बली का हाल बनाया जाय जिसमें आपके कमेटी रूम्स की व्यवस्था बनाई जा सकें या तो आप चारों ओर की गैलरीज को बन्द करके उनको कमेटी रूम्स बनवा दें जिससे हमारी व्यवस्था तो ठीक से चल सके।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने बड़ी होशियारी से उस प्रश्न को टालने की चेष्टा की?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसको खुले आसमान के नीचे करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि माननीय श्री रियासत हुसैन ने कहा है, यहां पर माननीय मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री भी हैं जो इसकी व्यवस्था करेंगे। अगर कोई नया प्रबन्ध होता है तो उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जैसा कि रियासत भाई ने कहा है कि यहां पर बड़ी भीड़ रहती है तो इसको दो डिवीजन कर दीजिये, एक मेरठ चला जायगा और आधा यहां पर रह जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको तो सदन कर सकता है।

गृह उप मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जितना समझ पाया कि आपकी जो भावनायें थीं वे मेरी बातों को सपोर्ट कर रही हैं। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है तो आपके कक्ष की बातें समाप्त हो गईं।

श्री उपाध्यक्ष—

मान लीजिये कि कोई गलतबयानी हुई है और सचमुच हुई है तब प्रश्न यह है कि वह क्या विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय। नियम हमको इजाजत नहीं देता और वह उसके हिसाब से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता।

श्री वंशीधर पांडेय—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि बिशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं अधिकारी को दंडित करूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर. अधिकारी को दंडित करने की बात नहीं है। अधिकारी बेचारे ने तो उनको कुछ लिखा ही नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के नेता हैं और मंत्रि-मंडल के अध्यक्ष हैं उनका जो जवाब आया है वह उनके अधीनस्थ मंत्री के द्वारा ही आया है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, अधिकारी को मंत्री न बना दें।

श्री बांके लाल—

मान्यवर, हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्रित्व के अहंकार में इसको कह दिया हो।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सीधा सा सवाल है और बड़ा समय इस विषय पर इस सदन का लिया गया। कहा यह जाता है कि उत्तर में जो जवाब दिया गया वह गलत था। अब उसका स्पष्टीकरण भी आ गया है। फिर भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है। उधर जो मित्र बैठे हैं उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, मने कहा कि नहीं बनता है। अब आपका इसपर कुछ फैसला होना चाहिये। मैं जहांतक समझता हूं, आपने यह फैसला दिया कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। फिर यह तर्क उठा कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है परन्तु नियमों के अनुसार गलत रिपोर्ट आई है अधिकारियों के यहां स, तो उनके प्रति कार्यवाही नियमों के अनुसार करना चाहिये। मैंने कहा कि इसकी जांच करा लेंगे और देख लेंगे कि इस आदमी ने जानबूझकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की है या मंत्री ने गुमराह किया है, जो भी होगा उसे सजा देंगे। तो उसके बाद कौन सा प्रश्न रह जाता है। यदि है, तो उपाध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी उसको पुनरीक्षण के लिये उनसे कहें। उनसे जाकर कक्ष में कहें कि रूलिंग सही नहीं है, फिर पुनरीक्षण किया जाय। इसकी अलग प्रक्रिया है, करें लेकिन नहीं जाना चाहते और इसके लिये आग्रह नहीं करते हैं। इस समय यहां कौन सी बहस चल रही है जिस पर यह समय लग रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मुख्य मंत्रीजी को यह भ्रम हुआ है कि मैंने कहा कि कर्मचारी की सूचना के आधार पर मंत्री ने गलतबयानी किया है। ऐसा नहीं है। यह तो मंत्री जी ने जानबूझकर किया है। यह इस-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये किया कि जब उन्होंने कह दिया यह पूछने पर कि क्या वह आदमी सरकारी आदमी लेखपाल है, उन्होंने कहा कि नहीं, यह सरकारी आदमी नहीं है। यह तो मंत्री ने जानबूझकर कह दिया। सरकारी आदमी ने कहां लिखा था कि वह लेखपाल है या नहीं है। जब प्रश्न पूछा गया तो इन्होंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने कलेक्टर से लिखकर पूछा कि वह सरकारी आदमी है या नहीं। तो सरकारी आदमी को दंडित करने का सवाल नहीं है। अब आप देखें कि विशेषाधिकार बनता है क्योंकि इस सदन में मंत्री ने बैठकर तथ्यों के विपरीत बात की। इस संबंध में आप नियमों को देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम बतला दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं बतलाऊंगा। तो मंत्री जी ने गलतबयानी कर दी है बावजूद चेतावनी के। तो उससे अधिक विशेषाधिकार क्या होगा, क्योंकि मंत्रीजी ने इस सदन और इस प्रदेश की जनता को गलतबयानी से गुमराह किया है। वह आदमी कर्मचारी है और यह कहते हैं कि नहीं है। तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने व्यवस्था दी है उसके दो भाग हैं। आपने स्वयं यह कहा है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता नहीं है। यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति है तो पुनरीक्षण आपसे करा लें और दूसरी आपने व्यवस्था दी है कि और जो सम्बन्धित प्रश्न हैं उसके लिये कक्ष में सभी लोगों को सुनकर आप निणय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

पुनरीक्षण कर देंगे। यदि आप नियम की स्थिति बतायें।

श्री मैनेजर सिंह—

विशेषाधिकार का प्रश्न यह नहीं है, यह आपने व्यवस्था दे दी है। अब पुनरीक्षण के लिये जिन माननीय सदस्यों को कहना है वह लिखित देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आपने व्यवस्था दे दी, तो चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, यदि उनको आपत्ति है तो वे आपके कक्ष में समझावें। आपके कक्ष में अपने विचारों से समझा कर आपको सन्तुष्ट करें। अतः अब इस बात को समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहूंगा.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, अभी वह प्वाइन्ट क्लियर नहीं हुआ। जो व्यवस्था आपने दी है उसमें 'लेकिन' है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन नहीं है। व्यवस्था यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है। शष तो आपके लिये है कि आश्वस्त (कन्विन्स) करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यहीं पर गड़बड़ी है आपने साफ कहा है 'लेकिन'। माननीय मुख्य मंत्री जी को आपकी यह बात अच्छी नहीं लगी और इस बात पर उन्होंने खड़े होकर आपकी व्यवस्था के विरोध में यह तर्क उपस्थित करना शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह भी इस तरह से गलतबयानी है तो और भी गलतबयानियां हो सकती हैं। वे विशषाधिकार की अवहेलना नहीं हैं।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जब आपने रूलिंग दे दी तो उसे मान लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई जानबूझ कर या अनजाने में जो उसकी मर्यादा है या लक्ष्मण रेखा है, उसमें रहना न पसंद करे तो क्या किया जाय ?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इस मामले को प्राग्दर्शन में ले लिया जाय। किसी सदस्य ने या किसी मंत्री ने यदि जानबझकर अवमान किया है तो उसको आप देखेंगे कि विशेषाधिकार समिति छानबीन करेगी। जानबूझ कर मंत्री जी ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

करण २०७ को मैं फिर से पढ़ देता हूं—

"सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायेगी, उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे।"

श्री विश्वनाथ कपूर—

लेकिन यहां कोई दोषी सरकारी कर्मचारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो गलतबयानी होगी वह निकाल दी जायगी। इसलिये मैं निवेदन कर दूं कि वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्राग्दर्शन में नहीं बनता है।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहूंगा :—

"उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड (अब गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय) के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतदान २० अप्रैल, १९७२ को दिन क १२ बजे से अपरान्ह ४ बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय में होगा।

अभ्यर्थी—

१—श्री मैनेजर सिंह (बलिया),

२—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (बिजनौर),

३—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर)।

गृह उपमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना—(क्रमागत)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन् आपने व्यवस्था दी। मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा कि जो कर्मचारी हैं, अगर वह गलत साबित होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। श्रीमन्, गलतबयानी करे मंत्रि-परिषद् का सदस्य और दंड देने के लिये कहें अपने कर्मचारी को तो यह गलत है। क्यों नहीं यह अपने मंत्री-परिषद् क सदस्यों को ठीक करते। इसलिये इसके विरोध में हम दो मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपन दल सहित सदन त्याग कर चल गये।)

मेसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, लिमिटेड लखनऊ में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

इसमें श्रीमन्, मेरा नाम नहीं है जब कि गलती से त्रिलोकचन्द का नाम जोड़ दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम गोपाल संड का नाम भी इसमें जोड़ दिया जायेगा।

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

मेसर्स आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया लिमिटेड, लखनऊ में अगस्त, १९७१ में कुछ मांगों को लेकर आन्दोलन तथा क्रमिक भूख हड़ताल चली। बाद में श्रम विभाग के हस्तक्षेप से यह आन्दोलन समाप्त हुआ और श्रमिकों द्वारा उठायी गयी मांगों पर जो मुख्यतया निम्न प्रकार ह सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, के समक्ष वार्ता चल रही थी—

मांगें

(१) इन्जीनियरिंग वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों की संख्या के अनुसार सेवयोजकों द्वारा श्रमिकों को "सी" श्रेणी के प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित वेतन क्रम दिया जाना चाहिये किन्तु वह उससे नीचे की श्रेणी दे रहे हैं, जो अनुचित है।

(२) टूल रूम, मेन्टिनेन्स, स्टोर, एसेम्बली तथा स्टाफ के कर्मचारियों के ग्रेडों का व र्गीकरण हुआ है परन्तु उनके तत्सम्बन्धी कार्यों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, यह किया जाना आवश्यक है।

(३) स्टाफ के कर्मचारियों की १५ दिन की बीमारी की छुट्टी की सुविधा बन्द कर दी गई है, यह सुविधा दी जाये।

(४) यूनियन के प्रतिनिधियों को औद्योगिक विवादों के सम्बन्ध में विभिन्न तिथियों पर जाने के लिये सवेतन अवकाश दिये जाने की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें फर्निश्ड आफिस दिया जाये।

(५) फ्री मेडिकल एड कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाये।

(६) क्वार्टर की व्यवस्था की जाये तथा जब तक क्वार्टर न बनें तब तक क्वार्टर भत्ता दिया जाये।

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]

(७) वाशिंग एलाउन्स बढ़ाया जाये ।

(८) प्रतिष्ठान में वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी, ज्वाइन्ट मैनेजमेन्ट काउन्सिल, यूनियन के प्रतिनिधि को सम्मिलित करके बनायी जायें ।

(९) यातायात के लिये जो व्यवस्था पहले थी उसे लागू किया जाये ।

(१०) समान कार्य के लिये समान वेतन का सिद्धान्त लागू किया जाये और पदोन्नति के मामलों में पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों की उनकी योग्यता और प्रशिक्षण को देखकर पदोन्नति की जाये ।

सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, सभी मांगों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों से बात चीत करके आवश्यक कार्यवाही कर रहे थे कि दिनांक २२ जनवरी, १९७२ से प्रबन्धकों ने दो श्रमिकों, सर्वश्री चन्नू दीक्षित तथा माखन सिंह को चार्जशीट देकर तथा घरेलू जांच करके सेवा से पृथक कर दिया । इससे श्रमिकों में अशान्ति फैल गई । दिनांक २५ जनवरी, १९७२ को श्रमिकों ने इस कार्य के विरुद्ध प्रदर्शन किया । फलस्वरूप प्रतिष्ठान के कार्य में अव्यवस्था फैल गई । श्रम अधिकारियों के हस्तक्षेप का भी कोई फल न हुआ और सारा उत्पादन अस्तव्यस्त हो रहा । २९ जनवरी, १९७२ को उभय पक्ष मुझसे अलग-अलग मिले । इसी दिन प्रबन्धकों ने ७ अन्य श्रमिकों को, जिनमें यूनियन के मंत्री भी सम्मिलित थे, निलम्बित कर दिया ।

दिनांक १५ फरवरी, १९७२ को प्रतिष्ठान की श्रम स्थिति पुनः गम्भीर हो गई । प्रबन्धकों ने सूचित किया कि श्रमिकों द्वारा प्रबन्धक वर्ग का घेराव किया गया तथा कार्य बन्द कर दिया गया । प्रादेशिक संराधन अधिकारी तथा सहायक श्रमायुक्त द्वारा जांच करने पर पाया गया कि प्रबन्धक वर्ग का घेराव तो नहीं किया गया किन्तु गेट पर श्रमिकों की सभा तथा भाषण हुये । इस दिन प्रातः की पाली का कार्य सामान्यतया ठीक चला किन्तु ३ बजे से प्रारम्भ होने वाली पाली में श्रमिक गेट पर मीटिंग तथा नारेबाजी करके प्रतिष्ठान के अन्दर गये । आटोमोबाइल मजदूर यूनियन, लखनऊ, ने टेलीग्राम द्वारा सूचित किया कि वे दिनांक १६ फरवरी, १९७२ से हड़ताल करेंगे । उपरोक्त मांगों के अतिरिक्त यूनियन ने निम्नलिखित मांगें भी सम्मिलित कर लीं —

(१) दिनांक २२ जनवरी, १९७२ से जिन श्रमिकों को कार्य से पृथक कर दिया गया है उन्हें कार्य पर वापस लिया जाये ।

(२) दिनांक ३० जनवरी, १९७२ को जो ७ श्रमिक निलम्बित किये गये थे उन्हें भी कार्य दिलाया जाये ।

यूनियन ने इसकी सूचना प्रबन्धकों को भी दी ।

प्रतिष्ठान में हड़ताल दिनांक १६ जनवरी, १९७२ की रात्रि से प्रारम्भ हुई और अब तक चल रही है । सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, ने दोनों पक्षों से दिनांक १७ फरवरी, १९७२ से लगातार बातचीत की । श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, तथा श्रम सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भी बराबर समझौता कराने का प्रयत्न करते रहे । हड़ताल अभी जारी है तथा स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है । फिर भी समझौते क प्रयास जारी हैं । २३९ श्रमिक हड़ताल पर हैं तथा ५ श्रमिक कार्य पर जा रहे हैं । और कार्यालय स्टाफ में से ३८ हड़ताल पर हैं और ७० कार्य पर जा रहे हैं ।

इतने दिनों की हड़ताल से उत्पादन तथा नियोजन का काफी ह्रास हुआ है । श्रमिक पक्ष ने विधिवत संराधन बोर्ड बनान की प्रार्थना नहीं की । अतः उपरोक्त प्रतिष्ठान से सम्बन्धित

निम्नलिखित विवादों को शासन द्वारा स्वतः अधिनिर्णय हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण (२), उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को भज दिया गया है :—

(१) क्या इंजीनियरिंग वेतन मंडल की अनुशंसायें (जो शासन के आदेश संख्या ४०३२ (टीडी)–३६–क–४४(टीडी)/६९, दिनांक १३ जुलाई, १९७०, द्वारा लागू की गई हैं) के अनुसार सेवायोजकों द्वारा श्रमिकों को "सी" श्रेणी के प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित वेतन-क्रम दिया जाना चाहिये ? यदि हां, तो किस तिथि से तथा किस विवरण के साथ ?

(२) क्या सेवायोजकों द्वारा सर्वश्री चन्नू दीक्षित तथा माखन सिंह की सेवायें दिनांक २२ जनवरी, १९७२ से समाप्त किया जाना उचित एवं वैधानिक है ? यदि हां, तो श्रमिक किस क्षतिपूर्ति के अधिकारी हैं तथा किस विवरण के साथ ?

(३) क्या सेवायोजकों द्वारा टूल रूम, मेन्टिनेन्स,स्टोर, असेम्बली यथा स्टाफ(नान प्रोडक्टिव) कर्मचारियों के कार्य का स्पष्टीकरण न किया जाना अनुचित एवं अवैधानिक है ? यदि हां, तो इनके कार्यों का क्या स्पष्टीकरण होना चाहिये ?

(४) क्या सेवायोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो किस विवरण के साथ ?

(५) क्या सेवायोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले वाशिंग एलाउन्स की दर में वृद्धि किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो किस दर से तथा किस विवरण के साथ ?

(६) क्या सेवायोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्य पर जाने व वापस आने के लिये कोई यातायात की सुविधा उपलब्ध किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो किस विवरण के साथ ?

(वक्तव्य के बाद)

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ६५ दिनों की हड़ताल से उत्पादन का कितना ह्रास हुआ है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)

ट्रिबुनल को यह मामला सुपुर्द करने के बाद उसने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

अभी तो रेफरेन्स हुआ है, उन्होंने पार्टीज को मेरी समझ से अभी बुलाया नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

वक्तव्य पढ़ने से ऐसा लगता है कि समायोजकों ने हड़ताल समाप्त कराने के लिये कोई सहयोग नहीं दिया है । अब ट्रिबुनल में तो समय बहुत लगेगा । तो जो ७ कर्मचारी निलम्बित हैं उनको बहाल करवाने के लिये आप क्या कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हठधर्मी दोनों तरफ से हुयी है, लेकिन सेवायोजकों की तरफ से ज्यादा है और जहां तक यह संशोधन हटवाने की बात है, ऐसा कोई कानून हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऐसे इन्जकशनल पावर नहीं हैं कि हम इसे हटा दें । इसके बारे में समझौता चल रहा है । अब दो-चार दिन के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री रामगोपाल संड--

६४-६५ दिनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, अनेक लोग निकाल दिये गये हैं और ७० लाख रुपये के उत्पादन की भी हानि हुयी है। तो क्या मंत्री जी पुनः इन प्रबन्धकों से जाकर मिलेंगे और यह कोशिश करेंगे कि दो एक दिन में हड़ताल समाप्त हो जाये और निकाले गये कर्मचारी वापस लिये जायें और वातावरण शांत हो।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मैं स्वयं जाकर हरगिज बात नहीं करूंगा। उनको बुलाऊंगा यहां और वे आये भी हैं। आशा है कि दो-चार दिन में समझौता शायद हो जाये। असल में जबतक और प्रभावी कानून नहीं बनेंगे, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कभी वह मंजूर होती हैं और कभी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपकी बड़ी मजबूरी है, यह मैं महसूस करता हूं। लेकिन पुलिस की जो दखलन्दाजी है एक सत्ताधारी गुट के लोग लगातार कर्मचारियों को अन्दर ले जाने की कोशिश करते हैं। और पुलिस का दबाव डलवाते हैं। तो क्या आप इसकी कृपा करेंगे कि इनकी शांतिपूर्ण हड़ताल में कोई बाधा न डाली जाय, कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही न की जाये।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

यह मैं कह चुका हूं कि शांतिपूर्ण हड़ताल में उनका ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

इलाहाबाद जिले के थाना सोरांव के अन्तर्गत हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह (उप मंत्री श्री राम कृष्ण द्विवेदी)--

जिन घटनाओं का उल्लेख प्राप्त नोटिस में किया गया है उनके बारे में स्थिति निम्नवत पाई गई:--

सोरांव थाने के अन्तर्गत एक कोल लड़की के कथित शील भंग करने की घटना

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना सोरांव में दिनांक १६ जनवरी, १९७२ को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि श्री राम दुलार की पुत्री श्रीमती झुरिया को लकडुआ सुनार छुपाये हुये है। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३६३/३६६ भा०द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। श्रीमती झुरिया को लकडुवा सुनार के घर से बरामद किया गया। श्रीमती झुरिया ने बयान दिया कि उसके साथ लकडुवा तथा छोटे दरोगा ने बलात्कार भी किया। इस पर मुकदमें में धारा ३७६ भा० द० वि० भी जोड़ दी गई और संबंधित ए०एस० आई० को निलम्बित किया गया। ए०एस० आई० ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। इस मुकदमें की विवेचना इस समय सहायक पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं।

पूरा मुफ्ती थाने के अन्तर्गत एक हरिजन स्त्री पर कथित बलात्कार की घटना

एक महिला, श्रीमती गुलाब देवी, ने दिनांक २९-२-७२ को थाना पूरा मुफ्ती म राम निहोरे तथा बनवारी पासी के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न करने की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट पर धारा ३५४ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ। दिनांक २-३-७२ को श्रीमती गुलाब देवी ने एक प्रार्थना-पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद को दिया जिसमें यह आरोप लगाया कि उपरोक्त दो व्यक्तियों ने होली के दिन उसके साथ बलात्कार किया। इस प्रार्थना-पत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने धारा ३७६ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराया। विवचना के उपरान्त आरोप-पत्र तैयार किया गया है, जो आवश्यक कार्यवाही के बाद न्यायालय भजा जायगा।

थाना मंझनपुर के अन्तर्गत एक हरिजन महिला पर कथित बलात्कार की घटना

श्रीमती रतूला देवी निवासी ग्राम बिबिनियापुर थाना मंझनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक ६-१०-७१ को एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध उसके साथ दिनांक २३-९-७१ को बलात्कार का प्रयत्न करने का आरोप लगाया गया था। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा ३५४ भा० द० वि०के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ। इस मुकदमें के बिबेचना उपरान्त आरोप-पत्र तैयार किया गया है जो आवश्यक कार्यवाही के बाद न्यायालय भेजा जायगा।

दिनांक २५-२-७२ को श्रीमती रतूला देवी ने एक प्रार्थना-पत्र में यह आरोप भी लगाया कि विवेचनाधिकारी सब इन्सपेक्टर ने जांच के दौरान उसका शील भंग करने का प्रयत्न किया।

इस प्रार्थना-पत्र की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की। जांच से आरोप निराधार पाया गया।

नैनी थाने के अन्तर्गत हरिजन महिलाओं की कथित बेइज्जती की घटना

दिनांक २९-३-७२ को श्री लाल पुत्र रामफल पासी निवासी ग्राम देवरख ने थाना नैनी पर रिपोर्ट लिखाई कि जब वह अपने भाइयों और घर की औरतों के साथ खेत में अरहर काट रहा था तो गांव के कुछ व्यक्तियों ने, जिनकी संख्या ६ थी खेत से अरहर की डंठल तोड़ी। मना करने पर वे गाली देने लगे और लाठी डंडे से सबको मारने लगे। औरतों की बेइज्जती करने की कोई बात नहीं कही गई।

इस रिपोर्ट के आधार पर धारा १४७/३२३ भा०द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अंकित करके विवेचना आरम्भ की गई। जांच ११-४-७२ को पूरी हो चुकी है और अब केवल आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होना शेष है।

यह सही नहीं है कि पिछले २-३ माह में हरिजनों को जान माल का खतरा हो गया है और शासन इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है इसके विपरीत शासन ने समय-समय पर हरिजनों के सुरक्षा के हित में आदेश जारी किये हैं। यह निर्देश दिये गये हैं कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के प्राविधानों को तत्परता और कड़ाई से प्रयोग में लाया जाय। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दलित वर्ग एवं निःस्सहाय वर्ग के लोगों की शिकायतों के निवारण में जिला प्रशासन वैयक्तिक दिलचस्पी लें, उनकी समस्याओं को समझें और जो भी सहायता आवश्यक हो उदारता पूर्वक एवं प्रभावी ढंग से करें। इस संबंध में जिला मैजिस्ट्रेटों को निदश दिये गये हैं कि वे प्रतिमास कम से कम एक गांव में स्वयं जायें, वहां के लोगों से मिलें और कमजोर वर्ग के लोगों की शिकायतों को सुनें, स्थानीय छोटे-मोटे विवादों को निपटवायें और यदि किन्ही व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक समझें तो तुरन्त संभव वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करायें। जिला मैजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश भेजे गये हैं कि वह देखें कि कमजोर और दलित वर्गों के लोगों के साथ किसी प्रकार की ज्यादती न हो और उनकी रिपोर्टें थानों में सही रूप में दर्ज हों, अधीनस्थ कार्मचारियों को यह चेतावनी देने के लिये भी कहा गया कि भविष्य में इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतें गंभीरता से देखी जायेंगी। हरिजनों को दिये गये पट्टों पर उनको कब्जा दिलाने के संबंध में हर संभव सहायता तत्परता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिये समुचित निदेश भी दिये गये हैं।

इलाहाबाद जिले में पुलिस अधिकारी व पुलिस जनों को समय-समय पर बल देकर यह बात समझाई गई है कि हरिजनों की शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही की जाव तथा इस बात का प्रयत्न किया जावे कि उनक प्रति दुर्व्यवहार न हो। इस संबंध में समय-समय पर

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी]

पुलिस कर्मचारियों को समझाये जाने के अतिरिक्त विशेष निर्देश भी जारी किये गये हैं। इनके पालन में ढिलाई होने पर अथवा किसी पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी के स्वयं किसी दुर्व्यवहार की घटना से सम्बद्ध होने पर बिना किसी हिचक के उसके प्रति कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आप देखें रिपोर्ट में न्याय करने वाले बलात्कार कर रहे हैं कोरांव थाने के अन्दर सब इंस्पेक्टर ने बलात्कार किया। दूसरे इलाहाबाद के थाने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम प्रकाश गोयल ने जिस अधिकारी को नियुक्त किया वह हरिजन महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगा कि वह इस बात का आश्वासन दें, जिन पुलिस अधिकारियों ने इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर ने इतना महान् पाप किया है उनको उन्होंने निरस्त किया है, क्या दोनों इंस्पेक्टर सस्पेंड किये गये यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

पहले केस में एक को निलम्बित किया है जिसकी सूचना मैंने वक्तव्य में दे दी है। दूसरे पर यह आरोप नहीं था, स्वयं महिला ने नहीं कहा कि हमारे साथ बलात्कार किया गया। उसने बलात्कार की चेष्टा की, पीठ पर हाथ फेरा, उसकी छानबीन गहराई से की गयी और ऐडीशनल एस०पी० ने जांच के आरोप निराधार पाये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

नियम ५१ में ४ घटनाओं के बारे में आपको नोटिस दिया गया कि पुलिस शील भंग कर रही है तब आपने उसे स्वीकार किया। इन हरिजनों के साथ आज बड़ा अत्याचार हो रहा है। गांधी जी के वे बड़े दुलारे थे और कांग्रेस उन्हीं के सहारे प्रदेश तथा दिल्ली में टिकी हुयी है और आज यह सरकार हरिजनों पर अत्याचार रोकने में असफल हुयी है। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि जो दरोगा जांच करने के लिये जाता है वही बलात्कार करता है उस महिला के साथ तो सरकार ने उस सब इंस्पेक्टर को निलम्बित करने के अलावा डिसमिस करने की कार्यवाही क्यों नहीं की ? दूसरे जिस सब इंस्पेक्टर को छोड़ दिया गया सबूत के अभाव में क्या उसके खिलाफ भी आयुक्त अथवा मैजिस्ट्रेट के जरिये जांच करवाई जायगी ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी—)

मान्यवर एक को निलम्बित कर दिया गया है और मुकदमा कायम कर दिया गया है। उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया है और मुकदमा अब अदालत में चलेगा। दूसरे के संबंध में माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करा ली जाय तो अवश्य करा लूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

उपमंत्री ने कहा कि एक अधिकारी जांच करने गया था उसने बलात्कार करने की चेष्टा की तो बलात्कार की चेष्टा करने को क्या जुर्म नहीं माना जाता जिससे उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार उसे बहुत बड़ा जुर्म तथा नीचता मानती है। जांच में कुछ साबित हो गया तो सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

चार घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें तीन बहुत पुरानी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक की चार्ज शीट तैयार हो गयी है और मुकदमा भेजा जाने वाला है। इससे ऐसा लगता है कि माननीय रूपनाथ सिंह यादव की तरफ से जब यह प्रश्न उठाया गया तब उसके बाद ये सब कार्यवाहियां हुयी हैं तो सरकार यह जांच करा ले। कहीं ऐसा तो नहीं था ये सब मामले दबाये जा रहे थे और जब प्रश्न उठाया गया तो चार्ज शीट भेजी गयी वर्ना इतना बिलम्ब क्यों हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसकी भी जांच करा ली जायगी आया मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी? ऐसा कोई सबूत नहीं है कि दबाने की कोशिश की जा रही थी। चार्ज शीट तैयार हो गयी है और अदालत को भेज दी गयी है। दूसरे हरिजनों के साथ अत्याचार की शिकायत की गयी है उसके लिये मेरा यह कहना है कि अगर शिकायतों पर स्थानीय अधिकारी ध्यान न दें तो यह बड़ी ऐसी बात होगी जिसके लिये वहां के स्थानीय अधिकारी स्वयं दोषी समझे जायेंगे।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

प्रश्न के अन्तर्गत जिन सरकारी आदेशों और निर्देशों की चर्चा की गयी है क्या माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर उनकी प्रतियां रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जी हां।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत थी कि उसने बलात्कार की चेष्टा की उसके खिलाफ कौन इंक्वायरी कर रहा है और उसका तबादला किया गया या नहीं?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाशसिंह)—

एडीशनल एस० पी० ने जांच की है।

मुजफ्फरनगर में यमुना के उस पार हरियाणा सरकार द्वारा ठोकर व बांध बनाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

सिंचाई उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जिला सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक यमुना नदी की धारा का मध्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करता है। यदि इस नदी के मार्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसी के अनुसार दोनों प्रदेशों की सीमा भी बदलती रहती है। यह सही है कि इस बहाव में परिवर्तन के कारण ग्राम गढ़ी बेसक राण माजरा, जलालपुर पत्थरगढ़, केसोपुर और नवादा यमुना नदी के पश्चिमी किनारे की ओर चले गये हैं जोकि हरियाणा प्रदेश में पड़ता है। हरियाणा प्रदेश ने सनौली तामसाबाद बांध और धासोली नगला बांध यमुना नदी के दाहिने किनारे पर कैराना पुल के ऊपर बराना ग्राम तक बना दिये हैं। इन बांधों की कुल लम्बाई ६ मील १ फरलांग १६० फीट है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त वर्णित ग्राम हरियाणा में इन बांधों एवं उन पर बनी ठोकरों आदि के कारण चले गये हैं। पर यह सही है कि बांधों और ठोकरों आदि के निर्माण से नदी की धारा में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

[श्री वीर बहादुर सिंह]

ग्राम बसेड़ा से ग्राम हैदरपुर तक यमुना नदी का पूर्वी किनारा कई स्थानों पर धारा से शनैःशनैः कट रहा है। पिछले वर्ष बढ़ी मुस्तफाबाद मंडवार और रमरा हैदरपुर पर काफी खतरा पैदा हो गया था। गत वर्षों के बाद मंडवार तथा रमरा हैदरपुर पर स्वतः ही समस्या में सुधार हो गया है परन्तु बढ़ी मुस्तफाबाद की स्थिति गम्भीर है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश द्वारा बढ़ी मुस्तफाबाद पर एक बांध, ३ ठोकरें तथा लगभग २० स्टड्स बनाकर ग्राम की आबादी को बचाया जा सका किन्तु अब वहां से हटकर दक्षिण की ओर नदी कटाव कर रही है जिससे भारी क्षति की आशंका है। इस स्थिति से निपटने के लिये वर्तमान बढी मुस्तफाबाद बांध को नीचे और ऊपर दोनों ही ओर बढ़ाने की योजना बनाई गई ह। इस योजना में बांध की लम्बाई बढ़ाने के साथ-साथ नीचे के भाग में पांच ठोकरों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसकी स्वीकृति की कार्यवाही हो रही है। फिर भी स्थिति की गम्भीरता का अनुमान करके इन कार्यों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। मंडावर व रमरा हैदरपुर के बचाव हेतु भी योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं और उनका निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। ग्राम बसेड़ा पर भी यमुना की धारा ग्राम से लगभग ६ फरलांग दूर रह गई है। यहां के बचाव के कार्य के लिये सर्वेक्षण हो रहा है और शीघ्र ही योजना बनाई जायगी। ग्राम अकबरपुर व सनटी पर इस समय कोई खतरा नहीं है। यदि धारा उस ओर जाती दिखाई पड़ेगी तो वहां भी बचाव कार्य के लिये कार्यवाही की जायेगी। इसापुर खुरगायन, नगला रायी और मोहम्मदपुर के सम्मुख भी नदी का पूर्वी किनारा कट रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् इन ग्रामों को बचाने हेतु योजना प्रस्तावित कर दी गई है और इसे राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा। ग्राम मवी पर अभी कोई खतरा प्रतीत नहीं होता है।

कैराना पुल से उत्तर की ओर नदी का बहाव सनौली तमसाबाद बांध तथा यमुना ब्रिज से पानीपत जाने वाली सड़क के साथ-साथ है। इस समय कैराना से सीधी यमुना पुल तक जाने वाली सड़क को कोई खतरा नहीं है। यदि कोई खतरा है तो वह यमुना पुल से पानीपत सड़क को है।

यमुना नदी की इस कटाव समस्या से शासन पूर्णतया अवगत है और इसी खत को ध्यान में रखते हुये मेरठ में एक ड्रेनेज मंडल की स्थापना की गई है जिसका एक खण्ड मुजफ्फरनगर में है जो उपर्युक्त कार्यों का सर्वेक्षण तथा निर्माण कर रहा है।

(श्री वीरेंद्र वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कायदा यह है कि जब कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाये तो और सब कार्य बन्द हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आप पहले इनको तो बैठायें। क्योंकि मैं तो कानून वाला आदमी हूं। यदि आप मुझे इजाजत देंगे तभी मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा मैं तो नियमों का पालन करता हूं किन्तु जब नियमों का उल्लंघन होने लगता है उनका पालन नहीं होता तो मुझेब ड़ा दुःख होता है। तो मैं यह आपसे कह रहा था कि हमने एक प्रश्न पूछा जो कि बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण था किन्तु मंत्री जी ने उसे टाल दिया। यह प्रस्ताव मेरा था और उस संबंध में

मुझे पूर्ण जानकारी थी । इलाहाबाद में क्या-क्या घटनायें हुईं, उनके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी किन्तु मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया । एक दूसरी घटना थाना नैनी की थी । उसमें उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं था. ..

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आपने कई घटनाओं का जिक्र किया है इसलिये आप इस विषय पर अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हरियाणा प्रदेश में ६ मील से अधिक जमुना के किनारे पर बांध बांध दिया है और ५० हजार एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश की और कई गांव, एक दर्जन के करीब, हरियाणा में कट कर चले गये हैं । तो इस संबंध में मंत्री जी प्रदेश के अपने भाग पर शीघ्र ही उन योजनाओं को जो बनकर उनके यहां प्राप्त हो गयी है शीघ्र ही उनको रूप देने की व्यवस्था करेंगे और उनके निर्माण का आदेश देंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)—

इसकी व्यवस्था हो रही है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मंडावर से लेकर रमड़ा और हैदरपुर के बचाव के लिये योजनायें बन चुकी हैं तो वह योजनायें क्या-क्या हैं और उनपर वह कब कार्यवाही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ३० जून से पहले अगर उनपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो अकबरपुर नगला राई, मंडावर, हैदरपुर रमड़ा आदि गांव एक ही झटके में यमुना के भीतर जा सकते हैं जिससे २० हजार एकड़ जमीन तो चली ही जायगी और २० हजार व्यक्ति बेरोजगार और बेकार हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम रमड़ा, मंडावर आदि के पास कटान रोकने के लिये एक योजना १९७०–७१ में बनायी गयी थी ४४.७ लाख की थी जिस १८.२५ लाख का कार्य हो चुका है और बाकी कार्य हो रहा है। दूसरी योजना १,३७,०२,००० रुपये की बनायी गयी है जो कि टी०ए० सी० के सामने रखी जायगी उसके स्वीकार होने के बाद धन उपलब्ध होने पर दूसरी कार्यवाही शुरू की जायगी।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

क्या यह सही है कि मंडावर गांव, रमड़ा गांव और हैदरपुर गांव की बसासत जमुना से ६ गज दूर रह गयी है और मंडावर गांव तो आधा जमुना के बीच में आ चुका है और जल्दी ही कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो "ओम नमो स्वाहा" हो जायगा, इसलिये इम्मिडिएटली उन ग्रामों को बचाने के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं या उन गांवों को बचाने का कार्य आप हरियाणा पर छोड़ने जा रहे हैं ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

वहां पर कार्य हो रहा है और १९७१ से शुरू किया गया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह वक्तव्य गलत है, काम नहीं हो रहा है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न जिला मुजफ्फरनगर का ही नहीं है बल्कि मेरठ और बुलन्दशहर का भी है जहां पर इस प्रकार से पक्के बांध हरियाणा सरकार ने बनाकर यमुना नदी के बहाव को उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ दिया है । क्या जिस समय कि ये पक्के बांध और पुश्ते बनाये जा रहे थे उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई आपत्ति हरियाणा सरकार से की थी या नहीं और अगर आपत्ति प्रकट की थी, तो क्या की ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार जितने बांध और ठोकरें बना रही है तो वह गैर कानूनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार और केन्द्रीय सरकार की यमुना कमेटी, तीनों की तरफ से कोई बात तय न हो तो वह बना नहीं सकते लेकिन उन्होंने बना लिये है और उसका नतीजा यह है कि परगना कैराना के अनेक गांव जमुना की भेंट जा चुके है, तो आपने इस संबध में क्या कोशिश की और आपत्ति की और अगर की तो क्या आपत्ति की ?

श्री राम लखन—

जैसे ही मालूम हुआ, उत्तर प्रदेश के गांव को बचाने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मंत्री जी को मालूम है कि सरकार ८ साल तक सोती रही और ५० हजार एकड़ रकबा उत्तर प्रदेश का जा चुका, तो इस संबंध में अब तक क्या होता रहा ?

श्री रामलखन —

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वह गांव कटते जा रहें हैं ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

जिस समय बिहार सरकार गंगा नदी पर इसी प्रकार के पुश्ते बना रही थी उस वक्त सरकार ने आपत्ति प्रकट की और बिहार सरकार ने उसको रोक दिया ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या वक्तव्य पर बिहार की बात आ सकती है ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

तो उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने आपत्ति प्रकट की थी लेकिन इस समय आपत्ति प्रकट क्यों नहीं की हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ और उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बड़े मुस्तफाबाद पर उन्होंने गतवर्ष कुछ खर्चा किया था । मैं आपके माध्यम से उन्हें सूचना देकर एक प्रश्न करूंगा । मैटीरियल

देर में पहुंचाया गया जिसका बहुत बड़ा भाग जमुना की बाढ़ में बह गया और जितना कार्य होना चाहिये था वह न हो सका। बड़े मुस्तफाबाद की आबादी की भी हिफाजत न की जा सकी। तो क्या अबकी बरसात प्रारम्भ होने से पेश्तर हरियाणा में बने बंधों के मुकाबले में अपने प्रदेश में शीघ्रतापूर्वक बांध बनाने की योजना पर वह जल्दी आदेश देंगे और उसके लिये मुख्य मंत्री जी से स्वीकृति लेकर धन की भी व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम लखन—

जैसा कि पहले ही वक्तव्य में बतला दिया गया है, जहां-जहां खतरा उत्पन्न हो गया है शासन की स्वीकृति से, टेक्निकल स्वीकृति लेने में विलम्ब होगा, काम प्रारम्भ कर दिया गया है और मैं इतना निश्चयपूर्वक बता देना चाहता हूं कि वर्षा से पहले इन कामों को पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

ग्राम मंडवार, मोहम्मदपुर, रैना, नगला राय और हैदरपुर में जमुना केवल 6से20 गज तक ही दूर रह गयी है और अबकी उनको बिल्कुल खतरा है। तो क्या फौरी कार्यवाई के लिये पैसा मंजूर करके कोई कार्यवाई करेंगे ?

श्री राम लखन—

पैसे के अभाव में कोई काम नहीं रहने दिया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज जो सूचनायें आई हैं उनमें एक सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, राम बिलास पांडेय और कपूर की है सहकारी बिभाग के सुपरवाइजर और कामदारों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल के बारे में। इससे प्रत्यक्ष सम्बध सरकार का नहीं है। विभाग स्वायत्तशासी हैं। इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया गया।

दूसरा है सर्वश्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी तथा शेरसिंह दानू का सीमान्त जिले चमोली तथा पिथौरागढ़ में अन्नाभाव की भयावह स्थिति के बारे में। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें, हम स्वीकार कर लेंगे, वक्तव्य के लिये नहीं।

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने दैनिक प्रशासन सम्बन्धी मामला उठाया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन में गिरावट, लखनऊ में आये दिन गोलीकांड। यह भी स्वीकार नहीं किया है। अखबार की कटिंग उन्होंने लगा कर दिया है। यह दैनिक प्रशासन से संबंधित है। अभी बजट चल रहा है। पुलिस का अनुदान आने को है। उस पर आप अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने उद्गारों को व्यक्त करने का अवसर पायेंगे।

एक माननीय चन्द्रभान शर्मा जी ने दिया है वही सहकारी सुपरवाइजर एवं कामदार संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल के बारे में। यह सहकारी संस्था है और सरकार का प्रत्यक्ष इसमें सम्बन्ध नहीं है।

एक माननीय रामधारी शास्त्री ने जत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारियों द्वारा पूर्ण हड़ताल की सम्भावना के बारे में दिया है। यह प्रश्न हो गया है। रोडवेज कर्मचारियों के बारे में वक्तव्य भी हो चुका है। बहुत अस्पष्ट भी है और टेक्निकली भी वह ठीक नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

प्रदेश के हर जिले के लगभग 6 हजार कामदारों और सुपरवाइजरों ने हड़ताल कर दी है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी के घर पर धरना भी देने गये थे। विधान सभा के सामने भी

[श्री विश्व नाथ कपूर]

प्रदर्शन किया था । बीज का वितरण,खाद का वितरण, पैसे का लेन-देन, यानी देहात का सारा काम बन्द हो गया है । गेहूं की प्रोक्योरमेंट स्कीम भी बन्द हो गयी है । इसीलिये कि इन्हीं को सब कुछ करना था और ये लोग यहां आये हुये हैं और उनकी हड़ताल चल रही है । उसका सारे जन-जीवन से संबंध है इसलिये सरकार को इस पर कुछ कहना चाहिये वरना सारा काम ठप्प हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न कर लीजिये ।

श्री विश्व नाथ कपूर—

इसमें दिक्कत यह होगी कि अगर विभाग जवाब नहीं देगा तो यह तारांकित प्रश्नों में चला जायगा । इसलिय वक्तव्य के लिये इसे स्वीकार कर लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह स्वायत्तशासी संस्था है ।

श्री विश्वनाथ कपूर

ऐसी बात नहीं है । सारे अनुदान सहकारिता को दिये जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुदान तो विश्वविद्यालय को भी दिया जाता है लेकिन वह स्वायत्तशासी संस्था है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

इससे प्रोक्योरमेंट स्कीम रुक जायेगी । सारे काम ठप्प हो जायेंगे तो क्या होगा । मुख्य मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं वे अपना स्पष्टीरकण दे दें ।

श्री चन्द्रभान शर्मा(जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जो सहकारिता सुपरवाइजर्स और कामदार संघ है उसको कोआपरटिव विभाग के अन्तर्गत रखना अन्याय है । जितने संचालक होते हैं वे सारे के सारे इनसे पोलिटिकल काम लेते हैं, गलत काम लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये तो आप संकल्प दे दीजिये, इस तरह से नहीं होना चाहिये ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

सरकार क पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो जाता ही है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, मैंने सूचना दी थी चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के बारे में आपने शायद उसको पढ़ा नहीं । (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर—

यह तो आप दूसरी बात कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको अपनी बात कहने का क्या हक नहीं है ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, ये दोनों जिले चीन के बार्डर से मिले हुये हैं और दोनों जिलों में भीषण भुखमरी फैली हुयी है । लोग अपने बर्तन बेंच रहे हैं । यह स्थिति पैदा हो गई है और सरकार की संचार व्यवस्था उचित नहीं है । इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। इस दृष्टि से मैंने आपके पास इसे भेजा । वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न कर लेंगे तो आपको पूरी सूचना मिल जायेगी । अगर इससे आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हम देखेंगे । इसलिये पहले अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

अभी माननीय विश्वनाथ जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नीति का प्रश्न है उनकी मांग है कि उनको पब्लिक सरवेंट माना जाय । यह सहकारिता समिति से संबंधित है । यह प्रश्न नीति का है । माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं उनसे भी पहले वे मिले थे और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पब्लिक सरवेंट की हैसियत से ट्रीट किया जाय । जो बातचीत उनकी हुई है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है ? इसके संबंध में मंत्री जी जल्दी घोषणा करदें तो अच्छा हो ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, दोनों पक्ष के लोग कह रहे हैं । अब तो इसके संबंध में घोषणा हो जानी चाहिये । सहकारिता मंत्री जब मंत्री नहीं थे उस समय उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि उनको गवर्नमेंट सरवेंट मान लिया जायेगा । इस लिय आज ही इसकी घोषणा कर दी जानी चाहिये.....

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख है जब इस प्रकार की बात कही जाती है कि ऐसे प्रश्न पर तुरन्त वक्तव्य दे दिया जाय । यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है । कल वे लोग आये और मुझसे मिले थे । यह बात सही है कि वे मेरे दरवाजे पर पड़े थे और २–३ हजार की तादाद में थे । मैं उनके बीच में बोला भी । मैंने उनसे या किसी मंत्री ने उनसे कभी कुछ कहा या सहकारिता मंत्री ने, जब वे मंत्री नहीं थे उनके बीच में कुछ कह दिया, सरकार के निर्णय पर वह कैसे प्रभावी हो सकता है । यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर सरकार विचार कर रही है और सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है और इस पर जो भी फैसला होगा वह मंत्रि-परिषद् से ही होगा । इसमें बहुत बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आयेगी । लेकिन यकायक यहां पर थोड़े से लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, क्या ऐसे प्रदर्शनों से सरकार रुकेगी । प्रदर्शन तो रोज ही होते रहते हैं और भी मुख्य मंत्री होता है, उसके दरवाजे पर प्रदर्शन होते हैं । यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसको देख रही है, उस पर विचार कर रही है । सहकारिता विभाग का अगर कोई प्रस्ताव आयेगा तो मंत्रि-परिषद् उस पर विचार करेगी और उपयुक्त फसला भी लेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला बेहरादून)—

श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न उठाया है उसमें यह है कि हमारे यहां श्री राम बिलास जी पांडेय के घर चोरी हो गयी और कलकत्ते की पुलिस ने तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस शेष में से किसी को भी नहीं पकड़ सकी है । एक महीना हो गया । कभी हजरतगंज में और कभी चारबाग में रोज गोली चलती है । खाली किसी बात के कहने से गोली चलना

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

रुकने वाला नहीं है। चारों ओर अव्यवस्था बढ़ती ही जा रही है। दरोगा लोग भी बलात्कार करने लगे हैं। इसलिये इसके ऊपर आप अवश्य ही ढाई घंटे की चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

बजट पर बोलते समय आप उस पर चर्चा कर लीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

बजट के समय तो बहुत से विषय होते हैं, यह शान्ति व्यवस्था का प्रश्न है, इस पर ढाई घंटे की चर्चा होनी चाहिये। सारे प्रदेश में ऐसी हालत हो रही है रक्षक लोग ही भक्षक बने हुए हैं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात ऐसी कही गयी जिसके ऊपर ध्यान नहीं गया। मैंने जो लिखा है वह यह है कि २० अप्रैल से उत्तर प्रदेश रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं। उसके लिये उन्होंने एक महीने का नोटिस भी दे दिया था इसलिये यह हड़ताल वेलिड भी है। इस संबंध में सरकार की ओर से जो कहा गया है वह पूरी तरह से सत्य नहीं है। ४ यूनियनों ने नोटिस दी थी। उसमें से एक यूनियन सरकार द्वारा पैट्रोनाइज्ड है, उन्होंने कह दिया है कि हम हड़ताल नहीं करेंग। उसने पहले नोटिस दिया था और वह ७ तारीख से हड़ताल करने वाली थी, उसने हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन इन तीन यूनियनों ने २० तारीख से हड़ताल करने का नोटिस दिया है और आशंका है कि कल से सारे प्रदेश में रोडवेज की बसों का चलना बन्द हो जाय। उससे जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी उसकी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों को कितना कष्ट होगा। सरकार की तरफ से इस बारे में कोई प्रयास होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बारे में तो माननीय परिवहन मंत्री जी ने प्रातःकाल कह दिया।

श्री रामधारी शास्त्री—

वह तो ७ अप्रैल वाली हड़ताल के बारे में कहा था वह संयुक्त कर्मचारी परिषद् की ओर से उसका नोटिस दिया गया है लेकिन यह दूसरी ३ यूनियनों की तरफ से नोटिस दिया गया है और वह २० अप्रैल का नोटिस दिया है। इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने दोनों के बारे में कहा था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शास्त्री जी ने जो यह सवाल उठाया है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि मैं समझता हूं हड़तालों की धमकी से कोई सरकार अपनी नीति निर्धारित नहीं कर सकती। दुर्भाग्य है कि जब विधान सभा का अधिवेशन होता है तो रोज एक न एक हड़ताल होती ही रहती है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक साहब जिनके साथ बहुत लोग पहले थे उन्होंने धमकी दी और उन्होंने अपनी धमकी वापस भी ले लिया और अब काम कर रहे हैं उनकी यूनियन का झगड़ा था। अब एक दूसरे ने धमकी दी, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनकी मांग है कि कारपोरेशन बनाया जाय और वेज बोर्ड के फैसले को लागू किया जाय। अब यहां सवाल उठाया जा रहा है कि हड़ताल होने वाली है। इस तरह की चीजें सरकार के सामने आती ही रहती हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है न कोई बड़ी आशंका की बात है, सब ठीक हो जायगा।

१९७२–७३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १९–चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०–सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९—चिकित्सा, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १८,५५,६३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,७९,९९,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय १ बज कर ५२ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको स्वयं भी विदित है कि देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। यहां पर जो पहले शासन था उसने कभी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो थोड़े से चिकित्सालय इस प्रदेश में थे वे भी शहरी क्षेत्रों में ही थे और जो करोड़ों की संख्या में ग्रामों में लोग निवास करते थे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया लेकिन जैसे ही इस देश में और प्रदेश में जनतन्त्र सरकारों की स्थापना हुई इस ओर काफी ध्यान दिया गया और इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि अभी तक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित थे वहां पर सरकार का ध्यान गया और इस बात की चेष्टा की गई कि जहां तक सम्भव हो सीमित साधनों के अन्तर्गत वहां चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। हमारे यहां जो ८७५ ब्लाक्स हैं उनमें से प्रत्येक के हेडक्वार्टर्स पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर स्थापित किये और यह ८७५ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर प्रायः सभी ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं और उस ब्लाक हेड क्वार्टर से लगने वाली जितनी जनसंख्या है उसकी वह बराबर सेवा करते हैं। इन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स में चिकित्सा की सुविधा है, इनडोर व आउट डोर मरीजों की वहां सेवा की जाती है, इन-डोर मरीजों के लिये भी व्यवस्था है।

स्वास्थ्य का कार्य भी होता है। वहां पर जो संक्रामक रोग (एपिडेमिक) आदि फैलते हैं, उनकी रोकथाम के लिये भी व्यवस्था की जाती है। मातृ एवं शिशु कल्याण का कार्य भी उसी के द्वारा किया जाता है। परिवार कल्याण जिसमें परिवार नियोजन का कार्य भी शामिल है इन्हीं हेल्थ सैन्टर्स के जरिये से वहां पर किया जाता है। इसके अलावा हमने हजारों की तादाद में सब सेन्टस भी खोले हैं जिनमें मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए व्यवस्था है। इनमें ट्रेन्ड नर्सेज और मिडवाइव्ज भी रहती हैं। पहले जब ग्रामीण महिलायें अपने प्रसव के काल में चिकित्सा के अभाव में मृत्यु की ग्रास बनती थीं आज उनको भी इस प्रकार की सुविधा मिल रही है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश हमारा काफी बड़ा सूबा है। इन ८७५ सेन्टर्स पर चिकित्सालय खोलने की कार्यवाही की है। ५०० और अलोपैथिक अस्पताल खोले हैं, लगभग ७०० आयुर्वेदिक अस्पताल खोले हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम कर रहे हैं। कुछ यूनानी चिकित्सालय और कुछ होम्योपैथिक चिकित्सालय भी हैं।

इस प्रकार से सरकार की बराबर चेष्टा रहती है कि हम अधिक से अधिक जिस प्रकार की भी सुविधा हम पहुंचा सकें दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में, हम पहुंचाते रहें लेकिन फिर भी

[श्री प्रेम चन्द्र शर्मा]

प्रदेश काफी बड़ा है और चिकित्सा की सुविधा की बराबर मांग हमारे सामने रहती है। जहां पर हमको जाने का अवसर प्राप्त होता ह या जहां भी हमारे मुख्य मंत्री जी जाते हैं, लोग उनसे मांग करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था आप कृपया करवा दीजिये। इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मंत्री जी ने काफी विचार किया और कई ऐसे अवसरों पर अपने विचार को प्रकट भी किया कि हम उन क्षेत्रों में जो बड़े-बड़े दूर बसे हुए हैं और जो नदियों के बीच में बसे हुए हैं या जो जंगलों में बसे हुए हैं या जहां पर यातायात के साधन नहीं हैं या घाटियों में बसे हुए हैं, बहुत सी जगहों पर जहां हम चिकित्सा की सुविधा नहीं दिला सके ह, अवश्य ही चिकित्सा की सुविधा को बढ़ायेंगे। उन्होंने यहां पर भी अपना विचार प्रकट किया है कि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकतायें होती ह, जसे पेट भरना (खाना खाना), कपड़ा पहनना आदि उसी प्रकार से चिकित्सा सुविधा पाना भी है।

कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार इस प्रदेश में उनकी इस प्राथमिक आवश्यकता को अनदेखी नही कर सकती ह लिहाजा उन्होंने यह प्रेरणा दी और उससे प्रेरित होकर यहां पर कहा है, उनका एक प्रकार से आदेश है। हम अब तक प्रत्येक वर्ष में लगभग १४ या १५ एलोपैथिक अस्पताल ही खोलते थे और चौथी पंचवर्षीय योजना में भी पहले ४ वर्षों में १४ या १५ ही प्रतिवर्ष खोल पाये थे लेकिन इस वष उनकी प्रेरणा से हमने २०९ अस्पताल का लक्ष्य रखा है। यह बहुत लम्बी छलांग है। माननीय मुख्य मंत्री जी की इस भावना से प्रेरित होकर यह कार्य किया गया है ।उन्होंने इस बात का आदेश दिया कि लोग जब हमसे मांग करते हैं तो हम उनकी मांग को अस्वीकृत नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मांग बहुत मुनासिब मांग है। वे स्वयं भी इस विभाग के मंत्री हैं और इस प्रदेश की जनता की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ही न केवल इतनी अधिक संख्या में अस्पताल खोलने की हमको प्रेरणा दी अपितु उसके लिये धन भी उपलब्ध कराने की चेष्टा की और इस प्रकार से हम इस वर्ष में २०९ चिकित्सालय जिसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, हम खोलने जा रहे हैं। इस थोड़ी सी भूमिका के साथ मैं अपने इस नये वर्ष के बजट में जो थोड़ी बातें हैं, हालांकि बातें बहुत हैं लेकिन उस सम्बन्ध में हमने एक बड़े विस्तार के साथ एक पुस्तिका माननीय सदस्यों को वितरित की है जिसमें बड़े विस्तार के साथ जो गतिविधियां हैं उनका वर्णन किया गया है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो खास-खास बातें ह उनकी जानकारी के लिये आपके सन्मुख आपकी आज्ञा से उपस्थित कर रहा हूं।

जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि पिछला जो सन् ७१–७२ का वार्षिक बजट था वह ३७, ५९ लाख रुपये का था लेकिन यह ७२–७३ का जो बजट है वह ४३,३१ लाख का गया है। इस प्रकार से हमारे इस साल के बजट में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी बात जो कि मैं माननीय सदन के सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह कि जो अस्पताल हैं और जसा कि मैंने बतलाया कि अब तक पिछले चार वर्षों में हमारे इन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक एलोपैथिक चिकित्सालयों का सम्बन्ध है चार वर्षों में अस्पताल खुले थे लेकिन आने वाले वर्ष में २०९ हम चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं। यह २७ प्रतिशत वृद्धि है। हमारे इस प्रदेश में जो शय्याओं की व्यवस्था चिकित्सालयों में थी उसमें भी हम काफी वृद्धि करने जा रहे हैं और शय्याओं की व्यवस्था में हम १८ प्रतिशत की वृद्धि अपने इस बजट में करने जा रहे हैं।

अब प्रश्न औषधियों का आता है। इस सम्बन्ध में अक्सर चर्चा होती है। कभी-कभी अखबारों में और कभी मनानीय सदस्यों के द्वारा औषधियों के बाबत कहा जाता है। यह सही है कि वहां पर जितनी औषधियों की आवश्यकता हुआ करती ह उनको हम अपने रोगियों को नहीं दे पाते थे और एकाध दफा सदन में इसका जिक्र भी आ चुका है। अब तक जितना अनुदान हम औषधियों के लिये चिकित्सालयों को देते थे वह ६९ पैसे प्रति मरीज का औसत आता था लेकिन पिछले वर्ष इस बात का प्रयत्न किया गया, माननीय मुख्य मंत्री से कहा गया कि यह बहुत कम है। दवाओं की आवश्यकता सब जगह बढ़ती चली जाती है। मरीजों

की संख्या बढ़ती चली जाती है। कृपा करके इस दवाओं के अनुदान में कुछ वृद्धि कर दी जाय तो उस वर्ष उन्होंने अनुदान में वृद्धि की और उस वर्ष उसमें करीब पचास लाख रुपये या ४९ लाख रुपये खर्च हुए। पिछले वर्ष हमारी औषधियों पर १,८७ लाख रुपये खर्च हुए थे वह इस साल बढ़ रहा है और २,९४ लाख रुपये हो जायेंगे और इस प्रकार से हम औषधियों के ऊपर १,०७ लाख रुपये इस बजट वर्ष में अधिक खर्च कर रहे हैं। साज-सज्जा के सम्बन्ध में भी सन् ७१–७२ में हमने ९५ लाख रुपये अस्पतालों की साज-सज्जा पर खर्च किया था और ७२–७३ में १,५१ लाख रुपये साज-सज्जा के ऊपर व्यय करने जा रहे हैं। इस प्रकार से इस साज-सज्जा पर ५६ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। यह भी सदन में कई मर्तबा प्रश्न आया कि रोगियों को आहार कम मिलता है या ठीक प्रकार से नहीं मिलता है। तो हमने इस मद में भी रुपया बढ़ाया है। सन् ७१–७२ में ५१,१० हजार रुपये रोगियों के आहार पर लगे थे इस बजट वर्ष में हमने उसको बढ़ा करके ७५, ६९ हजार रुपये कर दिये हैं। २५ लाख रुपये की वृद्धि भी इसमें कर दी है।

इसके अलावा बाढ़ और आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा की सुविधाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। सन् १९७०–७१ में इस कार्य के लिये कुल ५ लाख रुपये का प्राविधान किया गया था। लेकिन जैसा इस सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात है सन् १९७१–७२ में यहां पर अभूतपूर्व बाढ़ आई और इस बाढ़ के निकल जाने पर हमें इस बात की आशंका पैदा हो गई थी कहीं कोई संक्रामक रोग न फैल जाय। हमने अपने पूरे स्टाफ की शक्ति तथा जितनी हमारे पास दवायें उपलब्ध थीं, जितनी हमारे पास एन्टीसैप्टिक चीजें उपलब्ध थीं, हम लोगों ने वहां पर बांटी और इस प्रकार से हमने ३२ लाख५० हजार रुपय उस अवसर पर वहां स्वीकृत किये। पिछले दिनों जब पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ी थी, उस जमाने में आपत्तकालीन स्थिति थी। हमारे यहां बहुत से घायल जवान आये थे और उनमें हमारे सेना के भी जवान थे और मुक्ति वाहिनी के भी जवान यहां पर आये थे। उनके लिये हर वक्त खून की आवश्यकता होती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुये हमने २२ जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना की और इस प्रकार मुझे अन्दाज है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा बाकी नहीं बचा जहां ब्लड बैंक न हो।

इसके अलावा संक्षेप में जो अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की गई हैं, उनका विवरण भी देकर समाप्त करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को समय दिया जाय और उनके सुझावों पर हम गौर करें और जहां तक सम्भव हो सके उनको क्रियान्वित करने की चेष्टा की जा सके। म कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा। जिले के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स पर हम इस वर्ष चिल्ड्रेन क्लिनिक २, डैन्टल क्लीनिक ७ खोलन जा रहे हैं, पैथोलोजी के ३ क्लिनिक, रेडियालाजी के ३, एनेस्थीसिआ के ५ और नर्सिग सेवा के ३ क्लिनिक खोलने जा रहे हे। इस वर्ष हमने विशेष वर्गों के लिये भी चिकित्सा की व्यवस्था की है। आप जैसा जानते हैं ई० एस० आई० कर्मचारी को हमारी ओर से उनकी स्कीम के अनुसार उनके परिवार को चिकित्सा की सुविधा मिला करती थी, लेकिन इन्डोर की सुविधा नहीं थी। हालांकि उस व्यक्ति को जिसका नाम ई० एस० आई० में दर्ज है, उसको दी जाती है। लेकिन इस वर्ष के बजट में कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन उनके परिवार के सदस्यों के लिय भी अन्तरंग उपचार की व्यवस्था कानपुर में और मोदीनगर में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

दूसरे राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा की सुविधा देने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस वर्ष के बजट में हमने उनको राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधा देने की व्यवस्था की है, हालांकि इसके लिये राज्य विद्युत् परिषद् हमको धन देगा। वर्किग जनरलिस्ट को भी इस वर्ष सुविधा दी गई है। हालांकि यह सुविधा उनको दी गई थी, जी० ओ० भी निकाल दिया था, लेकिन जी० ओ० में कोई शब्द गलत छप

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]

गया था जिसके कारण कन्फ्यूजन पैदा हो गया। अब हमने एक सरक्यूलर निकाल दिया है। वर्किंग जनरलिस्ट को ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी वही सुविधा प्रदान कर दी गई है जो राज्य कर्मचारियों को है।

माननीय सदस्यों की बराबर यह मांग आती रहती है कि जो जिला परिषद् के प्राचीन चिकित्सालय चले आ रहे हैं उनका प्रान्तीयकरण किया जाय। इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। सन् १९७१-७२ में केवल आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन तथा नैनीताल जिले में जसपुर अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया गया था। लेकिन इस वर्ष के बजट में १४ चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव है। इसके अलावा जिला परिषदों के २५ प्राथमिक हेल्थ सेन्टर्स को भी लिया है। १०४ हेल्थ सेन्टर्स जो जिला परिषदों के पुराने जमाने से चल रहे थे उनको क्रमशः लेना है। जिन-जिन जिला परिषदों से प्रस्ताव आ रहे हैं कि उनको लेकर सरकार चलावे तो हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि उनको लेकर उनका प्रान्तीयकरण कर दें। इसको हम अपने बजट के हिसाब से करते जा रहे हैं। इस वर्ष २५ जिला परिषदों के स्वास्थ्य केन्द्रों का हम प्रान्तीयकरण करने जा रहे हैं।

मेडिकल एजूकेशन के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में ६ मेडिकल कालेज हैं, वसे तो ८ ह लेकिन उनमें से २ केन्द्रीय सरकार के हैं। इनमें कुल ७५८ विद्यार्थियों को लिया जाता है प्रति वर्ष। इसके अतिरिक्त मेरठ कालेज में ५० छात्र दिल्ली से आते हैं जो वहां अध्ययन करते ह। इसका भी इसमें प्राविधान किया गया है। पिछले वर्ष झांसी का भी मेडिकल कालेज चालू कर दिया गया है और वह ठीक से काम कर रहा है। म इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि इस सत्र से गोरखपुर में भी मेडिकल शिक्षण का कार्य आरम्भ करने का सरकार का विचार है।

सदन में विद्यार्थियों को लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा होती रही है। अलग-अलग विश्व-विद्यालय पी० एम० टी० की परीक्षायें लिया करते थे और उनके बारे में काफी शिकायतें आती रहती थीं, खबरों में यह निकलता था, विद्यार्थियों के अभिभावकों ने इस प्रकार की शिकायत की थीं कि विद्यार्थियों को लिये जाने में काफी अनियमिततायें होती हैं। इसकी जांच भी करवाई गई और यह मालूम भी हुआ कि कुछ स्थानों में इस प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं। इसको देख कर पिछले वर्ष से यह व्यवस्था की गई कि एक कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट रखा जाय। गत वर्ष मेरठ विश्वविद्यालय ने इस प्रकार से प्री-मेडिकल टेस्ट कन्डक्ट किया था। जो प्रक्रिया अपनाई गई उसके मातहत कोई भी अनियमिततायें या कोई गड़बड़ियां होने की गुंजाइश नहीं है। वह प्रक्रिया आब्जेक्टिव टेस्ट था। पी० एम० टी० टेस्ट में कुछ क्वेश्चन्स रख दिये जाते हैं और उसके आगे कालम्स बना दिये जाते हैं जो बाक्स कहलाते हैं। विद्यार्थी जिस प्रश्न को उचित समझता है उसको क्रास कर देता है। इससे हमको यह भी नहीं करना पड़ा कि इन्टरमीडियेट में विद्यार्थी किसी डिवीजन में पास हुआ हो वही एपियर हो सकता है। हम सभी को बराबर का अवसर देते हैं। पिछला टेस्ट इसी के आधार पर आब्जेक्टिव टेस्ट कन्डक्ट हुआ था। सरकार के पास एक भी शिकायत इस टेस्ट या किसी अनियमितता के सम्बन्ध में नहीं आई है और इस प्रक्रिया को सभी लोगों ने एप्रूव किया है। फार्म को कम्प्यूटर के जरिये से मार्किंग की जाती है और इसमें किसी प्रकार के घपला होने की गुंजायश नहीं रहती है। इस वर्ष भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। गवनर यानी च.सलर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई। उसमें प्रदेश के सभी वाइस चांसलर्स तथा मेडिकल कालेजेज के प्रिंसिपल्स वगैरा भी सदस्य हैं। उन को समिति में बुलाया गया था और उसमें यह निर्णय हुआ कि इस वष भी उसी प्रक्रिया को अपना कर पी० एम० टी० का टेस्ट कन्डक्ट किया जायगा क्योंकि यह सबसे बढ़िया व्यवस्था सिद्ध हुई है। इस वर्ष इसी तरह से प्री-मेडिकल टेस्ट कन्डेक्ट किया जायगा।

मान्यवर, अब मैं समाप्त की ओर जा रहा हूं। कुछ शिकायतें आती हैं, कुछ कालेजेज और मेडिकल कालेजेज की ओर से डिमान्ड आती रहती हैं, माननीय सदस्यों की ओर से भी आती रहती हैं और प्रिंसिपलों की यह चेष्टा रहती है कि उनके यहां प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स दिये जायं। इसका निर्णय करना कठिन हो गया है। मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया का जो पैटर्न है वह अपना है, हमारे यहां स्टेट में अलग है, तो इन सभी का निर्णय करने को हमने स्टाफिंग पैटर्न कमेटी का निर्माण किया है। जो मेडिकल कालेजेज स्टेट में हैं उनके यहां इस कमेटी की संस्तुति पर दीर्घकालीन आधार पर नियुक्तियां होंगी।

अब मैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यह शिकायत थी कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट को कम रिजर्वेशन मिलता है। १९७० तक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिये एक भी सीट रिजर्व नहीं थी। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने इस बात को ध्यान में रख कर १ प्रतिशत सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिये सुरक्षित कर दी थीं। इसके अतिरिक्त शेड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिये भी जो ३ प्रतिशत सीटें सुरक्षित थीं उसे बढ़ा कर ७ प्रतिशत कर दिया गया है। इन छात्रों के लिये ३ प्रतिशत ग्राम कोटा से भी सुरक्षित कर दिया गया है। इस प्रकार शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्व सीटें अब १० प्रतिशत हो गई हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि पिछले दिनों एक बिल पास हुआ था वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के रूप में। इसके जरिये हमारा जो आयुर्वेद कालेज है वाराणसी में, जो यूनिवर्सिटी का अंग था और उसका एसोसियेटेड कालेज था। लेकिन पिछले दिनों इसके सम्बन्ध में काफी शिकायतें आती रही हैं। वहां पर ११० शैय्या की व्यवस्था थी। उसके अनुसार सरकार रुपया मन्जूर करती थी लेकिन यूनिवर्सिटी पूरा रुपया उस पर खर्च नहीं करती थी। ११० शैय्या के आधार से ही स्टाफ रखा गया था परन्तु मौके पर ६० शैय्या ही थी। इसके अलावा यह भी विचार था कि विशुद्ध आयुर्वेद रहे परन्तु वहां मिश्रित कोर्स था। इसको ध्यान में रखते हुये माननीय सदन ने संशोधन विधेयक स्वीकार किया और अब सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया है। पैसा तो पहले भी सरकार खर्च करती थी, अब भी करती है और अब यह कालेज यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड रहेगा लेकिन एसोशिएटेड नहीं रहेगा।

अब मेडिकल कालेजेज में जो अन्य सुवधायें हैं उनके सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं। हमने मेडिकल कालेजेज को अतिरिक्त सुविधायें देने का प्रयास किया है और इनको आधुनिक बनाने की कोशश की है। लखनऊ मेडिकल कालेज में विकलांग सैनिकों के लिये आरटीफिसिल लिम्ब सेन्टर खोला जावेगा। इसके लिये १.२५ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इस वर्ष में इसके लिये १० लाख रुपया का प्राविधान किया गया है। यह संस्था आरटीफिसिल लिम्ब बनायेगी और जिनके हाथ या पैर कट जाते हैं उनको यहां से अंग मिल सकेंगे।

दूसरी विशेषता जो की जा रही है, वह है कि लखनऊ मेडिकल कालेज के फार्माकोलोजी विभाग में मालीक्युलर बायोलोजी से संबंधित एक रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस लेबोरेटरी में हम जो औषधि लेते हैं, उसका हमारी सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जांच होगी।

लखनऊ मेडिकल कालेज के कार्डियोलोजी सेक्सन में एक उच्चतर कार्डियोलोजी केन्द्र स्थापित करने के लिये दिल्ली की रफी मेमोरियल कमेटी को लिखा गया है। आशा है कि इस केन्द्र की स्थापना के लिये कमेटी से योगदान मिल जायेगा।

साज-सज्जा के लिये अनुदान--लखनऊ मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों में साज-सज्जा और उपकरणों के क्रय हेतु १० लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान पिछली मार्च में ही स्वीकृत किया गया है।

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]

कैन्सर रोग के उपचार—के लिये जे० के० इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर में सभी नवीनतम सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष १९७१—७२ में इस इन्स्टीट्यूट में एक आसोटोप लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। इसका मन्सा यह है कि यहां के मरीजों को जो कैंसर के इलाज के लिये बम्बई जाना पड़ता है, उन्हें उस प्रकार की सुविधा यहां प्राप्त हो सके। यह काम शीघ्र हो जायेगा। यह हमारे लिये विशेष गर्व की बात है।

हृदय रोग के उपचार की सुविधा—हृदय रोगों के उपचार के लिये कानपुर मेडिकल कालेज में कार्डियोलोजी विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग में कार्डियक केथेराइजेशन और ओपेन हार्ट सर्जरी के लिये नवीनतम साज-सज्जा एवं उपकरणों की सुविधा प्रदान की गयी है। बजट वर्ष में ८ लाख ९८ हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

नयी शैय्याओं की व्यवस्था—कानपुर मेडिकल कालेज के मेडिसिन विभाग की अपग्रेडिंग के साथ-साथ इसमें १०० शैय्याओं का एक नया ब्लाक अभी हाल में खोला गया है।

मेरठ मेडिकल कालेज में मोदी इन्स्टीट्यूट आफ कार्डियोलोजी की स्थापना के संबंध में उद्योग पति मोदी जी से बातचीत चल रही है।

नेत्र बैंक की स्थापना—इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एक नेत्र बैंक की स्थापना करने के लिये इसी मार्च में स्वीकृति प्रदान की गई है।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में चार नये आपरेशन थियेटरों को चालू करने के लिये आवश्यक साज-सज्जा एवं स्टाफ की व्यवस्था के लिये प्राविधान किया गया है।

आगरा मेडिकल कालेज के पीडियाटिक्स विभाग में ५० अतिरिक्त शैय्याओं और एक नियोनेटल यूनिट की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

कैजुअल्टी सेक्शन की स्थापना—आगरा मेडिकल कालेज के चिकित्सालय में ५० शैय्याओं से युक्त एक कैजुअल्टी सेक्शन के भवन निर्माण के कार्य का प्रस्ताव रखा गया है।

स्नातकोत्तर शिक्षा—लखनऊ मेडिकल कालेज में मेडिसिन विभाग में, इलाहाबाद मेडिकल कालेज में सर्जरी विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था के लिये भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी है।

प्रशिक्षण सुविधा में वृद्धि—प्रदेश में अभी तक कोई नर्सिग डिग्री कालेज नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिये कानपुर में एक नर्सिग डिग्री कालेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी गयी है।

ए० एन० एम० ट्रेनिंग सेन्टर—इस समय प्रदेश में २६ ए० एन० एम० ट्रेनिंग सेन्टर हैं जिनकी प्रवेश क्षमता केवल ९७० है। बजट वर्ष में यूनीसेफ की सहायता से १० नये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन नये केन्द्रों में प्रति वर्ष ६६० प्रशिक्षार्थियों की भर्ती की सुविधा होगी।

इस संबंध में एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। इस ट्रेनिंग में अब तक उनको केवल ४० रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति मिलती थी। अब उसको बढ़ा कर ७५ रु० प्रतिमास कर दिया गया है।

इसके अलावा फार्मेसिस्ट डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षण के लिये इस समय प्रदेश में केवल तीन केन्द्र कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ में चल रहे हैं जिनकी प्रवेश क्षमता केवल १८० है। बजट वर्ष में आगरा और झांसी में नये केन्द्र खोले जायेंगे जिनकी प्रवेश क्षमता ६०-६० होगी।

लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण.....

श्री अध्यक्ष—

खतम हो गया आपका भाषण कि नहीं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

खतम ही है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इनसे कहिये कि लिखा हुआ नोट न पढ़ें, उसे देख लिया करें।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैंने फीगर्स आदि को ही देखा था। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा यह बजट जो हमने रखा है इसमें काफी प्रगति की है। यह इतना बड़ा विभाग है, हो सकता है कहीं कुछ त्रुटियां भी हों, उनके लिये माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उनका मैं स्वागत करूंगा।

एक बात फैमिली प्लानिंग के विषय में और बताना भूल गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष फैमिली प्लानिंग का हमारा जितना लक्ष्य था वह सब पूरा हो गया है जब कि हर वर्ष कुछ न कुछ कम रहता था। पिछले वर्ष का हमारा टार्गेट शत प्रतिशत पूरा हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जो भी उपयोगी सुझाव हों वे देने की कृपा करें और इन अनुदानों को पास करें।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं उनके संबंध में मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १९ और २० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय। मान्यवर, मैं इन अनुदानों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी भी देश या प्रदेश की समृद्धि अथवा उसके आर्थिक विकास के लिये हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां की स्वास्थ्य के विषय में स्थिति कैसी है, लोगों का रहन-सहन कैसा है और लोग कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनसंख्या ९ करोड़ के लगभग है। अपस्तालों की हमारे यहां संख्या २,२२३ है। १ लाख की जन संख्या पर ३.५ चिकित्सालय हैं। ७३०० व्यक्तियों के ऊपर एक डाक्टर है। इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है।

मान्यवर, इसी कारण से हमारा आर्थिक पिछड़ापन है और उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सरकारी अस्पतालों में औषधियों के लिए प्रति वर्ष प्रति रोगी पर व्यय सन् ७०-७१ तक ६९ पैसा था, वह बढ़ा कर अब एक रुपया कर दिया गया है। श्रीमन्, इससे क्या होने वाला है। यह निर्धन प्रदेश है और इसमें ९ करोड़ के करीब जनसंख्या है। उसके अनुपात में जो बढ़ा भी दिया गया है, उससे कौन बड़ा परिवर्तन और लाभ होने वाला है ? आज हालत यह है कि जो कुछ भी व्यय किया जा रहा है, उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है। श्रीमन्, प्रदेश में ३८,९३३ शैयायें उपलब्ध हैं, जिनसे १० लाख व्यक्ति प्रति वर्ष लाभान्वित

[श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी]

होते हैं। इस समय राजकीय शैय्याओं की संख्या जो उपलब्ध है वह २६,०४१ है, जिसमें से २१,१७४ शहरी क्षेत्र में तथा ४,८६७ ग्रामीण क्षेत्र में हैं। श्रीमन् ८०-८५ प्रतिशत जनता देहातों में रहती है, जबकि देहाती क्षेत्रों के लिये केवल ४,८६७ शैयायें उपलब्ध हैं और नगर क्षेत्र के लिये २१,१७४।

सरकार गरीबी हटाओ का बड़ा नारा लगाती है, समाजवाद की बात करती है, लेकिन कार्य उसके विपरीत करती है। जो अधिक गरीब जनता है वह सब गांवों में रहती है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारा ध्यान शहरों की ओर ही दिया जा रहा है। अस्पतालों और डाक्टरों की संख्या जो है, वही यदि ठीक से काम करें तो जनता का काफी हित हो सकता है। लेकिन अस्पतालों की दशा बड़ी दयनीय है वहां पर इतना व्यापक भ्रष्टाचार फैल रहा है, कि अगर उसके सम्बन्ध में जो कुछ कहें थोड़ा होगा। गरीब आदमी-मजदूर किसना दिन भर तो काम करता है पट भरने के लिये फैक्टरी या खेत में। वह रोज कमाता है रोज खाता है। शाम को घर पर आता है, उसका बच्चा बीमार है। जब देखता है तो घबड़ा जाता है और अस्पताल की शरण में जाता है। अस्पताल में डाक्टर जितनी बेरूखी से उससे बरताव करता है, उसे देख कर वह हैरत में पड़ जाता है। वह निवेदन करता है कि उसका बच्चा मर रहा है, पैसा उसके पास है नहीं, उसका इलाज होना चाहिये। किन्तु डाक्टर उसे फटकार देता है। कह देता है भाग जाओ जगह नहीं है। वह बेचारा कहता है हमें बालकोनी में ही पड़े रहने दिया जाए। इस पर डाक्टर कहता है पड़े रहना हो तो पड़े रहो, लेकिन तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं होगी। वह गरीब आदमी मजबूरी में पड़ा रहता है। भगवान की दुवा उसे भले ही मिल जाए, लेकिन डाक्टर की दवा मिलेगी, यह सम्भव नहीं है। वहां जो दवायें खरीदी जाती है, उनमें व्यापक भ्रष्टाचार है। फर्जी आमद, फर्जी बिल और खर्च सब दिखाया जाता है। न दवा आती है, न कोई खरीद होती है, सिर्फ बिल्स और वाउचर्स आ जाते हैं। जो अस्पतालों के अंदर भोजन की रोगियों के लिये व्यवस्था है, वह भी बड़ी दयनीय है। उसमें हालत यह है कि तमाम राशन बचा लिया जाता है, दूध में पानी की मिलावट होती है और कोई उसकी जांच नहीं होती है। अभी कानपुर में एक हड़ताल हुई। जितने रसोईघर के बनाने वाले थे और जो नौकर थे उन्हों नेहड़ताल कर दी। वहां पर कुछ नर्सेज ट्रेनिंग ले रही थीं। हड़ताल के बाद उन्होंने काम शुरू किया। जब दो तीन दिन काम किया तो उन्होंने यह पाया कि जितना राशन मंगाया जाता था उसमें अधिकांश बच जाता है। जो बचता था वह कहां जाता था? स्पष्ट है कि बेहद भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी के ढेर मिलेंगे, दुर्गन्ध आती है। ऐसी हालत में रोगियों का वहां क्या इलाज होगा? और कैसे उनकी चिकित्सा ठीक प्रकार से सम्भव होगी। यह श्रीमन्, समझ में आता नहीं। उनकी कोई चेकिंग हो, मंत्री जी यहां से बैठे देख रहे हैं, कुछ समय निकाल कर वहां जानें की कोशिश करें। थोड़ा आकस्मिक दौरा करें, निरीक्षण करें तो शायद उनको कुछ मालूम हो। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनके दौरे और आकस्मिक छापे क्यों नहीं होते? यही नहीं, दवाओं का यह हाल है कि जो दवायें आती हैं मरीजों को नहीं दी जाती हैं बाजार में केमिस्टों के हाथ बेच दी जाती हैं। यह आवागमन बराबर बना रहता है। वही दवाएं केमिस्टों के यहां वापस जाती हैं। मरीजों के नाम सिर्फ चढ़े रहते हैं। जो साज-सज्जा खरीदी जाती है उसके टेंडर इनवाइट होते हैं। टेंडर में घपले होते हैं। उद्योग विभाग कोई टेंडर इनवाइट करता है तो एक स्पेशलिस्ट डाक्टर उनकी खरीद के लिये भेजा जाता है। श्रीमन्, वह डाक्टर वहां पर अकेला बैठा हुआ है?

अभी एक माइक्रोस्कोप का कंट्रेक्ट हुआ। उसमें ११ सौ रुपये का रेट सबसे लोएस्ट आया। जो ११ सौ रुपये का माइक्रोस्कोप था उसी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का २६ सौ रुपये पर ऐप्रूव कर दिया। करोड़ों रुपये का श्रीमन्, इसमें नुकसान हो रहा है। मेडिकल

कालेज कानपुर के डाक्टर लहरी साहब, पैथालोजी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट बन कर अकेले बैठे । अगर दो चार आदमी बैठे होते तो शायद यह बात न होती कि १,११० रुपये का जो माइक्रोस्कोप ऐप्रूव किया उसी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का दूसरे मेक का माइक्रोस्कोप २६ सौ रुपये का ऐप्रूव कर दिया । यह मिली भगत है फार्म्स और स्पेशलिस्ट महोदय की । वहां पर यह घपला हुआ है और करोड़ों रुपये का नुकसान इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का होगा । इस तरह की व्यवस्था चल रही है । कैसे उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है । जो कुछ भी रुपया हम दे रहे हैं अगर उसका उपयोग ठीक प्रकार से करें तो भी कुछ उत्तर प्रदेश की गरीब अवाम को कुछ फायदा हो । लेकिन वह भी नहीं हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कुछ ऐसी दुकानों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिनसे जो सरकारी नौकर हैं वे अपनी दवायें खरीदते हैं । उनमें भी बेहद घपला है। उन रजिस्टर्ड फर्म्स से फरजी बाउचर बनवाये जाते हैं कोई खरीद फरोख्त नहीं होती, आधा पैसा सरकारी कर्मचारी और आधा पैसा फर्म ले लेती है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग होता है । इस प्रकार के रवैये से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी क्षति होती है । अगर उस पैसे को किसी दूसरी जगह लगाया जाय तो जनता का बड़ा हित हो सकता है । लिहाजा इस तरह के उपाय होने चाहिये ताकि इस तरह के भीषण दुरुपयोग को बन्द किया जा सके ।

अस्पतालों के अन्दर जो मीनियल स्टाफ है वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता क्योंकि उसका वेतन बहुत कम होता है । डाक्टर सुपरिटेंडेंट्स के वेतन अच्छे हैं लेकिन जो स्टाफ वहां की सफाई व्यवस्था रखता है उसको नेगलेक्ट किया जाता है । इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर उनका वेतन बढ़ा दिया जाय तो अपने कर्तव्य का पालन वह ठीक तरह से कर सकेंगे ।

जो रोगी अस्पतालों के अन्दर भरती होते हैं उनकी देखरेख के लिये जो लोग उनके साथ आते हैं उनके ठहरने की कोई व्यवस्था अस्पतालो में नहीं होती है । वे अस्पताल के बाहर पड़े रहते हैं, वहीं खाना पकाते हैं और गंदगी फैलाते हैं । मरीज को इससे राहत नहीं मिलती । अच्छा होता उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिये धर्मशालायें बनवा कर कुछ उचित व्यवस्था करती ताकि उनको राहत मिलती ।

राज्य बीमा कर्मचारी योजना के अन्तर्गत अस्पताल खुले हुये हैं और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की बात कही जाती है । मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई श्रमिक छुट्टी चाहता है तो उसको डाक्टर की भेंट चढ़ानी होती है तभी उसकी छुट्टी स्वीकृत हो पाती है । वहां के अस्पतालों की व्यवस्था भी बड़ी दयनीय है और जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूं दूध राशन सब में मिलावट होती है और सामान चोर बाजारी में बेच दिया जाता है और मरीज को राहत देने के स्थान पर और अधिक मरीज उसे बना दिया जाता है । उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक को दौरा करना चाहिये यह देखने के लिये कि अस्पतालों में यह सब कुव्यवस्था क्यों है ? कितने उन्होंने दौर किये । एक दौरे का मुझे याद है कि जब विधान सभा के उप चुनाव हो रहे थे तक उन्होंने किया था और वह दौरा राजगढ़ का था । उस समय वे जरूर तमाम अस्पतालों में डाक्टरों से मिले थे । लोगों का यह कहना है कि चुनाव का प्रचार करने के लिये गये थे । लेकिन मैं यह नहीं मानता मैं समझता हूं कि वह दौरा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया होगा कि जो प्रत्याशी चुनाव में मैदान में हैं वे यदि बीमार पड़ जायें तो उनकी देखरेख की हिदायत देने गये होंगे । अगर देखा जाय तो अपने आप उनको यह महसूस हो गया होगा कि इन अस्पतालों की क्या दुर्दशा हो रही है और वहां का क्या वातावरण है । इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य निदेशक पर जाती है ।

[श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी]

हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मेरी इस बात को नोट कर लें, क्योंकि उन्हें इस विभाग को चलाना है, कि जब तक उनका शिकंजा स्वास्थ्य निदेशक के ऊपर नहीं होगा तब तक इस विभाग में इसी तरह से कार्य होता रहेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इसकी जानकारी कर लें कि स्वास्थ्य निदेशक महोदय ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि १ अगस्त, १९७० से उन्होंने अवकाश ग्रहण की अप्लीकेशन सवेतन दी थी और उनका यह प्रार्थना-पत्र मंजूर भी हो गया था। उन्होंने अपना प्राविडेन्ट फन्ड का रुपया भी ले लिया था। इसके बाद मैं नहीं समझता कि उनमें क्या विशेषता थी, हमारी मौजूदा सरकार ने उनको पुनर्नियुक्त कर लिया जबकि उनकी इस सिलसिले में कोई अप्लीकेशन भी नहीं थी कि उन्हें फिर से पुनर्नियुक्त किया जाय। उनकी पुनर्नियुक्ति हो गई और वे अब दिसम्बर में रिटायर भी हो गये। उनका वह समय भी व्यतीत हो गया। अब मैंने सुना है कि उन्हें और ५ साल इक्स-टेन्शन देने की योजना चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कौन-सा ऐसा सराहनीय कार्य किया था जिससे यह सोचा जाता कि वाकई ये उस पद के काबिल हैं। इसके पीछे क्या राज है जो उन्हें रोका जा रहा है। इसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य निदेशक या माननीय मुख्य मंत्री जी ही समझ सकते हैं किन्तु मैं नहीं जानता।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज के प्रोफेसरों को प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउड नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जो मेडिकल कालेज चल रहे हैं उनके अन्दर बहुत बड़ा विभेद है। दो प्रकार के डाक्टर्स वहां कार्य कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउड है और कुछ ऐसे हैं जिनको एलाउड नहीं है। यह भेद क्यों किया जा रहा है? इसका नतीजा यह होता है कि जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस एलाउड है उसमें लोग ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको वहां पर पैसा घर पर भी मिल जाता है और सरकार से भी मिल जाता है। घर पर देखने की उनकी फीस १६ रुपये है और यदि किसी के घर जाते हैं तो ३२ रुपया चार्ज करते हैं। यह सुविधा दूसरे लोगों को नहीं मिल पाती है जबकि उन्हें पढ़ाने का कार्य भी करना पड़ता है और मरीजों की दवादारू और इलाज भी उन्हें करना पड़ता है। तो पढ़ाने के मुख्य धंधे के साथ ये लोग मरीजों के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अमेरिका की तरह यहां होना चाहिए। तो अच्छी तनख्वाहें उनको दी जायं लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति किसी को भी नहीं देनी चाहिए। उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ नानप्रैक्टिसिंग सबजेक्ट्स हैं जैसे ऐनाटामी है, फारमैकालाजी इत्यादि हैं इन विषयों के लिये अच्छे व्यक्ति जाना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय ५ मिनट और रह गया है, बहुत से बोलने वाले हैं और आज ही खत्म होना है।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

मुझे काफी बोलना था। बालगोविंद खुराना इसीलिए चले गये कि उनको अच्छा वेतन और यहां का वातावरण उनको उपयुक्त दिखाई नहीं पड़ा। उनको नोबुल प्राइज मिला लेकिन हिन्दुस्तान के बाहर। ऐसी विभूतियां जिनको देश के अन्दर रहना चाहिए था, हमारे राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए थी आपकी गलत नीतियों के कारण इस देश के बाहर जाकर नोबुल प्राइज विनर बनते हैं और यहां पूंछ नहीं है, इस वातावरण को समाप्त होना चाहिए।

एक बात और है कि जबकि ग्रामों में रहने वाली जनता की आबादी का अनुपात ८०—८५ फीसदी है, वहां के लिए केवल १२ प्रतिशत रिजर्वेशन करना यह कहां का न्याय है? जब गांव के आदमी को लेना नहीं चाहते अच्छी तादाद में तो क्यों शिकायत करते हैं कि वह गांव में प्रैक्टिस

नहीं करना चाहते हैं ? उनका तो कम से कम ५० प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिए। वहां डाक्टर जाते नहीं हैं। ८ किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल बनाने की स्कीम है गांव में, लेकिन मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्र की २२.७ है जबकि शहरी मृत्यु दर १३.६ है। गांव में आदमी ज्यादा मर रहा है। वहां कोई चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो शहर की तरफ भागता है, या दम तोड़ देता है। वहां भी चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती और कम्पाउंड में पड़े रहते हैं। भगवान की दुआ मिल जाय तो भले ही मिल जाय। तो ५० परसेंट रिजर्वेशन अवश्य होना चाहिए। पिछड़ी हुई जातियों के लिये भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, १० परसेंट तो होना ही चाहिए। हरिजनों के लिए अभी किया गया है। २३ से ८३ संख्या की गयी, लेकिन १५ परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई सुरक्षित स्था न हमारे मेडिकल कालेजों में नहीं है जबकि मेडिकल कालिज बिलारी, हुबली, रामपुर, करनौल आदि में १० प्रतिशत और कहीं १ प्रतिशत रिजर्वेशन है, लेकिन हमारे यहां नहीं है, यह कितना अनुचित है। इसलिए उनके लिये भी एक रिजर्वेशन और बढ़ाया जाय। ज्यादा टाइम आप देना नहीं चाहते लेकिन कुछ बातें मैं और कहना चाहूंगा। दस मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अधिक से अधिक ५ मिनट और दे दूंगा।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

नेत्र चिकित्सालयों की बहुत कमी है। दिल्ली में एक कान्फरेंस हुई थी उसमें हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने यह उद्गार प्रकट किये थे कि संसार का हर तीसरा अंधा व्यक्ति भारतीय है। अब आप सोचिये कि हमारे देश के अन्दर नेत्रहीनों की क्या हालत है, नेत्र रोगों की कितनी वृद्धि है। उनको देखते हुए अस्पतालों की बड़ी कमी है। उस दिशा में मंत्री महोदय को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

टी०बी० का जहां तक सवाल है हर एक हजार आदमियों में १५ व्यक्ति टी० बी० के मरीज होते हैं। आज भी कानपुर जैसे नगर में गन्दी गलियों के अन्दर एक-एक कमरे में १०–१०, १२–१२ व्यक्ति रह रहे हैं। मुझे याद है, एक बार स्वर्गीय माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही दिखाने के लिए उन गन्दी गलियों में ले जाया गया। वहां इतनी बदबू आ रही थी कि उनको नाक दबानी पड़ी, वे आगे जा नहीं पाये और लौट आये आते ही उन्होंने आदेश दिया कि इन गन्दी बस्तियों को उजाड़ कर नये मकान बनाये जायं। उस आदेश का प्रतिपालन तो हुआ लेकिन आज भी कानपुर, गाजियाबाद वगैरह में वही स्थिति है। जब एक कमरे में १०–१२ व्यक्ति रहेंगे तो टी० बी० तो होगी ही और जब टी० बी० होगी तो वह गरीब आदमी अपना इलाज ठीक से करा नहीं पायेगा और मरेगा ही। इसलिए उनके रहने का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि टी० बी० के मरीज न हों। अगर ऐसा किया जाय तो टी० बी० के अस्पताल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वह केन्द्रीय सरकार को अनुशंसा करे।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में १,००,५४,३८० नसबन्दी के आपरेशन १९७१–७२ में हुए। बुलंदशहर का लक्ष्य था १० हजार लेकिन १४ हजार तक पहुंचे। गोरखपुर में २० हजार का लक्ष्य था और ६५ हजार तक पहुंचे। स्वास्थ्य निदेशक की तरफ से जो पुस्तिका बंटी है उसमें उन्होंने कहा है कि विश्व में एक नया कीर्तिमान सम्पादित हुआ। यह ठीक है, लेकिन अगर यह कहा जाय कि कितने नवविवाहित लोगों की नसबंदी हुई, कितने २५ साल से नीचे के अविवाहित लोगों की नसबंदी की गई, कितने ६० साल से ऊपर के लोगों की नसबंदी की गई और कितने बुड्ढों की जो विधुर थे उनकी नसबन्दी हो गई। अभी लोक सभा में यही प्रश्न उठाया गया था। परिवार नियोजन पर लम्बी-लम्बी बातें करना तो बड़ा आसान है लेकिन यह जो तथ्य सामने आ

[श्री श्रीकृष्ण बाजपयी]

रहे हैं इनको रोकने के लिये कोई प्रयत्न किया। परिवार नियोजन एक अच्छी चीज है लेकिन यह देखना चाहिए कि वह अच्छी चीज कायदे से हो भी रही है या नहीं। ग्राम भनोट, पोस्ट नदरई, तहसील कासगंज, जिला एटा के एक नवविवाहित व्यक्ति लबस्ट्रांग गार्डेन की नसबंदी कर दी गई। शिकायत की गई। आज ढाई साल हो गये लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।

आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, दोनों का कोर्स ५ साल का है। दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडियेट विद साइंस है। लेकिन दोनों की तनख्वाहों में बड़ा अन्तर है। यह डिस्पैरिटी क्यों की जा रही है? इसके साथ ही जो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए अनुदान दिया जाता है वह बहुत दिनों से एक हजार रुपया चला आ रहा है। उस एक हजार रुपये से अब के जमाने में कुछ होने वाला नहीं है। लौंग के दाम बढ़ गये हैं, इलायची के दाम बढ़ गये हैं।

श्रीमन्, मैं होम्योपैथी के सम्बन्ध में जिक्र करना चाहता हूं। यह सब से अच्छी चीज है। इस ओर सरकार अपना ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

*डाक्टर प्रकाशनारायण गुप्त (जिला आगरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने आज जो बजट रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए अवसर दिया है। सदन में जो आज बजट रखा गया है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वह यह कह सकें कि पिछले साल में जो हालत रही है उसको देखते हुए इस साल प्रगति नहीं की गई। इस साल २०६ अस्पताल सरकार खोलने जा रही है, मेडिकल कालेज में कई जगहों पर नये विभाग बने हैं। लखनऊ में आर्टीफिशियल लिम्ब सेंटर बनाया गया है तथा कानपुर में कार्डीयोलोजी विभाग को अपग्रेड किया गया है और इलाहाबाद में ब्लड बैंक बनाया गया है। इसी तरह से सब जगह कुछ न कुछ प्रगति के कदम उठाये गये हैं। मेडिकल कालेजों में शिक्षा पद्धति तथा भर्ती होने के इंतजाम में पहले के मुकाबले में बहुत सुधार हुआ है।

अब यह तो अपनी जगह पर लागू है कि कुछ न कुछ कमियां एडमिनिस्ट्रेशन में अवश्य होती हैं और उनके सुधारे जाने की गुंजाइश है और मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग इस देश के सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए सुधार करने की इच्छा करें। अमरीका जैसे स्टैंडर्ड की व्यवस्था की बात सोचना, वक्त से पहले की बात होगी लेकिन सीमित साधनों में रहते हुए हमारे देश में मलेरिया समाप्त हो गया और इनफैक्शस डिजीजेज को कंट्रोल कर लिया गया है, हमारे इन्फेन्ट मोरटैलिटी रेट भी नीचे आ रहा है और इंसान की जिन्दगी बढ़ती जा रही है और विभाग इतनी अच्छी उपलब्धि नहीं कर पाये लेकिन इस विभाग ने जो उपलब्धियां की हैं उन पर देश को गर्व होना चाहिए।

आजकल देश के चरित्र में बड़ी भारी कमी आ गई है वही मेडिकल कालेजों में भी दिखाई देती है और वहां चोरी होती है। इसके दृष्टांत दूंगा ताकि सुधार हो सके। लेकिन प्रगति के रास्ते को ही बंद करने की सोचना उपयुक्त नहीं होगा। विरोधी दलों को प्रगति की तारीफ करनी चाहिये ताकि काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले। पिछले साल मैंने कुछ सुझाव दिये थे, उनमें से अधिकांश पर अमल किया गया जिससे जो चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती थीं वह यहीं बनाई जा रही हैं और वे कम कीमतों में सरकार को उपलब्ध हो जायेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोलियां भी सरकार अपनी बनाये। अगर ऐसा होगा तो उससे लाभ भी बहुत होगा। इसके अलावा जितनी दवायें सरकार अपनी बनायेगी उन सब की शक्ल और नाम और पैकिंग आदि सब बिलकुल अलग-अलग होंगे, इस वजह से लोगों को उनकी चोरी करना नामुमकिन हो जायगा और गैरसामाजिक तत्व जो बाजार में चोरी करके दवायें बेंचते हैं, उनके लिए भी नामुमकिन हो जायगा।

जितना रुपया बजट में रखा गया है उसमें ऐसी कोई चीज नहीं की गई है जिससे हमें यह मालूम पड़े कि गरीब इंसानों को इससे मदद होगी और इसको समाजवाद की ओर ले जाया जा रहा है। मैंने पिछली बार भी यह सुझाव दिया था कि हर बड़े शहर में एक मिनी एक्स-रे प्लांट लगा दिया जाय जिससे साल में एक बार सब लोग अपना एक्स-रे करा सकें। इससे टी० बी० का रोग जो बहुत फैल रहा है, उसको डिटेक्ट करने में सहायता मिलेगी। समय से पहले पता लगने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता है। आजकल एक्स-रे फ्री करने की बात कही जाती है लेकिन ऐसा होता नहीं है और बाहर कहीं कराइये तो १६ रुपया से कम लगता नहीं है। अगर ऐसा प्लांट लगा दिया जायगा तो वह एक रुपया में पड़ेगा जिसको मरीजों को २ रुपया में दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि समाज को यह सुविधा सरकार को देनी चाहिए। शुरू में सरकार को इसमें एक लाख रुपया तो जरूर लगाना पड़ेगा।

अभी विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाया। उनकी यह बात सही है बड़े-बड़े अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यह बात भी सही है कि दवाओं की चोरी होती है खाने पीने की चीजों को चोरी होती है। और दूध में भी मिलावट होती है। पिछली बार आगरा मेडिकल कालेज में दूध की मिलावट को देखते हुए यह प्रबंध किया गया कि कोआपरेटिव डेरी से ही दूध लिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि कोआपरेटिव के दूध में कभी मिलावट नहीं होती लेकिन फिर भी जो प्राइवेट दूध सप्लाई करने वाले हैं उनसे उनकी व्यवस्था कहीं ठीक रहती है। इसलिए जहां ऐसी डेरी हैं वहां पर कोआपरेटिव या मिलीटरी डेरी से ही दूध की व्यवस्था होनी चाहिए।

आगरा मेडिकल कालेज में खाने की व्यवस्था के बारे में मैंने जानकारी की और मुझे पक्की जानकारी हुई कि वहां का जो आटा पिसने के लिए जाता है वह पास वाली चक्की पर नहीं जाता, वह स्टोर कीपर के बगल वाली चक्की पर जाता है और वहां १० बोरे पीसने के लिए जाते हैं तो ७ ही वापस अस्पताल में आते हैं ३ नहीं आते। इसी प्रकार से घी और फलों की भी चोरी होती है। निरीक्षण करने वाले अगर छोटे लोगों से ही इस बात को पूछ लें तो भी चोरी के स्रोत का पता चल जाय। चौकीदार भी इसलिए इस चीज को नहीं बताता क्योंकि उसको भी डिप्टी सुप० को खुश रखना पड़ता है। यह बात न केवल आगरा मेडिकल कालेज के बारे में सही किन्तु ऐसा ही आगरा मेन्टल हास्पीटल में भी होता है। वहां पर कम्पाउंड में खेती करायी जाती है। खेती करने वाले कुछ तो मानसिक रोगी होते हैं और कुछ वहां के कर्मचारी होते हैं लेकिन उसकी जो उपज होती है वह सब डिप्टी सुप० के घर में चली जाती है।

पिछली साल वहां के लोगों ने इस बात को लेकर हड़ताल कर दी थी। उसमें उनकी एक यह भी मांग थी कि जो भी फसल यहां होती है वह डिप्टी सुप० के घर नहीं जानी चाहिए। इसमें हम लोगों ने भी मेहनत की है, इसको बेंच कर सरकार में इसका रुपया जमा किया जाना चाहिए। जब वे लोग उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिये पुलिस में गये तो उन लोगों ने रिपोर्ट लिखाने में अपनी मजबूरी दिखायी। उन्होंने कहा कि यह वाकिया अस्पताल में हुआ है, इस लिए जब तक सुपरिन्टेन्डेंट की ओर से शिकायत नहीं आयेगी तब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। और सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के पास जब शिकायत गई तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे लेकिन उन्होंने भी मजबूरी दिखाई कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के मामले में वह नहीं आड़े आ सकते। हमारे विपक्षी दल के साथी ने अभी

[डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता]

सुझाव दिया कि गांवों में डाक्टरों की उपलब्धि इस तरह से हो सकेगी कि गांव के लोगों को मेडिकल कालेजेज में पढ़ने के लिए प्राथमिकता दी जाय। उनकी इच्छा है और वह चाहते हैं कि गांवों में डाक्टरों की कमी न रहे और वह समझते हैं कि वह इस तरह से पूरी हो जायेगी।

उन्होंने उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में भी जिक्र किया। उनकी यह बात भी सही है लेकिन जब तक बड़े शहरों में डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है यह कैसे मुमकिन होगा कि लोग गांवों की तरफ आकर्षित हो सकेंगे। वह पुरानी दलील प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ कि लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध नहीं हो सकेगा वह बड़े शहरों पर लागू नहीं होती क्योंकि वहां प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये बड़े क्वालीफाइड डाक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा बड़े लोगों के मुकाबले में सरकार के सामने गरीब लोगों का सवाल पहले है और सारे अस्पताल और मेडिकल कालेजेज प्राइमरिली गरीबों के लिये ही हैं जहां पर उसूलन केवल गरीबों का ही इलाज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बात सही है कि मेडिकल कालेजेज में भी जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है और जिनको अलाउड नहीं है उनके बीच में आपस का बैमनस्य बढ़ता है और उन का प्रयास रहता है कि किस तरह से प्रेक्टिसिंग स्थान पर पहुंचा जाय। आप देखें कि कितने डाक्टर सरकारी नौकरियों में रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूरे विभागों में १०प्रतिशत हैं जिनको कि प्राइवेट प्रैक्टिस मिलती है या अलाउड है या एन्ट्रस्ट हो सकती है। वह तमाम लोग जो नींव के पत्थर की तरह काम करते हैं, जिन्होंने मलेरिया के उन्मूलन का काम किया, जिन्होंने इनफेक्शस डिजीजेज को रोकने का काम किया, जिन्होंने लिप्रासी के खिलाफ युद्ध किया, जिन्होंने आंखों के रोहों की बीमारी को कंट्रोल किया, जिन्होंने स्मालपाक्स पर काबू पाया उन सभी को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है।

परिवार नियोजन के डाक्टर्स कर, लेबर और इन्श्योरेन्श के लोगों को भी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। जेल्स के डाक्टर्स को, पी०ए०सी० में, पुलिस लाइन्स में भी प्राइवेट प्रैक्टिस डाक्टर्स को अलाउड नहीं है। मेडिकल कालेजेज में भी केवल ४ विभागों में अलाउड हैं बाकी ६ में नहीं है, एनाटामी, फिजियालोजी, फार्माकोलाजी, जूरिस और हाईजीन कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। चन्द लोग जिनके ऊपर कि कुछ ऊपर के लोगों की मेहरबानी रहती है उनको मौका मिल जाता है बाकी अधिकतर लोगों को प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। पिछली कैबिनेट ने हटने से चन्द दिन पहले आखिरी दिनों में यह फसला किया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस बिलकुल बन्द कर दी जाय लेकिन वह सारे फैसले चूंकि कार्यान्वित न हो सके इसलिए यह सवाल भी रह गया। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार करें और प्राइवेट प्रैक्टिस को समाप्त करने के अपने इरादे में शीघ्रता करें।

एक चीज की ओर मैं मंत्री जी का और ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि आज ही मुझे सूचना मिली है कि यहां लखनऊ के क्वीन मेरी अस्पताल में ५ मास से एक महिला रोगी श्री श्यामसुन्दर की धर्मपत्नी आपरेशनके इंतजारमें पड़ी हैं औरमुझे बताया गया है कि आपरेशन से पहले उनसे कुछ पैसा मांगा जा रहा है जिसके देने में वह असमर्थ हैं। इस कारण से उनका आपरेशन नहीं हो रहा है इस शिकायत को भी मंत्री जी कृपया दूर करने की व्यवस्था करें।

अन्त में मैं केवल एक बात और कहूंगा कि डाक्टरों के साथ पेरा-मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है और उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों को इसकी ट्रेनिंग देने से उनको रोजी रोजगार भी मिल सकेगा, नर्सेज, मिडवाइव्ज, डेन्टिस्ट, असिस्टेंट, एक्स-रे और प्लास्टर के काम में सहायता करने वाले तमाम तरह के लोगों की बहुत कमी है। इन कामों के लिए लोगों को तेजी से ट्रेन्ड करना चाहिए। डाक्टरों के ग्रेड भी कम हैं वह भी बढ़ाये जायं।

पिछले २० वर्षों से डाक्टर्स का जो ग्रेड है, उसमें कोई तरक्की नहीं की गई है। इसी प्रकार से जो अन्य मेडिकल स्टाफ है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उसका नतीजा यह

हुआ है कि जो हड़ताल में कभी हिस्सा नहीं लेते थे मजबूर होकर उनको भी हड़ताल की ओर कदम बढ़ाना पड़ा है लेकिन चूंकि अब एक पे कमीशन बैठ गया है और उसमें बात पहुंच गयी है, मुझे आशा है कि वहां पर उनकी मांगों पर विचार हो जायगा ।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा अपने विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से कि वे इस बजट पर अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ?

*श्री इन्द्रमणि—(जिला टिहरी गढ़वाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्रीमन्, वास्तव में किसी भी राष्ट्र की उन्नति को यदि आंकना चाहें कि यह राष्ट्र कितनी प्रगति पर है तो हमें उस देश के रहने वालों के स्वास्थ्य से स्पष्ट हो जायगा । किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा मापदंड हमारा स्वास्थ्य ही है जिससे हम उस राष्ट्र की प्रगति को समझ सकते हैं ।

श्रीमन्, मंत्री जी ने अनुदान संख्या १९ और २० में लगभग ४३ करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह बात सही है कि गत वर्ष से इसमें कुछ अधिक धन मांगा गया है और यह बात भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस बजट में कुछ अधिक अस्पताल खोलने की ओर सरकार का ध्यान गया है। यह भी सही है कि हमारे जो राज्य मंत्री जी हैं, वे बड़ी सहृदयता से काम को देखते हैं और हर आदमी की मुशीबत को दूर करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन, हम यहां पर कुछ भी भाषण करें कि हम सब काम करेंगे, बजट जो है, वह मापदंड है उस विभाग का कि वह किस ओर जा रहा है ।

यदि हम इस वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति-पत्र खंड २ के पृष्ठ १०७ को देखें तो यह जो कह रहे हैं कि हम इतना उत्थान गांवों का कर रहे हैं, सही प्रतीत नहीं होता है। कितने चिकित्सालयों और औषधालयों के अनुदान में (७) सात हजार की कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी निजी महिला चिकित्सालय बन्द होने के कारण कमी कर दी गयी है। आज स्त्री चिकित्सालयों की कितनी कमी है। इस विभाग ने इस वर्ष एक चिकित्सालय को बन्द कर दिया। आगे आप देखें कि इसमें क्या है । मेरी समझ में नहीं आता है कि जब लोग भाषण देते हैं तो विभाग की ओर से जो सूचना प्रकाशित होती है, उसको देखकर आने का कष्ट नहीं करते हैं। आगे ग्रामीण क्षेत्रों में राज सहायता प्राप्त औषधालयों और निजी चिकित्सालयों के लिये योजना में ५ हजार की कमी वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर की गयी है। छोटी मोटी संस्थाओं में भी पैसे की कमी कर दी गयी है। आगे भी देखें कि क्या स्थिति है। गढ़वाल तीर्थ यात्रा में विशेष औषधालय के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते मानदेय के लिए व्यवस्थित धनराशि में ८ हजार रुपये की कमी की गयी है। तो जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वहां पर भी सरकार जो व्यवस्था करती थी, उसमें भी ८ हजार रुपये की कमी कर दी गयी है ।

इसके अलावा ग्रामोत्थान योजनाओं में भी, जैसा कि पृष्ठ १०९ पर दिया हुआ है, ५०,००० रुपये की कमी कर दी गयी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसको देखें तो मालूम होगा कि जो लोग गांवों में अर्थात् ८०प्रतिशत उनको तो २० प्रतिशत बजट में से रुपया मिलता है और जो २०प्रतिशत शहरों में रहते हैं उनके हिस्से में ८०प्रतिशत बजट है। अगर इस सारे बजट का हिसाब लगाया जाय तो माननीय मंत्री जी का यह बजट है। इसके अलावा एक बात और समझ में नहीं आती है। किसी भी विभाग में हम देखते हैं कि सरकार ने दीन दुखियों के दुःख दर्द

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री इन्द्रमणि]

दूर करने के बड़े-बड़े आश्वासन जनता को दिये हैं। जो बजट सीधा होता है वह तो चलता ही है जैसे कर्मचारियों को तनख्वाह है वह तो सब चलता है। लेकिन उसके ऊपर दोषी किताब होती है। बजट में नई मदों। इस साल इस बजट में नई चीजें रक्खी गई हैं। यह बात देखने की हो जाती है कि यह सरकार कौन से ऐसे कार्य कर रही है जिससे गरीबों के दुःख दर्द दूर होंगे।

जहां तक श्रीमन्, २०० हास्पिटल खोलने की बात है यह सही है लेकिन श्रीमन्, इसमें एक बात की ओर और मैं ध्यान दिलाना चाहता था कि हमारे विभाग वालों को हमने ऐसा देखा है कि जहां के चीफ मिनिस्टर होते हैं वहां अस्पताल की आवश्यकता हो जाती है वहां सिंचाई विभाग वालों का भी पैसा खर्च होगा। मैं इसके परिणाम स्वरूप अपनी दलील में सबूत देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शासन व्यय की नई मदें जिन्हें सन् ७१–७२ के आय व्ययक में सम्मिलित किया गया है यह पेज १६४ पर है—उपर्युक्त प्रायोजना के अन्तर्गत वर्ष १९७२–७३ में १,१२,२१,४०० रुपये की अनुमानित लागत से नये निर्माण कार्य आरम्भ कराने का निश्चय किया गया है जिसमें ४५ लाख की अनुमानित लागत है। वाराणसी में एक जिला अस्पताल का निर्माण होगा। १,१३ लाख में से श्रीमन्, ४५ लाख वाराणसी में, क्योंकि बनारस के मुख्य मंत्री हैं।

इसके अलावा एक बात और बतलाऊं कि पहाड़ के बाबत कहते हैं कि हम पहाड़ पर भी व्यय करेंगे। यहां पर उस विषय में कल प्रश्न भी हुआ था कि कोट्द्वार के अस्पताल के विषय में इन्जीनियर ने लिखा है कि अगर इमारत जल्दी नहीं बनाई जायेगी तो इमारत गिर जायेगी या टूट जायेगी। इन्होंने कोट्द्वार जिला टिहरी गढ़वाल यानी कोट्द्वार पौड़ी गढ़वाल में है। इस अधिकारी को पहाड़ के बाबत इतना भी पता नहीं है कि यह कोटद्वार हास्पिटल पौढ़ी गढ़वाल में है या टिहरी गढ़वाल में। इनका जो विभाग है उसमें यह लिखा है कोट्द्वार जिला टिहरी गढ़वाल जिस विभाग को यह भी पता नहीं कि कोट्द्वार जिला टिहरी गढ़वाल में है या पौड़ी गढ़वाल में वह बजट प्रस्तुत करता है। तो वह किस तरह का बजट होगा। अपनी समझ में तो कोई बात आती नहीं है तो यह बात जो कि बजट के मुताबिक है उसमें मेरा मतलब यह है कि इस बजट में यहां तक भी देखा है कि हम लोग गरीबी दूर करेंगे और भी कितनी चीजें दूर करेंगे। यह कहते हैं श्रीमन्।

मैं दो तीन सुझावों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह सही है कि हमारे प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो लेकिन जो प्रयास आज तक रहा है या बीस पच्चीस साल में जो हमारी नीति रही है इससे हमको फायदा हुआ है या नहीं। आप अस्पताल हजारों खोल दें इससे फायदा होने वाला नहीं है। अस्पताल में आप अधिक से अधिक दवाओं की मात्रा पहुंचा दें उससे फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि वे दवायें तो दूकानदारों के पास ही चली जायेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे डाक्टर निकलते हैं हमने उनके अन्दर सेवा करने की भावना पैदा की है या नहीं। आप कितनी ही बढ़िया दवाइयां किसी आदमी के पास दे दीजिए अगर वह आदमी उसका सेवन नहीं करना चाहता है तो आप कितनी ही दवाइयां दीजिए उससे उसको फायदा होगा नहीं। तो श्रीमन्, वास्तव में जब पी० एम० टी० के इम्तहान लेते हैं, कौन डाक्टर होगा उस समय इस पर ख्याल नहीं किया जाता है कि वह आगे जाकर जनता की सेवा करेगा या नहीं।

यहां तो सवाल यह है कि फिजिक्स या बायलोजी आती है या नहीं इसका कुछ ज्ञान है कि नहीं डाक्टर बना दिया। उनका साइकोलोजीकली इसका इम्तिहान होना चाहिए कि क्या यह लोग जाकर समाज की सेवा कर सकते हैं। जब तक समाज की सेवा करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे तब तक अस्पताल खोलने अथवा दवा बांटने से गरीबों को राहत नहीं मिलेगी। मान्यवर, आप देखें इंगलैंड में कोई भी सरकारी डाक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस का काम नहीं कर सकता है। हम लोग मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। आप जानते हैं कि एक लड़के को डाक्टर बनाने के लिए इस प्रदेश

की जनता का कितना पैसा लगता है ? लेकिन जब वह डाक्टर बन जाता है वह प्राइवेट काम करता है। सरकारी हास्पिटल जनता के लिए खोल रखे हैं। वहां पर प्राइवेट वार्ड हैं। उन प्राइवेट वार्ड में यह रुपया लेते हैं और ७ प्रतिशत सरकार लेती है। सीधी सी बात है सरकार ने यह कर रखा है कि रुपया किसी ढंग से ये डाक्टर कमायें। इस गरीब जनता के पैसे से डाक्टर तैयार किये जाते हैं और जब डाक्टर तैयार हो जाता है तब उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता कि वह जनता की सेवा करे। मेरा निवेदन यह है कि इनके पेशे का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। जब तक आप इस बात को नहीं करेंगे तब तक डाक्टरों के बनाने में गरीब आदमी के पैसा लगाने का कोई सवाल नहीं आता है।

आज हमारे इस आजाद मुल्क में इलाज की दो पद्धतियां हैं—एक देशी पद्धति और एक अंग्रेजी पद्धति। देशी पद्धति में आयुर्वेद और युनानी हास्पिटल आते हैं और देशी पद्धति ऐसी है कि अन्य देशों ने अपनी देशी पद्धति के लिये ऐसा प्रचार किया कि देश में ही नहीं विदेशों में अपनाया जा रहा है। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। देशी का मतलब है निकम्मा। सरकारी लिहाज से आयुर्वेद का मतलब यही मतलब है, जनता के लिहाज से नहीं। वह ८० प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उनका इलाज आयुर्वेद ढंग से होता है, लेकिन सरकार के लिहाज से यह देशी डाक्टर हैं। मान्यवर एक लड़का गत वर्ष प्री-मेडिकल टेस्ट में निकल गया और आयुर्वेद में नहीं निकला। वही लड़का डाक्टर बनता है तो उसे ३००—९०० का ग्रेड मिलेगा और अगर वह आयुर्वेद में जाता है तो उसको १५० रु०। यही नहीं आयुर्वेद में अलग-अलग ग्रेड कर रखे हैं। जो बड़े आदमियों के लड़के हैं उनको अलग और छोटे आदमियों के लड़कों के लिये अलग। मेरी यह समझ में नहीं आता कि यह समाजवादी सरकार समाजवाद की बात कहती है, लेकिन एक ही पेशे के काम करने वाले लोगों को अलग अलग तनख्वाह मिले। मान्यवर आप यह लाल बत्ती बन्द कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट का समय और दिया जाता है ?

श्री इन्द्रमणि—

मेरे कहने का मतलब यह है कि देशी पद्धति को ज्यादा से ज्यादा उन्नति करनी चाहिय इसके साथ ही मेरा पर्वतीय जिलों के बारे में निवेदन यह है कि वहां पर कहीं अगर अस्पताल है तो भवन नहीं है, भवन है तो डाक्टर नहीं है। अतः आप एक दफा पर्वतीयक्षेत्रों का दौरा अवश्य कीजिये। शायद आप यह सोचते हैं कि हम लोग वहां की वकालत ज्यादा करते हैं, लेकिन वहां स्थिति यह है कि बड़ी खराब हालत है। जो डाक्टर वहां जाते हैं उनका काम पैसा इकट्ठा करना होता है, सेवा करना नहीं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर आप विशेष ध्यान दें। अन्त में मुख्य मंत्री और राज्य मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि किसी भी देश की उन्नति के लिये, राष्ट्र की सुरक्षा के लिये स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य तभी ठीक हो सकता है जब उसमें काम करने वाले आदमी, डाक्टर हैं उनका आप राष्ट्रीयकरण करें। आज जो हमारे डाक्टरों की नीति है उससे हमारे प्रान्त में, जिस प्रकार से वह आज काम कर रहें हैं, उससे किसी प्रकार का कोई हित होने वाला नहीं है। इस लिये स्वास्थ्य नीति में समुचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि आज आप इस प्रकार की घोषणा करेंगे और तभी हम आपका साथ दे सकते हैं।

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं अपने मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री और राज्य मंत्री स्वास्थ्य को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना सुन्दर बजट प्रस्तुत किया। इसके लिये व तीनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। इतने सीमित साधनों के होते हुये भी, ऐसी परिस्थितियों के

[डाक्टर श्याम किशोर]

रहते हुये भी जब कि अन्य मदों में अधिक खर्च हो रहा है निश्चित रूप से धन की कमी रहने पर भी स्वास्थ्य का जितना संतुलित और प्रगतिशील बजट हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने (इस समय ३ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए) प्रस्तुत किया है उसके लिये वे हम सभी के बधाई के पात्र हैं। बजट की विशेषता मंत्री जी ने स्वयं आप लोगों के सामने रखी है। बजट की जो प्रमुख विशेषतायें हैं उनमें प्रमुख है समाज के लिये कल्याणकारी होना। सबसे अधिक और सबसे प्रमुख विशेषताओं में यह भी है कि वह समाजवादी विचार-धारा का प्रदर्शन करता हो और वह इस बजट में है। इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में काफी कार्य किया जायगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रमुख नजर डाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं नदियों और घाटियों के बीच में चिकित्सालय की स्थापना करना, हर पांच मील के बीच में चिकित्सालय की स्थापना करना आदि बातें इसको जाहिर करती हैं कि बजट बनाने वाले हमारे मंत्री जी की नजर ग्रामीण अंचल में चिकित्सालयों का जाल बिछा देना चाहते हैं और अगले कुछ ही वर्षों में उसका नक्शा ही बदल जायगा।

मैं बहुत सी बातों को कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं क्योंकि हमारे मंत्री जी ने स्वयं ही सभी बातों को बता दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों के खुलने से गरीबों का लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो तर्क दिया गया कि बजट निःसार है इसको तो स्वयं सदस्यगण ही सोच सकते हैं कि वाकई वस्तुस्थिति क्या है। यह एक रुपये की बात सदस्यों की तरफ से कही गई वह वास्तव में ठीक है। अभी तक प्रति व्यक्ति ६६ पैसे का प्राविधान था परन्तु उसको अब बढ़ाकर १ रु० कर दिया गया है। यद्यपि यह १रु० भी बहुत कम है परन्तु कम होने के साथ उसको बढ़ाने का जो प्रयास हमारा है क्या वह प्रशंसनीय नहीं है मैं इसके विषय में बाद में बताऊंगा कि उसका हल क्या है। परन्तु जो परिस्थितियां हैं, जो चिकित्सालय हैं और उन चिकित्सालयों में जो दशा उपलब्ध है उसके बारे में किसी भी सदस्य ने यह नहीं बताया कि उसका हल क्या है। जो दशा हमारे मंत्रीजी ने उनके सामने रखी है उसकी वे लोग मखौल उड़ाने की व्यर्थ ही चेष्टा करते हैं।

यह भी देखने की जरूरत है कि किस प्रकार से जिला चिकित्सालयों में नवीन सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)--

माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप पढ़ें नहीं।

डाक्टर श्याम किशोर--

बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो देखनी पड़ती हैं।

श्री अधिष्ठाता--

नोट्स देख लें।

डाक्टर श्याम किशोर--

बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में प्रश्नोत्तर के समय कठिनाइयों के बारे में बतलाया गया है। मुख्य मंत्री जी ने भी भाषा की कठिनाई क सम्बन्ध में बतलाया था। जितनी भी पुस्तकें हैं अंग्रेजी में ही ह। चाह आज आयुर्वेद.....(व्यवधान).....चाह आयु-र्वेद कालेज हो, यूनानी कालेज हो, होमियोपथी कालेज हो सभी जगह पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती

है इस कारण बहुत सी पुस्तकों का हिन्दी में न होना है। हमारे सम्मानित सदस्य उस ओर के इस बात की कोशिश नहीं करते कि जो पुस्तकें हैं वह हिन्दी में हो जायं.....

श्री चन्द्र भान शर्मा--

यह काम तो सरकार का है....(व्यवधान).....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रक्खें।

डाक्टर श्याम किशोर--

मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि आपकी स्वयं की शिक्षा भी अंग्रेजी में हुई होगी। राजकीय जिला चिकित्सालय में जो नये युनिट्स खुलेंगे उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि हर जिले में बच्चों और महिलाओं के लिये चिकित्सालय खोले जानें का विचार है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह यदि सभी में संभव न हो सके तो ५,७ के बीच न्यूरोलाजी और साइकेस्ट्री डिपार्टमेन्ट की व्यवस्था अवश्य करें। बहुत स हमारे विरोध के सदस्य जो असन्तुलित हो जाते हैं उनका भी वहां इलाज हो सकेगा।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

आप बरेली में रहते हैं।

डाक्टर श्याम किशोर--

जी, बरेली के पास, प्रशिक्षण के लिये जो सामूहिक प्रणाली को अपनाया गया है वह बहुत अच्छी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह होमियोपैथी, यूनानी,आयुर्वेद आदि सभी में इस व्यवस्था को लागू कर दें। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार काफी प्रयत्न कर रही है और इनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से प्रशंसनीय रही हैं। इसमें और भी तरक्की की आशा है परन्तु इसमें एक कमजोरी है और वह यह है कि इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि जिस तरह से खर्च किया जाता है और जिस तरह से उसके डाक्टर्स रक्खे जाते हैं, उसको काम दिया जाता है, उससे हमारी आबादी में कितनी घटोत्तरी हुई है, इसकी तालिका नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह इस तालिका को बनवायें जिससे हम समझ सकें कि यह कोशिश रही है और उसकी ठीक पद्धति है या नहीं और क्या परिवर्तन की आवश्यकता है।

संक्रामक रोगों के नियन्त्रण के विषय में, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, हैजा, चेचक, आदि के जगह-जगह पर अस्पताल बनाये जा रहे हैं। उनके रोकथाम की व्यवस्था की जा रही है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे विपक्षी भाइयों को इसमें सरकार को सहायता देनी चाहिये जिससे प्रान्त के अंदर इस रोग का समन हो सके।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने अभी बताया कि यूनानी, आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति हमारी सरकार उदासीन रही है। परन्तु हमारी इस सरकार ने, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया, आप लोगों ने देखा होगा कि होमियोपैथी के प्रति सरकार उदासीन नहीं, आयुर्वेदिक के प्रति सरकार उदासीन नहीं और यूनानी के प्रति सरकार उदासीन नहीं। तीनों पद्धतियों को बढ़ाने की अनवरत चेष्टा सरकार कर रही है और उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किये जिन आंकड़े को आप सभी लोगों ने सुना है। उसमें २० होम्योपैथी के अस्पताल, १५ आयुर्वेदिक के और अस्पताल और इसी प्रकार यूनानी के अस्पताल खोलने की सरकार कोशिश कर रही है और अपने सीमित साधनों में जितना भी सम्भव होगा, उनको बढ़ाने की सरकार कोशिश करेगी।

[डाक्टर श्याम किशोर]

अब होम्योपैथी के विषय में, क्योंकि वह अपना भी विषय है, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। सन् १९४९ में केन्द्रीय सरकार ने होम्योपैथी सलाहकार समिति गठित की थी। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और उन सिफारिशों के कार्यान्वयन का कार्य केन्द्रीय सरकार पर वास्तव में है। परन्तु उसमें और भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जो कि हमारी प्रान्तीय सरकार को करने के लिये थीं, और उसके लिये हमारी प्रान्तीय सरकार को परिपत्र भी शायद भेजा गया था। किन्हीं कारणों वश, जो उस सलाहकार समिति की सिफारिशें थीं, वे अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकीं। मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान, उन सिफारिशों के प्रति दिलाया था और उन्होंने उसको देखा था और मैं स्पष्ट रूप से मान्यवर, इस सदन को यह बता दूं कि उन्होंने इस बात को तय किया है कि उन सिफारिशों को इस प्रान्त में हर तरह से लागू करने की चेष्टा करेंगे उनमें एक सिफारिश यह थी कि कम से कम हर प्रान्त के अन्दर इसके १०० अस्पताल होने चाहियें····

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

डाक्टर श्याम किशोर—

मान्यवर, दो मिनट और दे दें।

तो मान्यवर, उस सलाहकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के विषय में सरकार कोशिश कर रही है और यह बजट निश्चित रूप से प्रगतिशील है। मैं इसका समर्थन करता हूं और जिन लोगों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह सार रहित है और मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ताकि यह सर्व सम्मति से पास हो सके।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह निर्विवाद है कि किसी देश की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक स्तर वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। श्रीमन, पिछले स्वतन्त्रता के २५ वर्ष के अन्दर हमारी सरकार स्वास्थ्य के स्तर को बिल्कुल ऊंचा नहीं कर पाई। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस ओर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। यदि अपने साधनों की कमी के कारण हम असफल होते तो वह क्षम्य था किन्तु, श्रीमन, यह बात नहीं है। विशेषता तो यह है कि इस ओर कभी पूरी तरह से ध्यान ही नहीं दिया गया। देश के पिछड़ेपन के सम्बन्ध में जो समय-समय पर कमेटियां नियुक्त हुईं और जो सेमीनार हुई उसकी भी यही राय है। उन्होंने यह कहा है कि अधिक सम्पति के उत्पादन की चिन्ता में हम उन मूलभूत बातों को भूल गये जो मानव को अधिक सम्पत्ति उत्पादन करने हेतु क्षमता प्रदान करते हैं। वास्तविकता यह है कि हमने कभी क्वालिटी आफ मैन इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की।

आज भी स्थिति यह है कि देहात में गर्भवती स्त्री पुष्ट भोजन न मिलने के अभाव में या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है अथवा उनके जो बच्चे होते हैं वे बहुत ही निर्बल होते हैं और साल भर के अन्दर ही मर जाते हैं। स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने भी आगरे में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे अधिकतर बच्चे पैदा होने के एक साल के अन्दर ही मर जाते हैं। अगर वे जीवित भी रहते हैं तो मृत्यु तुल्य होते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे व्यक्ति हमारी सम्पत्ति के उत्पादन में कोई बड़ा सहयोग दे सकते हैं। हम देखते हैं कि बाहर से जो लोग हमारे यहां काम करने के लिये आते हैं वे हमारे यहां के कर्मचारियों के मुकाबले में कई गुना काम अधिक करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आपका एप्रोच निगेटिव रहता है। मानव जाति के विकास और उसकी उन्नति की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। आपका

ध्यान फैमिली प्लानिंग की तरफ है। आप इससे जन्म दर घटा नहीं सकते, मृत्यु दर बढ़ा भले ही लें। अभी गोरखपुर में फैमिली प्लानिंग का एक कैम्प लगा। उसके कारण ११६ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई गलत आपरेशन के कारण। आज प्रदेश में बहुत सी महिलायें हैं जिन्हें इस फैमिली प्लानिंग के कारण तमाम कष्ट उठाना पड़ा। आपने जो जगह-जगह केन्द्र खोल रखे हैं, आप भले ही उनका गुणगान करें, मगर मेरा विश्वास है कि उनकी वर्किंग को देखने के लिये न आप कभी जाते होंगे और न ही आपके डायरेक्टर महोदय कभी जाते होंगे। डाक्टर का तो वहां पता ही नहीं रहता। जब पहली तारीख आती है तभी कम्पाउन्डर पे बिल पर दस्तखत कराने के लिये जाता है।

मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज वह प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कुछ नहीं कर रही है। स्वास्थ्य के लिये जो उपयोगी साधन हैं जैसे जल है, वह तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज मानव चन्द्रमा तक तो पहुंच गया है, दूसरे नक्षत्रों में भी जाने की कोशिश में है, मगर गांवों में डाक्टर नहीं पहुंच पाया है इन २५ वर्षों के अन्दर। जब तक आप देहात की ८० प्रतिशत जनता के स्वास्थ्य को नहीं सुधारेंगे, तब तक प्रदेश की न आर्थिक उन्नति हो सकती है और न सामाजिक उन्नति ही सम्भव है।

अभी कुछ दिन पहले लखनऊ के विशेषज्ञ डाक्टर कक्कड़ ने कहा था कि लखनऊ के लिये बड़ी आवश्यकता है कि यहां आथोपेडिक के लिये एक अलग से अस्पताल खोला जाय। इस सम्बन्ध में प्रान्त के और भी विशेषज्ञों से बात मेरी हुई थी, कानपुर के जो आथोपेडिक के डाक्टर विशेषज्ञ ए० के० गुप्ता हैं, उनसे भी परामर्श किया। उन्होंने भी बताया कि फ्रैक्चर और एक्सीडेंट के लिये अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिये। उसमें अलग से नर्सिंग स्टाफ हो, आपरेशन थियेटर होना चाहिए और अन्य अस्पतालों से उसका प्रबन्ध अलग होना चाहिये। फ्रैक्चर का ५०प्रतिशत इलाज एक्सरसाईज है। उसके लिये एक्सरसाइज हाल होना जरूरी है। विदेशों में इस तरह के हाल सब जगह हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं हैं। कानपुर में बरामदे में, गैलरीज में और घास पर लोगों को चलाया जाता है। हर जगह कैंबल टाउन में जहां-जहां एक्सीडेंट होते हैं, वहां आवश्यकीय रूप से एक्सरसाइज हाल होने चाहिए। उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। डाक्टर कक्कड़ का एक सजेशन और था, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। एक एम्बूलेंस—फ्रैक्चर और एक्सीडेंट के लिये सभी बड़े शहरों में मौजूद रहनी चाहिये, ताकि नगर के किसी कोने में कोई दुर्घटना होने की स्थिति में वह तुरन्त पहुंच जाय। ऐसे मामलों में समय का बड़ा महत्व होता है, कभी-कभी थोड़ी देर होने से किसी के प्राण जा सकते हैं। यदि वायरलेस फिटेड एम्बूलेंस हों तो बहुत लोगों के प्राण बचाये जा सकते हैं। हमारी सरकार को हमारी समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं है, वह उसे जानने का कोई प्रयत्न भी नहीं करती।

अब मैं सदन का कुछ समय अन्य महत्वपूर्ण बातों पर निवेदन करने के लिये लेना चाहता हूं। श्रीमन्, यह सामान्य वसूल है कि समान कार्य के लिये समान वेतन होना चाहिए। आपको मालूम है कि आयुर्वेदिक कालेजों में जो छात्र प्रविष्ट किये जाते हैं उनकी योग्यता इन्टरमीडियेट है और एलोपैथी के लिये भी यही योग्यता निर्धारित है। दोनों की पढ़ाई का कोर्स भी पांच वर्ष का होता है। लेकिन दुख की बात है कि आयुर्वेदिक वाले डाक्टरों का वेतन क्रम १५० रुपये से शुरू होता है, जबकि एलोपैथिक डाक्टरों का ग्रेड ३०० से ६०० रुपया होता है। इस असमानता का कारण क्या है? हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली की इतनी अवहेलना की जा रही है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरे प्रान्तों में ऐसी असमानता नहीं है। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली आदि प्रदेशों में उनका वेतनमान ४००–८०० है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस असमानता को दूर करे, ताकि हमारी प्राचीन प्रणाली को प्रोत्साहन मिल सके। जबतक आप इसको

[श्री उमा शंकर शुक्ल]

प्रोत्साहन नहीं देंगे हमारी स्वास्थ्य---चिकित्सा की समस्या कभी हल नहीं हो सकती है।

इसके अतिरिक्त लोकल समस्यायें हैं, जिनके विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज के लिये केवल एक हजार रुपया साल दिया जाता है, जो किसी भी प्रकार प्रर्याप्त नहीं है। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सकों को आवास की कोई सुविधा नहीं दी गई है। अगर उन्हें कोई सरकारी मकान मिलता है तो १० फीसदी उनकी तनख्वाह में से कट जाता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस असमानता को शीघ्र दूर करें। एक बात परिवार नियोजना के सम्बन्ध में जरूर कहूंगा। यहां के स्वास्थ्य सहायक लोगों को, छः वर्ष हो गये हैं, कोई सीनियारिटी लिस्ट नहीं बनी है। विभाग के लोग मनमाने ढंग से जिसे चाहते हैं पद्दोन्नत कर देते हैं। यह बात बड़ी अनुचित है। इनकी शीघ्र ही सीनियारिटी लिस्ट तैयार होनी चाहिये। श्रीमन्, जो समस्यायें मैंने आपके सामने रखीं अब उसका उपाय क्या है। भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री श्री के० के० शाह ने इस समस्या की गम्भीरता को समझा था और उनका सुझाव था कि एक मेडिकल कमीशन अप्वाइन्ट होना चाहिए। उसे पूरे अख्तियारात हों। वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करे कि डाक्टरों की पदोन्नति किस प्रकार होनी चाहिये।

मेडिकल डिपार्टमेंट से बहुत चोरियां होती हैं। लखनऊ के भी कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों पर विचार किया जाय विशेषकर देहाती क्षेत्र में किस प्रकार सफलतापूर्वक लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं अपने स्वास्थ्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि अपने प्रान्त में इस किस्म का कमीशन बनायें, जो इन बातों पर अच्छी तरह से विचार करे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि लखनऊ का एक खास केस है जिसके बारे में सूचना मिली है। नरही में एक अतुल फार्मेसी है जिसके प्रोपराइटर रवीशचन्द्र अग्रवाल हैं जो डायरेक्टर के आफिस में क्लर्क हैं। उन्होंने अपने बेटे और अपनी बीबी के नाम से एक फर्म खोल रखी है। इनके सबसे बड़े पैटरर्न डाक्टर गुलाम सय्यदन टूरियागंज में हैं, एक डाक्टर ठाकुर हैं जो नादिर गंज में हैं। इसमें बड़ा करप्शन है। इसकी जांच करवायें तो आपको उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का बहुत सा मसाला मिल जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय शुक्ल जी, आपका समय समाप्त।

* श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग का जो बजट सदन में पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज स्वास्थ्य विभाग के मन्त्री ने और हमारे मन्त्रि मंडल ने जिस दूरदर्शिता के साथ इस बजट में प्राविधान किया है, उससे ज्यादा अच्छा समाजवादी ढांचा स्वास्थ्य की ओर दूसरा नहीं मिल सकेगा। आज उन्होंने देहातों में जो सुविधा पहुंचाने की कोशिश की है, उन जगहों पर बाढ़ की परिस्थिति में कोई रास्ता नहीं रहता, वहां से कोई मरीज इलाज करा सके, आज वहां अस्पताल खोलने की सुविधायें प्रदान की हैं। आज हमारे माननीय दोस्त कहते हैं कि २५ वर्ष के बाद अब भी स्वास्थ्य में हम आगे नहीं बढ़ सके। मुझे अपने माननीय दोस्तों से कहना है जरा आंखें खोल कर देखें। आंखें मूदनें पर सावन में जो अन्धा हो गया है उसको हरेरी ही हरेरी दिखाई देती है, जेठ बैसाख में जो अन्धा हो तो रूखा ही रूखा दिखाई देता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज वही हालत है। हालत यह है कि इनकी कि सन् २५ से पहले अंग्रेजों वाले ख्वाब में ये डूबे हुए हैं। हैजा का आज नाम नहीं है। प्लेग विदा हो चुका है। मलेरिया दूर खड़ा रहता है। चेचक कभी-कभी होती है। लेकिन जनसंघियों को रात में नहीं दिन में भी दिखाई नहीं देता और दिन में चिराग लिये घूमते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

पन्ना लाल जी आपके लिये दिया ले लेते होगें ?

श्री पन्ना लाल गुप्त—

हमारे यहां तो लाइट है, दिये की जरूरत ही नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

हम बैसाख के हैं तो आप क्या सावन के हैं ?

श्री पन्ना लाल गुप्त—

आप अपने को अगर बैसाख का मानते हैं तो हम को क्या एतराज हो सकता है। किताबों में बेताल पच्चीसी के किस्से पढ़े हैं। जब उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वैसी बोली बोलने लगते हैं और जब इधर आ जाते हैं तो दूसरी बोली बोलने लगते हैं उधर अंधेरा तथा इधर उनको उजाला दिखाई देता है । लिहाजा आप आंखों में काजल लगायें, लाइट रहेगी तो शायद पहले की तरह दिखाई देने लगेगा।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला बाराणसी)—

उधर जाते हैं तो चस्में की जरूरत नही होती ?

श्री पन्ना लाल गुप्त—

आप तो तीन-तीन दफा इधर से उधर उलट-पलट कर चुके हैं। मैं अब कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं और मंत्री महोदय उन पर जरा अच्छी तरह से बिचार करें। आज जब हमारा लक्ष्य समाजवाद लाना है तो हमको समाज में बैठ कर समाज को ऊंचा उठाना है लेकिन आज हमारी इस तरफ निगाहें नहीं जातीं। आज हम पावर को विकेन्द्रीयकरण न करके उसे सेक्रेटेरियट में सेंट्रलाइज कर रहे हैं और हर चीज में वह रोड़ा अटकाता है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा आज कबाल टाउन्स में मेडिकल कालेज हैं, वहां जो प्रोफेसर तथा डाक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस को बन्द कर दिया जाय, उनका वेतन बढ़ा दिया जाय, नान प्रैक्टिस एलाउन्स उनको दिया जाय। आज वहां के डाक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं। मरीज मेडिकल कालिज में भरती होने से पहले उनके क्लिनिक में जब तक अपने को नहीं दिखाता है तब तक उसको मेडिकल कालेज अथवा अस्पतालों में ऐडमिशन नहीं मिल सकता। अस्पताल की दवायें प्राइवेट मरीजों के पास पहुंच जाती हैं और इसका कारण यह है कि अधिकारी आज मंत्रियों को उल्टा ही मंत्र देते हैं।

आज जितने पब्लिक हेल्थ सेन्टर्स हैं और उनमें जितने डाक्टर्स हैं यदि गरीब लोग उनसे इलाज कराना चाहें और अपने घर उनको ले जाना चाहें तो वे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें आप नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देते हैं। किन्तु साथ ही बड़े-बड़े शहरों में सफेद पोश पहने डक्टर घरों में जाते हैं। इस तरह से बड़े-बड़े शहरों में उनको छूट है और गांवों में जहां कि इनकी आवश्यकता होती है, नहीं जा पाते। मेडिकल कालेजों में लड़के पढ़ें या न पढ़ें, मरीज पड़ा है तो पड़ा है किन्तु उसका कोई इलाज ठीक से नहीं हो पाता। माननीय गेंदा सिंह जी राज्य मंत्री जब थे उन्हें यह बात अच्छी प्रकार से मालूम है कि बलरामपुर की क्या हालत हो रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात आप से भी छिपी नहीं है। १५ साल एक अस्पताल में रहने के बाद और एक साल सीतापुर में रहने के बाद फिर वही डाक्टर उसी स्थान पर आ जाते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या यही नीयत और नियम है कि किसी डाक्टर को तीन-चार साल

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

में हटाओ और किसी को १५साल एक जगह पर रखने के बाद एक साल कहीं दूसरी जगह रखकर फिर उसी जगह पर रख देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि इन डाक्टरों का, जो मुख्य-मुख्य अधिकारी होते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, ८ घंटा समय उनके घरों में, उनके देखने में, उनके इलाज करने में और उनकी मालिश करने में बीतता है किन्तु अस्पतालों में जो मरीज होते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं होता।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह सहूलियतें तो आप को भी हासिल हैं।

श्री पन्ना लाल गुप्त—

हमको तो हैं किन्तु त्यागी के समय में आपको हासिल थीं। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, डाक्टरों के बारे में कहा जाता है और उनकी एक ही पहचान है वह किसी का दोस्त नहीं है और न ही किसी का दुश्मन है, न साथी है और न बैरी ही है। उसकी क्वालिटी तो यह है कि वह मरीज का दोस्त होता है और मर्ज का दुश्मन होता है। जो डाक्टर मरीज का दोस्त नहीं है और मर्ज का दुश्मन नहीं है तो वह डाक्टर नहीं है चाहे वह कितना ही काबिल क्यों न हो। मैं तो ऐसे डाक्टरों को भी देखता हूं कि जो मिट्टी को दवा के रूप में देकर ही मरीज को ठीक कर देता है। हमारे यहां एक मन्नू बैद्य थे। उन्होंने तिजारी के एक मरीज को यह लिख कर एक परचा दिया कि पानी को उबाल कर जब वह पाव भर रह जाय तो उसको पी लेना। जब वह घर गया तो उसने उस परचे को ही पानी में उबाल लिया और उसे पी गया। जब दुबारा वह बैद्य जी के पास आया और उसने कहा कि मैंने उस परचे को पानी के साथ उबाल कर पिया है तो वैद्य जी ने एक दूसरा परचा उसे दे दिया और फिर उसने ऐसे ही किया। इस प्रकार उसका मर्ज ठीक हो गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कह रहा हूं कि डाक्टर को मर्ज का दुश्मन और मरीज का दोस्त होना चाहिए।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के बारे में कहना चाहता हूं कि इसको हेल्थ डिपार्टमेंट से हटा कर चिकित्सा डिपार्टमेंट के मातहत कर देना चाहिए। जिले में ऐसे कुल तीन-चार अस्पताल होते हैं जो चिकित्सा के अन्तर्गत होते हैं और बाकी अस्पताल हेल्थ आफिसर के पास ही होते हैं। फतेहगढ़ में ५ साल की एक इन्क्वायरी हुई थी जिसमें १११ आदमियों ने सहादत दिया था। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ऐसा न हुआ हो कि दवाओं में १/४ दवा रहती थी और ३/४ पानी होता था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जो एम०एल०एज० हैं वे बड़े सस्ते हो गये हैं। मंत्रियों को ऐसे दबाते हैं कि वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं...

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आपने नसबन्दी करा ली है।

श्री पन्नालाल गुप्त—

मैंने तो सन् ३७ से ही करा रखी हैं पर तुम अबहुं नाहिं कराये हौ। हमारे माननीय बाजपेयी जी ने जो बात कही कि डाइरेक्टर के दौरे नहीं होते किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर के इतने दौरे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वे कब आये, कहां आये और कब गये.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री पन्ना लाल गुप्त---

उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया, प्राविडेंट फंड ले लिया तो उनको क्यों बुला लिया ? उनको पता नहीं है कि जैसे कि त्यागी जी को उन्होंने दो साल का एक्सटेंशन पहले ही देकर डायरेक्टर बनाया.....

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठें।

श्री पन्ना लाल गुप्त---

आपकी सारी पार्टी के हर मेम्बर ने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, मुख्यमंत्री से कहा और उनकी काबिलियत देख कर बुलाया गया, अगर आप काबिल होते तो आप को भी बुला लिया जाता, नाकाबिल को कोई नहीं बुलाता। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है और न इसके पास कोई स्पष्ट योजना है। हम समझ नहीं पाते कि पूरे प्रदेश की जन संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुधार करने की सरकार की कौन सी योजना है। हर साल कुछ अस्पताल बढ़ा देते हैं, कुछ शैय्या बढ़ जाती हैं और कुछ जिला परिषदों के अस्पतालों का सरकारीकरण कर देते हैं । इतने से ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री परेशान हो जाते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में ८७५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

(इस समय ४ बज कर १२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

प्रत्येक विकास खंड में जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की गयी है तो वह क्या पूरे विकास खंड की जनसंख्या के लिए पर्याप्त है। एक विकास खंड की जनसंख्या १ लाख के बराबर होती है। उसके पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां एक डाक्टर रहता है और जो उस अस्पताल की आर्थिक क्षमता है जहां दवाओं की व्यवस्था की जाती है तो ३ हजार से लेकर ५ हजार, कहीं-कहीं ६ हजार तक की व्यवस्था है। यह बहुत ही कम है। इस कमी को दूर करने के लिए कौन सा क्रान्तिकारी कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता।

योजना तो ऐसी होनी चाहिए कि १०-१५ हजार की जनसंख्या के बीच में स्वास्थ्य सुधार के लिए, दवा के लिए, कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। योजना बनने जा रही है ... कि दो सौ बढ़ा देने से, जैसा कि भाषण में कहा गया, २०० के बढ़ जाने पर कितनी संख्या पर एक सरकारी अस्पताल हो जायगा, यह अपने भाषण में स्पष्ट कर दीजियेगा। मेरा कहना है कि इस वक्त जो व्यवस्था है वह कहीं-कहीं के लिए तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर ह। एक-एक विकास खंड का पूरा अगर क्षेत्र देखा जाय तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था की गयी है वह १० मील, १५ मील, २० मील तक की दूरी पर पड़ता ह। बरसात के दिनों में मरीज पहुंच नहीं पाते, अगर पहुंचता है तो दवाओं की हालत बड़ी खराब है। डाक्टर लिख देता है परचा, दवा का नाम लिख कर बता देता है, बाहर से खरीदने की व्यवस्था है। क्या सरकार की तरफ से इस वर्ष के लिए जो सरकारी अस्पताल में मरीज जाता है क्या उनके लिए आप दवा देने की गारंटी कर सकते हैं या नहीं ? प्रति मरीज के पीछे ६३ पैसे खर्च करने के बाद आपने कहा कि अब एक रुपया कर दिया है। लेकिन जब मरीज जाता है तो १० नये पैसे का तो परचा ही मिलता है, इस तरह से १० पैसे तो आप ले ही लेते हैं ९० पैसे की ही व्यवस्था रह जाती है। तो सोलह आने नहीं कह सकते हैं, ९० पैसे कह सकते हैं।

[श्री जयराम यादव]

अभी फरवरी के प्रारम्भ में मुख्य मंत्री ने बलरामपुर अस्पताल में कुछ शय्याओं के एक छोटे कक्ष का उद्घाटन करते हुए घोषणा की थी कि हर ५ मील के अन्तर पर एक सरकारी अस्पताल की व्यवस्था की जायगी। मैं बड़ी आशा से बैठा हुआ था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आगामी इस वित्तीय वर्ष में हम हर ५ मील के बीच में एक अस्पताल की व्यवस्था करेंगे। इसे आप नहीं कर पाये। फिर भी अस्पतालों के बढ़ा देने से आप समझते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो गया। कुछ थोड़े से कदम जो आपने उठाये हैं वह न के बराबर हैं। अगर हम इंगलैण्ड, अमरीका आदि उन्नतिशील देशों की तुलना में यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का अध्ययन करें तो हम बहुत पीछे हैं। आपने बड़े-बड़े मेडिकल कालेज खोल दिये। लेकिन उनमें कौन बाहर से पढ़ने के लिये आता है। हमीं लोग दूसरे देशों को जाते हैं। एलोपैथिक सिस्टम का विकास पश्चिमी सभ्यता की देन है और यह बहुत ही खर्चीली व्यवस्था है। जितने सरकार के सीमित साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुये आप अगले ४–५ या १० वर्षों में भी एलोपैथिक अस्पतालों का ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते। चाहिये तो यह था कि जहां आप एलोपैथिक अस्पताल की व्यवस्था नहीं पर पाते हैं वहां आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक अस्पताल की व्यवस्था अवश्य कर देते। ये तीन प्रकार के अस्पताल एलोपैथिक अस्पताल की अपेक्षा बहुत कम खर्चीले हैं। किसी जमाने में तो हमने यहां आयुर्वेदिक सिस्टम इतना विकसित था कि मरे हुए आदमी को भी जिला देने की बात हम अपने ग्रन्थों में पढ़ा करते हैं। वह सिस्टम आज इतना पीछे चला गया जब कि उसकी शुरुआत हमारे देश में ही हुई। लेकिन जैसे अंग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी, जो हमारी मातृभाषा है वह दब गयी उसी तरह से एलोपैथिक के प्रभाव से आयुर्वेदिक पद्धति बिल्कुल नीचे चली गयी। लेकिन सरकार उसके उत्थान के लिये कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा रही है।

इनकी जो पुस्तिका है उसके हिसाब से अस्पतालों में कुल २६,०४१ शय्याओं की व्यवस्था है जिसमें से २१,१७४ शय्यायें शहरों में हैं और देहात में केवल ४,८६७ शय्यायें हैं। जब आप यह मानते हैं कि ८० फी सदी से ज्यादा जनसंख्या देहात में रहती है तो दवा आदि का इन्तजाम भी इसी अनुपात से होना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि असाध्य रोगों के लिये सदर अस्पताल के डाक्टर भी जवाब दे देते हैं और मरीज को लखनऊ, इलाहाबाद या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो दवाओं की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गयी है वह देहात की जनता के लिये कम और शहर की जनता के लिये अधिक की गयी है। जितने भी बड़े-बड़े अस्पताल हैं, अच्छे-अच्छे डाक्टर हैं वह शहरों में ही है। देहातों में ५० वर्ष पहले औरतें प्रसूति की बीमारी से मर जाया करती थीं। आज भी उनकी वही हालत है। अगर देहात में किसी के सख्त चोट लग गयी तो दवा की कोई व्यवस्था न होने के कारण अस्पताल पहुंचते-पहुंचते टिटनेस की बीमारी हो जाती है और वह रास्ते में ही मर जाता है।

अभी एक सेमिनार में उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि १२ हजार बच्चे प्रति वर्ष विटामिन्स की कमी के कारण अन्धे हो जाया करते हैं। हमारे मेडिकल कालेज के डाक्टर अग्निहोत्री ने एक आंकड़ा दिया है कि पूरे प्रदेश की जनसंख्या में ४ करोड़ व्यक्ति चर्मरोग से ग्रसित हैं। फिर भी आप कहते हैं कि हमने सब मर्जों पर काबू पा लिया है। आप कहते हैं कि हमने चेचक कम कर दी, मलेरिया कम कर दिया, लेकिन इस वक्त पूरे प्रदेश में चेचक की बीमारी फैली हुई है। बाराबंकी का एक समाचार नेशनल हेराल्ड में छपा था कि २०० आदमी चेचक की बीमारी से मर गये। चेचक के टीका की जो दवा है वह बहुत पुरानी है और जो टीका लगाने जाता है उसका वेतन आदि बहुत कम होता है जिसके कारण वह मन से काम नहीं करता। यह हालत है टीका लगाने वालों की। ये लोग गांवों से संबंधित हैं और उनकी जिम्मेदारी है उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार है।

गांवों में कोई डाक्टर जाना पसन्द नहीं करता है। हमारे क्षेत्र में दो ब्लाक हैं और दोनों में एक-एक डाक्टर हैं। लेकिन वे सप्ताह में तीन दिन शहर मनोरंजन के लिये चले जाते हैं। वहां उनका मन नहीं लगता है। सरकार इसकी जांच कराये कि एक डाक्टर अपनी पढ़ाई पर इतना खर्चा करता है तो वह देहात में रहना पसन्द क्यों नहीं करता है। शहरों में और बड़े-बड़े शहरों में जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है वहां के सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधायें दी जाती हैं और सिटी एलाउन्स दिया जाता है और देहात में जो डाक्टर रहता है उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। मेरा सुझाव यह है कि देहात के अस्पताल में रहने के लिये जो डाक्टर जाये उसकी तनख्वाह में वृद्धि होनी चाहिये और देहात का एलाउंस दिया जाय। इस तरह से डाक्टरों को देहात में जाने के लिये सरकार इस तरह के कदम उठाये तो वे लोग आकर्षित होंगे।

दूसरी बात यह है कि हर नये डाक्टर के लिये देहात के अस्पताल में दो साल रहने के लिये अनिवार्य कर दिया जाय और जो लोग देहात जाने से भागते हैं उनको अधिक वेतन और देहाती एलाउन्स की सुविधा दी जाय तो वे लोग देहात में जाने को आकर्षित होंगे और इस समस्या का समाधान हो सकेगा। एक तरफ डाक्टरों की कमी की शिकायत है और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में १२ हजार से लेकर २० हजार ऐसे डाक्टर हैं जो बेकार हैं। हमारे प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं लेकिन सरकार व्यवस्था नहीं कर पाती है। यहां भी काफी संख्या में डाक्टर बेकार हैं। हर एक डाक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस चलती नहीं है। हमने २/३ अस्पतालों के मरीजों का रजिस्टर देखा तो ३०/४० प्रतिदिन मरीजों का औसत पाया। या तो देहात में मरीज कम होते हैं या वे अस्पताल जाते नहीं हैं या कोई और कारण है। जो प्राथमिक केन्द्र में डाक्टर है वह प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। इसलिये लोग अस्पताल में न जाकर उसके घर पर जाते हैं। इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांवों में कुओं में कीड़े पड़ जाते हैं और उनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोगों को स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता इसलिये उनका स्वास्थ्य गिर जाता है।

औरतों के लिये हर गांव में शौचालय होने चाहिये। मर्द तो खेतों में जा सकते हैं लेकिन औरतों के लिये बड़ी परेशानी है। शौचालय के बनाने से ग्रामीण जनता सोचेगी कि सरकार ने हमारे लिये कुछ किया है। प्रतापगढ़ से जिला स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन ने एक चिट्ठी सन् ७१ में भेजी थी जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि पट्टी तहसील और पटखोली आदि ११ स्थानों पर अस्पताल खोल दिये जायं। लेकिन यहां हेल्थ डिपार्टमेंट में वह चिट्ठी कूड़े में फेंक दी गयी। उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया, अस्पताल खोलना तो दूर की बात है। यह हेल्थ विभाग का जो निदेशालय है वह सुझावों और दरख्वास्तों का केवल एक कब्रगाह बना हुआ है। मेरा सुझाव है कि सरकार जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदार है इसलिये उसको हर ब्लाक में कम से कम २–३ अस्पताल खोल देने चाहिये। अगर एलोपैथिक अस्पताल नहीं खोल सकती है तो आयुर्वेदिक, यूनानी या हेम्योपैथी अस्पताल ही खोल दे।

१९७० के शासन के आदेशानुसार जिला परिषदों के सेनेटरी इन्सपेक्टरों को राज्य सरकार में निहित कर लिया गया लेकिन उनको वही वेतनमान नहीं दिया जा रहा है जो कि राज्य के सेनेटरी इन्सपेक्टस को मिलता है। मेरा सुझाव है कि उसके वेतनमानों और उपलब्धियों में जो अन्तर है उसको दूर कर दिया जाय।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें एक प्वाइन्ट होम्योपैथी का रह गया था। होम्योपैथी का विषय देश के लिये अत्यन्त जरूरी विषय

[श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी]

है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो प्रदेश और देश के लिये सब से हितकर और खास कर गरीब आदमियों के लिये सब से हितकर हो सकता है उसी की अवहेलना की जा रही है। लेकिन दुःख की बात है इस ओर स्वास्थ्य मंत्री जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

एक केन्द्रीय सलाहकार समिति होमियोपैथी की बनी थी उसने अनुशंसा की थी कि होमियोपैथी में अनाटोमी और पैथोलोजी पढ़ाई जाय जिस प्रकार से एलोपैथी में पढ़ाई जाती है। जब कि नार्गेनन और फिलासफी दो होमियोपैथी की प्रमुख पुस्तकों में से हैं उनमें लिखा है कि इन विषयों को होम्योपैथी के विद्यार्थियों को बिल्कुल भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। होमियोपैथी में जो बीमारियों का कारण बताया जाता है वह लाक्षणिक होता है जब कि पैथालाजी कहती है कि बीमारी कीड़ों के द्वारा होती है। इससे विद्यार्थी कन्फूज हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पैथोलाजी और एनाटोमी होमियोपैथी के विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। अगर होमियोपैथी चिकित्सा कर दी जाय तो एक रुपया प्रति व्यक्ति का जो आपका हिसाब है उसमें बहुत से लोगों को लाभ हो सकता है। अगर इस चिकित्सा पद्धति को चालू किया जाय तो गरीबों का सब से अधिक लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। एक बात यह हुई कि एक सरकुलर भेजा गया जिसमें कहा गया है कि जो होम्योपैथी की क्लासेज रात में लगती हैं वे बन्द की जायं और दिन में लगायी जायं। यह उनके साथ एक दूसरी समस्या खड़ी हुई, उनको कोई रुपया सहायता का नहीं दिया जाता, वह अपना भवन तक नहीं बनवा सकते।

मैंने कानपुर के होम्योपैथिक के डाक्टरों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमें एक इस सर्कुलर से बड़ी परेशानी हो गई है, डी० ए० वी० और जी० एम० के० कालेजेज में होम्योपैथिक की क्लासेज लगती हैं रात के समय और वहां पर इन्टर और दूसरे क्लासेज दिन में चलते हैं। जो अनुभवी लोग हैं वे दिन में अपनी प्रेक्टिस करते हैं और जिन्होंने जिन्दगी का काफी समय इस कार्य से लगाया है वह रात में लड़कों को पढ़ाते हैं और बच्चों को उनके अनुभव का लाभ मिलता है वह इस सर्कूलर से सब समाप्त हो जायगा। अगर वहां इनफीरियर स्टाफ पढ़ायेगा तो उससे बच्चों का हित नहीं होगा। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह यह सर्कुलर वापस ले लें और जो रात की कक्षायें चल रही हैं उनको चलने दें। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि होम्योपैथी के विद्यार्थियों के लिये अनाटामी और पैथालाजी के विषय बेकार हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है उनको हटाया जाय और जो विषय होम्योपैथि के ज्ञान के लिये आवश्यक हैं केवल उन्हीं को पढ़ाने का प्रयत्न किया जाय। होम्योपैथिक ही गरीब जनता के लिये सब से हितकारी सिस्टम है इसलिये उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन और अनुदान देना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो निश्चित रूप से प्रदेश की गरीब जनता का लाभ होगा। इसके अतिरिक्त होम्योपैथ डाक्टर्स के पे स्केल भी बहुत कम हैं, मैं चाहूंगा कि वे एलोपैथिक डाक्टरों के बराबर किये जायं, या हों तो थोड़ा बहुत अन्तर हो लेकिन इस समय अन्तर अधिक है वह कम होना चाहिये और उनके स्केल बढ़ाये जायं।

एक और चीज मेरी जानकारी में आई है और मैं नगरपालिकाओं के स्वास्थ्य विभाग की ओर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। अभी दिल्ली की एक कान्फ्रेंस में उप राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि १२ हजार बच्चे हमारे यहां विटेमिन ए की कमी से मरते हैं। क्योंकि चिकित्सा और स्वास्थ्य की योजना इन संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती है और वहां पर भी बहुत भ्रष्टाचार है और हर तरह के खाद्य की मिलावट होती है उसकी हर तरह की जिम्मेदारी इन हेल्थ इन्स्पेक्टरों की होती है लेकिन रिश्वत खोरी का बाजार गर्म होने के कारण मिलावट के जो टेस्ट आदि होते हैं उन सब में मिलावट करने वालों को छोड़ दिया जाता है। रुपया लेकर सब काम चलता है।

मेरा सुझाव था कि चूंकि मिलावट को प्रोत्साहन यह इन्सपेक्टर दे रहे हैं इसलिये इस दिशा में प्रभावी कदम उठाना चाहिये। शहरों में यह कार्य नगरपालिका के और देहाती क्षेत्र में जिला

बोर्डों के तहत में आता है। इसलिये बच्चों के स्वास्थ्य की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये क्योंकि बच्चों की मृत्यु दर सब से ज्यादा हमारे देश में है। आज महापालिकाओं में सफाई की जो दशा है जो कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं उस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिये। जब तक स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे और जब तक लोकल बाडीज के मंत्री महोदय से मिल कर इस सम्बन्ध में कदम नहीं उठायेंगे इस समस्या का निदान नहीं हो सकेगा। अन्त में मैं इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज की बहस में भाग लिया और मैं अपना कटौती का प्रस्ताव स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य के बजट के सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य विचार यहां पर दिये। हम हमेशा ऐसे विचारों का स्वागत करते हैं और जहां पर कहीं हमारी त्रुटियां होती हैं उनको सुधारने की हम हमेशा चेष्टा करते हैं लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने केवल विरोध के लिये विरोध किया है। उनका कुछ उत्तर देना मेरे लिये जरूरी हो गया है। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय बाजपेयी जी ने जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, बड़ी व्यंगात्मक ढंग से कहा था कि कौन सा बड़ा काम इस विभाग ने किया है। एक लाख की आबादी में ३.५ अस्पताल उत्तर प्रदेश में खुले हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर वे समस्त भारत के औसत को देखें तो पायेंगे कि पूरे देश में १.५ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो कहीं ज्यादा ऊंचा औसत है। इसलिए नाराज होने या असंतुष्ट होने की बात नहीं है। अगर आप कुछ तारीफ कर देते तो हमें प्रोत्साहन मिलता।

जहां तक शैय्याओं का प्रश्न है इस वर्ष २०९ ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल बढ़ेंगे, और हमारे विभाग के इस साहित्य को गौर से पढ़ा होगा तो इन चिकित्सालयों में प्रति चिकित्सालय के बीच ६ शैय्यायें बढ़ेंगीं। तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितनी शैय्यायें इस वर्ष इन अस्पतालों में बढ़ेंगी। यदि इस लिट्रेचर को पढ़ कर आलोचना करते तो मैं उसका स्वागत करता।

माननीय सदस्यों ने दवाओं की खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कहा। हो सकता है, हमारे प्रदेश में हजारों अस्पताल फैले हुए हैं। कहीं पर इस प्रकार की कार्यवाही होती होगी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन बराबर इस पर कड़ाई से निगाह रखी जाती है। अस्पताल की हर चीज पर सरकारी मोहर लगी रहती है और बराबर चेक रहता है कि हमारे अस्पताल की कोई चीज बाहर न जाय लेकिन फिर भी कई इस प्रकार की घटनायें हो जाती होंगी उनके लिए हम विचार कर रहे हैं कि जिले के स्तर पर खरीदारी न हो। हम केन्द्रीय स्तर पर खरीदारी कर रहे हैं और फिर २–४ केन्द्र बना कर अस्पतालों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो।

जहां तक कुशल कर्मचारियों के वेतन का मामला है, वह वेतन आयोग के विचाराधीन है। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे। हमारी भी सद्भावनायें उनके साथ है।

प्रकाश नारायण जी ने कहा कि गांवों में सुरक्षित सीट होनी चाहिए जिससे गांवों के लिए डाक्टर्स अवेलेबिल हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुरक्षित सीटें हैं और इसके अलावा जितने मेडिकल कालेजेज हैं और विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें काफी संख्या ग्रामीण विद्यार्थियों की होती है परन्तु कुछ हमारी आबोहवा का दोष है कि लखनऊ, आगरा, कानपुर और मेरठ में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो गांव के ही रहने वाले होते हैं, फिर गांव को लौटना नहीं चाहते हैं। इस पर क्या किया जाय, यह सोचने की बात ह। उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर डाक्टरों की और मेडिकल असिस्टेंटस की कमी है। मैं इस सम्बन्ध में सदन को सूचित करना चाहता

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]

हूं कि हमारे यहां पर डाक्टरों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां पर अपने ६ मेडिकल कालेजेज हैं और २ केन्द्रीय सरकार के हैं। इस प्रकार से अब हमारे यहां पर डाक्टरों की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रह गयी है। कोई माननीय सदस्य कह सकते हैं कि कोई डिस्पेंसरी खाली है, वहां पर डाक्टर नहीं पहुचा है लेकिन हमारे यहां से पोस्टिंग हो गई है। वे लोग गांव में जाना नहीं चाहते हैं लिहाजा वे इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें वहां जाना न पड़े, कोई मेडिकल लीव पर चले जाते हैं और कुछ ट्रान्सफर की कोशिश करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अस्पताल खाली हो सकते हैं वरना हमारे पास डाक्टरों की कमी नहीं है।

माननीय बडोनी जी, जो इस समय मौजूद नहीं हैं, ने तो सब चीजों पर पानी ही फेर दिया है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की स्वास्थ्य नीति से कोई लाभ हुआ ही नहीं है। अब उसमें अवसर नहीं मिला था कहने का लेकिन जितना भी प्रोग्राम चल रहा है चाहे वह मलेरिया इरेडिकेशन का हो वह स्माल पाक्स क संबंध में हो और चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो ये प्रोग्राम इसीलिये हैं कि लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह फिगर्स इसलिये देना चाहता हूं कि माननीय बड़ोनी जी तथा माननीय सदस्यों को पता लग जाय कि ऐसा करने से हमारी जनता के स्वास्थ्य स्तर में उन्नति हुयी है हमारे जो फिगर हैं मृत्यु दर के वे इस प्रकार हैं कि सन् १६५१ में २७.२ पर थाउजैन्ड थी और सन् ६१ में २४.६ पर थाउजेंड रही और सन ७० में २१.० रही और सन् ७१ में जनवरी से जून तक १८.४ हो गई यानी एक तिहाई मारटेलिटी कम हो गई। बड़ोनी जी यह कहना चाहेंगे कि कोई मरें ही नहीं यह तो बड़ी मुश्किल बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी बात कहकर अपना कथन समाप्त करूंगा। अपने इस प्रदेश में वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम चालू होने वाली है और वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को इस संबंध में पूरी सहायता देना स्वीकार कर लिया है और विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्राजेक्ट यहां पर चलने वाली है जिस पर पांच वर्षों में लगभग १२ करोड़ रुपये यहां पर खर्च होगा और इसके अन्तर्गत लखनऊ के अन्दर ८ प्रसव गृह बनाये जायेंगे तीस-तीस शय्याओं के और इसके अलावा मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के अस्पतालों में तीस-तीस शय्यायें रक्खी जायेंगी। रायबरेली, सहारनपुर जिलों में संगठन केंद्र बनायें जायेंगे जिसके अन्तर्गत दोनों जिलों में परिवार नियोजन ब्यूरों हाउस बनाये जायेंगे। दोनों चिकित्सालयों में तीस-तीस शय्याओं का प्रबन्ध प्रसव के लिये होगा। रायबरेली जिले में गर्भवती स्त्रियों और शिशुओं को प्रोटीन वाले आहार देने का कार्यक्रम बनाया जायेगा। यह कार्यक्रम सहारनपुर, मुजफ्फर-नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद तथा लखनऊ में दो सहायक प्रचारिका प्रसारिका प्रशिक्षण केंद्रों से के भवन निर्माण किये जायेंगे और एक बड़ा भवन यहां पर लखनऊ में बनाया जायगा ताकि जो सब कार्य होगा उसका वह मूल्यांकन करेगा। यह एक विशेष योजना हमारे यहां आने वाली है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्रीमन्, यहां पर सदन में माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि देहरादून में एक मैडिकल कालेज की स्थापना होगी। उसमें क्या प्रगति हुयी है माननीय मंत्री जी बतला दें।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

देहरादून में कोई प्रोग्राम ही नहीं था।

इधर से कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आरथापिडियालाजी सर्जरी का कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रायः हमारे जितने मैडिकल कालेज हैं उनमें बड़ी-बड़ी जगहों पर सर्जरी व्यवस्था है। कानपुर में भी है जैसे वे मना कर रहे हैं वैसी बात नहीं है, वहां पर व्यवस्था है। कैज्वैलिटी वार्ड्स के संबंध में भी कहा गया। मैंने अपनी प्रारम्भ की स्पीच में बता दिया था कि हम कई जगह कैज्वैलिटी वार्ड्स बनाने जा रहे हैं और उनके लिये इसी बजट में रुपये का प्राविधान किया गया है। एक्सरे की मशीनें पुरानी पड़ गई हैं। उनसे भी यहां पर काम नहीं ले रहे हैं। उनको रैप्लेस किया जा रहा है और प्लेटो की व्यवस्था कहां कम है उसकी भी पूरी शीघ्र व्यवस्था की जाय।

एक माननीय सदस्य ने एक फार्मेसी का जिक्र किया था और उस पर चार्जेज लगाये थे। मैं उनको आश्वासन देना चहता हूं कि सरकार इस पर पूरी तरह जांच करायेगी और कायवाही करेगी। कुछ हमारे पन्नालाल जी ने ऐसी बातें कहीं कि समझ में आने वाली नहीं थी। मिसाल के तौर पर समाजवाद विकेंद्रीयकरण ब्यूरोक्रेसी और सेक्रेटरी। मेरी समझ में नहीं आता उसका क्या उत्तर दिया जाय कहां सेक्रेटरी नहीं होता है। इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है। ऐसा मालूम होता है कि उनको किसी पर नाराजी थी।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई एम०बी०बी० एस० डाक्टर बेकार नहीं है और अगर कोई हो तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि उनको ले आवे और अब भी पी० एच० एस० में जगहें खाली पड़ी हुई हैं। मैं उनको नियुक्ति दे दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पिछले वर्ष मई में इसी सदन में भूतपूर्व मंत्री श्रीमती राजेंद्र कुमारी बाजपेयी ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवासन दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा प्राविधान किया है और कोई धनराशि रखी है। कृपया आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये इस वर्ष कुछ न कुछ कदम उठायेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में अवश्य करेंगे। मान्यवर, मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका सुझाव है उन्होंने नोट कर लिया है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १९—चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १८,५५,६३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री. उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १६७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०-सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १६,७६,६६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियमों में संशोधनों सम्बन्धी संकल्प--(क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा कार्य सूची नत्थी (ङ) में उल्लिखित विधान परिषद् द्वारा १४ अप्रैल, १९७२ को पारित संकल्प से सहमत हूं।

(संकल्प के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६१६ पर)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा नत्थी (ङ) में उल्लिखित विधान परिषद् द्वारा १४ अप्रैल, १९७२ को पारित संकल्प से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत ८ सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। पहली है सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय, राम बिलास पांडेय तथा विश्वनाथ कपूर की जिसमें कहा गया है कि हरदोई जिले के श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, एडवोकोट को थाना इंचार्ज द्वारा मारा-पीटा गया। इसके बारे में वे अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

दूसरा है श्री मोहनलाल कपूर का जिसमें कहा गया है कि हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षा की कापियों का स्टेशनों पर पड़ा रहना। इस पर भी वे अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

पिछले साल ३५ हजार विद्यार्थियों की कापियां रेलवे स्टेशन पर ही पड़ी-पड़ी सड़ गईं। मान्यवर, इस पर चर्चा करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर आप अल्प सूचित प्रश्न कर लें। सरकार का दृष्टिकोण आपके सामने आ गया है।

तीसरा है श्री राम सागर का जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में चीनी का संकट एवं राशन की दुकानों से अपर्याप्त चीनी का दिया जाना। यह हो गया है और इसको दोहरा रहे हैं।

चौथा प्रश्न है श्री रामधारी शास्त्री का जिसमें उन्होंने कहा है कि मेलाघाट खटीमा, जिला नैनीताल में बीसों वर्षों से बसे भूमिहीनों एवं हरिजन परिवारों को जंगलात विभाग द्वारा निकाला जाना। इस पर भी आप प्रश्न कर लें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, आप इस प्रश्न को तो पढ़ें। २०० परिवारों को उजाड़ दिया गया है। आग लगा दी गई और कितने ही लोग गिरफ्तार कर लिये गये। आप इस पर मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने लिखा है यह ४ मार्च, १९७२ की घटना है। आप इस पर प्रश्न कर लें।

पांचवां प्रश्न है श्री चन्द्रभान शर्मा जिसमें कहा गया है कि शुगर मिल शामली के कर्मचारी एवं कांसीलियेशन अधिकारी, मेरठ के बीच विवाद। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, आप इसको देखें यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं।

छठा प्रश्न श्री शम्भूनाथ चौधरी और श्री त्रिलोक चन्द का जिसमें उन्होंने कहा है कि हरदोई जिले के एडवोकेट वीरेंद्र बहादुर सिंह को थाना इंचार्ज द्वारा मारा-पीटा गया है। यह प्रश्न तो पहले हो चुका है। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

सातवें में श्री राम प्रसाद व श्री गंगा प्रसाद ने प्रश्न किया है कि लखनऊ शहर के तहसीलदार का सात बार तबादला हुआ तथा रुका। यह प्रश्न प्रशासनिक है। आप इसको सरकार को भेजकर उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

आठवां श्री निहाला सिंह का है जिसमें यह कहा गया है कि ग्राम चौसिया, थाना औराई, जिला वाराणसी में हिन्दू-मुस्लिम के बीच तनाव, इसको कार्यवाही के लिये सरकार के पास भेजे दे रहे हैं। सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

नियम ५२ में मेरा था, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम ५१ के बारे में अभी तो सुना रहा हूं, ५२ के बारे में नहीं।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१९ अप्रैल, १९७२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियमावली २९(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३० पर]

सूची

रोडवेज कर्मचारियों की मांगें

(१) सन् १९६५ के वेतन अभिनवीकरण समिति (पी०आर०सी०) के आधार पर निकाली गयी राजाज्ञा सं० जी १–४१३/एक्स, दिनांक २८–२–६६ के पैरा ३ के अनुसार लीव एण्ड रिटायरमेंट के बेनीफिट्स १–४–६५ से लागू करें तथा सन् १९६० की सेवा शर्तें रोडवेज कर्मचारियों के ऊपर से समाप्त की जायं।

(२) रोडवेज विभाग में परिवहन निगम लागू किये जाने की महासभा बहिष्कार करती है, चूंकि सरकार ने अभी तक निगम (कारपोरेशन) की स्पष्ट रूपरेखा कर्मचारियों को नहीं दी है।

(३) केंद्रीय वेतन मंडल के सिफारिशों को तीन माह के लिये निरस्त किया गया था परन्तु वेज बोर्ड के आदेश पत्र के अन्तर्गत नियुक्तियां की जा रही हैं। रोडवेज कर्मचारी इस वेतन मंडल की सिफारिशों का बहिष्कार करते हैं।

(४) दमनात्मक (विक्टिमाईजेशन) तथा छटनी की समस्त कार्यवाही को अविलम्ब समाप्त किया जाये।

(५) समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समान रूप से महंगाई भत्ता दिया जाय जैसा कि सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर के कर्मचारियों को दिया जाता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करने के संबंध में तथा वर्तमान में घोषित अन्तरिम सहायता की राजाज्ञा की प्रति दी जाय और शीघ्र ही १ मार्च, १९७२ से एरियर भुगतान कराया जाय।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियमावली ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३३ पर]

क्रम-सं०	सामान गायब होने की वर्ष व तिथि	सामान का विवरण	सामान की मालियत	विभागीय कार्यवाही जो की गई	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
			रु०		
१	१९६८	शून्य	शून्य	—	—
२	१९६९(१-६-६९)	एक सेल्फ स्टार्टर	७८७.५०	पुलिस में रिपोर्ट की गई चौकीदार जो ड्यूटी पर थे उनसे प्रतिमाह वसूली की जा रही है।	पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी कि सामान व चोर न पकड़ा जा सका।
३	१९६९(६-१०-६९)	एक प्रोपेलर शाफ्ट	४४३.४८	पुलिस में रिपोर्ट की गई। विभागीय कार्यवाही जारी है।	पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी कि सामान व चोर न पकड़ा जा सका।
४	१९६९(२९-११-६९)	कट आउट दो	१३४.१०	पुलिस में रिपोर्ट की गई। विभागीय कार्यवाही चालू है।	,, ,,
५	१९६९ (७-११-६९)	सेल्फ स्टार्टर पिनियन सौ	५,४६२.००	पुलिस में रिपोर्ट की गई तथा उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक मिल नहीं पाई है। साथ ही विभागीय कार्यवाही जारी है।	
		वर्ष १९६९ योग ..	६,८२७.०८		

क्रम-सं०	सामान गायब होने की वर्ष व तिथि	सामान का विवरण	सामान की मालियत	विभागीय कार्यवाही जो की गई	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
६	१९७०(२८-२-७०)	हेलिकल गियर एक	रु० ४७.२४	रेलवे स्टेशन से सामान की खुली डेलीवरी लेकर आये। एक गियर कम हो गया और संबंधित कर्मचारी पर आनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।	
७	१९७०(२५-१२-७२)	१७६अदद बेरिंग व एक कप	[१,७२१.२८]	पुलिस में रिपोर्ट की गई। विभागीय कार्यवाही जारी है।	पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी कि सामान व चोर पकड़ा न जा सका।
	वर्ष १९७०, योग		१,७६८.५२		
८	१९७१ (९-३-७१)	कार्बन ब्रुश १,२३० अदद १०	९,९३८.४०	पुलिस में रिपोर्ट की गई। विभागीय जांच जारी है।	" "
९	१९७१ (२८-९-७१)	इनजेक्टर नाजेल ३,३०८ अदद	[५१,१७४.७६]	पुलिस में रिपोर्ट की गई। पुलिस ने संबंधित भंडारपालों को गिरफ्तार कर लिया तथा मामला अदालत में चल रहा है। संबंधित गिरफ्तार भंडारपालों को विभाग ने निलम्बित कर रखा है।	मामला अदालत के अन्तर्गत है

१०	१९७१ (१५-११-७२)	दस क्राउन व्हील व टेल विनियेन।	७,९००.००	प्रारम्भिक जांच के आधार पर संबंधित भंडारपाल के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही जारी है।
११	,, (३०-३-७१)	व्हाइट मेटल २१ कि० ग्राम।	१,५१४.३४	सत्यापन के समय यह कमी पाई गई और संबंधित भंडारपाल का उत्तरदायित्व जानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
१२	,, (१५-६-७१)	११ स्क्रू रिंच	१००.००	यह माल गायब नहीं हुआ बल्कि ट्राली में ले जाते हुये पकड़ा गया तथा संबंधित भंडारपाल निलम्बित किया जा चुका है और विभागीय कार्यवाही जारी है।
	वर्ष १९७१ योग		७,००,६२७.५०	
	कुल योग ..		७९,२२३.१०	

नोट:—उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त एक नई बस जालसाजी से आगरा रीजन के नाम प्राप्त करके गायब कर दी गई थी जो कि पुलिस द्वारा बाद में बरामद कर दी गई।

अतिरिक्त सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३७ पर)

कृपांक देकर उतीर्ण घोषित किये हुए अधिदर्शकों की सूची

क्रम-संख्या	अनुक्रमांक	अधिदर्शक का नाम	पता	पूर्णांक	ए वर्ग १५०	बी वर्ग ३००	सी वर्ग ४००	योग ८५०	कृपांक
१	२	३	४		५	६	७	८	९
१	३५२	श्री कृपा शंकर शर्मा ..	सहायक अभियन्ता, कानपुर खंड, निचली, गंगा नहर, कानपुर		९२	१४१	१९०	४२३	२
२	३९५	श्री रास बिहारी जौहरी ..	सहायक अभियन्ता, यमुना परियोजना, देहरादून		९८	११२	२१६	४२६	८
३	४२५	श्री उमेश चन्द्र तिवारी ..	सहायक अभियन्ता, प्रथम नलकूप खंड द्वितीय अलीगढ़		७२	११९	२४८	४३९	१
४	४५५	श्री विनोद कुमार जैन ..	सहायक अभियन्ता, रिमोडलिंग खंड, नि०ग०न०, एटा		७६	१३१	२१४	४२१	४
५	६०३	श्री बंशी धर त्रिपाठी ..	सहायक अभियन्ता, तृतीय, बांसी, ड्रेनेज खंड, बस्ती		७६	११२	२३९	४२७	८
६	६०९	श्री भूपाल सिंह जन ..	सहायक अभियन्ता, शारदा सहायक परियोजना, शारदा नहर, लखीमपुर-खीरी ..		६९	१५०	२०२	४२१	४
७	६८५	श्री मुसद्दी लाल शर्मा ..	सहायक अभियन्ता, द्वितीय, वाराणसी ड्रेनेज खंड, वाराणसी		५९	१७४	२६०	४९३	१
८	७३७	श्री श्रीपाल शर्मा ..	सहायक अभियन्ता, गंडक परियोजना, गोरखपुर		९४	११९	२१८	४३१	१
९	१११०	श्री ज्ञान प्रकाश जैन ..	सहायक अभियन्ता, रामगंगा परियोजना, कालागढ़		६४	१३२	२२१	४१७	८
१०	१२३४	श्री सागर दत्त शर्मा ..	सहायक अभियन्ता, तृतीय हरदोई ड्रेनेज खंड, उन्नाव		५९	१४०	२२५	४२४	१
११	१२३७	श्री सतीश चन्द्र गुप्ता ..	सहायक अभियन्ता, शारदा सहायक परियोजना, शारदानगर		८१	१२४	२१४	४१९	६
१२	१२४०	श्री सतीश कुमार अग्रवाल ..	सहायक अभियन्ता, गंडक नहर, निर्माण मंडल तृतीय, गोरखपुर		८४	११५	२२६	४२५	५
१३	१२८१	श्री वशिष्ठ तिवारी ..	सहायक अभियन्ता द्वितीय, गोरखपुर, ड्रेनेज खंड, गोरखपुर		५३	१५८	२३४	४४५	७

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९१५ और ९१७ पर)

सेवा में,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित संकल्प पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की १४ अप्रैल, १९७२ की बैठक में विचार हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

संकल्प

"उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत" मंत्रियों" को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम १ में :—

(१) खंड (क) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ख) में की गई व्यवस्था के सिवाय, कोई मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, या सभा सचिव, किसी समिति का सदस्य खंड (क) के अधीन निर्वाचित नहीं किया जायगा और यदि किसी समिति का कोई सदस्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री या सभा सचिव नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति के दिनांक से समिति का सदस्य नहीं रहेगा और उसमें उसका स्थान रिक्त हो जायेगा ।"

(२) खंड (ख) में शब्द "मंत्री" और शब्द शब्द "उप-मंत्री" के बीच शब्द "राज्य मंत्री" बढ़ा दिया जाय,

(३) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(ङ) प्रत्येक समिति का कार्यकाल वह वित्तीय वर्ष होगा जिसके लिये वह संघटित की जाय, परन्तु उक्त कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी वह उस समय तक बनी रहेगी और कार्य कर सकेगी जब तक कि नई समिति संघटित न हो जाय ।

(च) समिति के सदस्यों की पदावधि समिति के कार्यकाल के समकालीन होगी परन्तु कोई भी सदस्य फिर से निर्वाचित किया जा सकेगा ।

(छ) समिति में आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचित किये गये सदस्य उस पदावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेंगे जिसके लिये वह सदस्य जिसके स्थान पर वह निर्वाचित किया गया हो, पदधारण करते ।

परन्तु समिति की कोई कार्यवाही इस आधार पर अनियमित न होगी और न रुकेगी कि आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नहीं की गई है ।"

यह सदन यह भी निश्चय करता है कि वित्तीय वर्ष १९७१–७२ के लिये संघटित स्थायी समितियां, जैसी कि वे दिनांक ३१ मार्च, १९७२ को विद्यमान थी, तब तक बनी रहेंगी और कार्य करती रहेंगी, जब तक कि उनके स्थान पर नयी समितियां संघटित न हो जायं ।"

अतः आप कृपया उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति उक्त संकल्प पर प्राप्त करें ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४४९ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९७२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९७२ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा ८ में संशोधन

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ८ की उप-धारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचन मई–जून, १९७२ में कराये जा रहे हैं और उसके उपरांत क्षेत्र समितियों के सामान्य निर्वाचन कराय जायेंगे। राज्य सरकार को क्षेत्र समितियों का कार्यकाल ४ मई, १९७२ से आग बढ़ान के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में संशोधन करके राज्य सरकार को इनका कार्यकाल एक वर्ष की अवधि तक और बढ़ाने का अधिकार देन का प्रस्ताव है।

विधेयक तदनुसार पुरः स्थापित किया जाता है।

बलदेव सिंह आर्य,

सामुदायिक विकास मंत्री।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५३ एल० ए०—१२७३–८४५ (हि०)।